रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 10, 1981/आश्विन 18, 1903
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10, 1981/ASVINA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (order than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1980

आय कर

का०आ० 2721:—राजस्व विभाग, अधिसूचना सं० 608 (फा.सं० 203/25/74—आई टी ए II), तारीख 7 मई, 1974 का निम्नलिखित रूप में आगत. संशोधन करना है :—

सेंटर के नाम के पश्चात् कृपया निम्नलिखित जोड़ दें।

यह अधिसूचना 31-3-1982 तक विधिमान्य है।

[सं० 3749/फा०सं० 203/147/77—आई०टी०ए०II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th November, 1980

INCOME TAX

S.O. 2721.—The Department of Revenue partially amend the Notification No. 608 (F. No. 203/25/74-ITA.II) dated the 7th May, 1974 as under :—

The following may please be added after the name of centre. This notification is valid upto 31-3-1982.

[No. 3749/F. No. 203/147/77-ITA.II]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1981

आयकर

का०आ० 2722:—राजस्व विभाग, अधिसूचना सं० 2056 (फा०सं० 203/145/77 आइ टी ए II) ता० 26-11-1977 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करना है :—

"आयोजनकर्ता—	भारतीय औषधि संगम पुणे" के स्थान पर
"आयोजनकर्ता—	भारतीय औषधि अनुसंधान संगम, पुणे" पढ़ें।

[सं० 3923/फा०सं० 203/44/81 आई०टी०ए० II]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st March, 1981

INCOME TAX

S.O. 2722.—The Department of Revenue hereby amend the Notification No. 2055 (F. No. 203/145/77?ITA.II) dated 26-11-1977 as under :—

FOR	
To be undertaken by Indian Drug Association Poona	

READ

To be under taken by Indian Drug Research Association, Poona.

[No. 3923|F. No. 203|44|81-ITA.II]

नई दिल्ली, 23 मई, 1981

आय-कर

का० आ० 2723—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 2245 (फा० सं० 203/102/77–आई०टी०ए० II), तारीख 31-3-78 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित कर दिया है।

संस्था

एस पी० कृषि अनुसन्धान और विकास प्रतिष्ठान, मुम्बई।

यह अधिसूचना 1-4-1981 से 31-3-1984 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 3972/फा०स० 203/227/80–आई०टी०ए० II]

New Delhi, the 23rd May, 1981

INCOME TAX

S.O. 2723.—In continuation of this Office Notification No. 2245 (F. No. 203|102|77-ITA. II) dated 31-3-1978, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Aspee Agricultural Research & Development Foundation, Bombay.

This notification is effective for a period of three years from 1-4-1981 to 31-3-1984.

[No. 3972|F. No. 203|227|80-ITA. II]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1981

आय-कर

का०आ० 2724:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है।

(i) यह कि विवेकानन्द निधि द्वारा इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों का उपयोग एक मात्र समाज विज्ञान में अनुसंधान की उन्नति के लिए ही किया जाएगा।

(ii) यह कि निधि, इस छूट के अधीन संग्रह की गई निधियों का पृथक लेखा रखेगी और;

(iii) यह कि निधि, छूट के अधीन संग्रह की गई निधियों का और वह रीति जिसमें उनका उपयोग किया गया है दर्शित करने हुए एक वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का संपरीक्षित विवरण अनुसंधान परिषद् को भेजेगी।

संस्था

विवेकानन्द निधि, कलकत्ता

यह अधिसूचना इसको जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

[सं० 4169/फा०सं० 203/61/81–आई०टी०ए० II]

New Delhi, the 19th August, 1981

INCOME-TAX

S.O. 2724.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 on the following conditions :

1. That the funds collected by Vivekananda Nidhi under this exemption will be utilised exclusively for promotion of research in social science.
2. That the Nidhi shall maintain separate accounts of funds so collected by them under this exemption and
3. That the Nidhi shall send to the Council an Annual Report and Audited Statement of Accounts regularly showing the funds collected under the exemption and the manner in which the funds were utilized.

INSTITUTION

Vivekananda Nidhi Calcutta

This notification is effective for a period of three years from the date of issue of this notification.

[No. 4169|F. No. 203|61|81-ITA II]

का० आ० 2725.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना :	पौधों की जीनों का क्लोनीकरण और उनकी संरचना और अभिव्याप्ति का अध्ययन
2 किसके द्वारा प्रायोजित किया गया है :	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
3 कहां पर प्रायोजित किया गया है :	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली (वातावरण विज्ञान स्कूल)।
4. अनुसंधान परियोजना के अवधि :	1-7-1981 से 2 वर्ष
5 प्राक्कलित व्यय :	100,000 रु०

2. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(i)(ii) के अधीन अनुमोदित है। देखिए अधिसूचना सं० 475 तारीख 26-9-1973।

[सं० 4170/फा०सं० 203/86/81–आई०टी०ए० II]

S.O. 2725.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi :—

1. Scientific Research Project :	Cloning of Plant Genes and Study of their structure and Expression.
2. Sponsored (a) by :	Hindustan Lever Limited.
3. Sponsored (b) at :	Jawaharlal Nehru University, New Delhi (School of Environmental Sciences).
4. Duration of Research Project :	2 Years with effect from 1-7-81.
5. Estimated expenditure :	Rs. 1,00,000

2. Jawaharlal Nehru University, New Delhi stands approved under Section 35(i)(ii) of the Income-tax Act, 1961 by Notification No. 475 dated 26-9-1973.

[No. 4170/F. No. 203/86/81-ITA. II]

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1981

आय-कर

का०आ० 2726.—अधिसूचना सं० 3163 (फा० सं० 203/86/79 आई०टी०ए० II) तारीख 29-1-1980 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है :—

संस्था

सहयुक्त कृषि विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 27-4-1981 से 26-4-1984 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4172/फा०सं० 203/273/80 आ०का० अ० II]

New Delhi, the 20th August, 1981

INCOME TAX

S.O. 2726.—In continuation of this office Notification No. 3163 (F. No. 203|86|79-ITA. II) dated 29-1-80, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Agricultural Research, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the income-tax Act, 1961 :

INSTITUTION

Associated Agricultural Development Foundation, New Delhi.

This notification is effective for a period of three years from 27-4-1981 to 26-4-1984.

[No. 4172|F. No. 203|73|80-ITA.III]

का०आ 2727.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम :	संश्लिष्ट वसा लिकर के विनिर्माण के लिए तकनीकी जानकारी का विकास।
प्रायोजक का नाम :	मैसर्स बालमेर लारी एंण्ड कं० लिमिटेड 21, नेताजी सुभाष मार्ग, पी०ओ० बाक्स नं० 4, कलकत्ता-700001।
प्रायोजित स्थान :	सैन्ट्रल लेदर रिसर्च, इन्स्टीट्यूट, मद्रास
प्रारंभ की तारीख :	12-1-1981
समाप्ति की तारीख :	11-7-1982
प्राक्कलित लागत :	6,25 लाख

2. सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक यूनिट है जो, भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2) (xiii) के अधीन अनुमोदित है। देखिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 34 तारीख 23-11-1946।

[सं० 4173/फा०सं० 203/119/81-आई०टी०ए० II]

S.O. 2727.—It is hereby notified for general information that the follo scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi :

Name of Scientific Research Project :	Development of Knowhow, for the manufacture of Synthetic Fat Liquors.
Name of the sponsorer :	M/s. Balmer Lawrie & Co. Limited 21, Netaji Subhash Road, P.O. Box No. 4, Calcutta-700001.
Sponsored at :	Central Leather Research Institute, Madras.
Date of commencement :	12-1-1981
Date of completion :	11-7-1982
Estimated outlay :	6.25 lakhs

2. Central Leather Research Institute, Madras is a unit of C.S.I.R. which is approved under Section 10(2)(xiii) of the Indian Income-tax Act, 1922 vide Ministry of Finance Department of Revenue Notification No. 34 dated 23-11-1946.

[No. 4173/F.No. 203/119/81-ITA. II]

का०आ० 2728.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 2503 (फा० सं० 203/47/78-आई०टी०ए० II) तारीख 13 सितम्बर, 1981 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, सचिव विज्ञान और तकनीकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि मैसर्स गणेश सायंटिफिक रिसर्च फाउन्डेशन, नई दिल्ली प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मत्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त फाउन्डेशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक परिषद् विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

(iii) यह कि उक्त फाउन्डेशन प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष आय-कर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

मैसर्स गणेश सायंटिफिक रिसर्च फाउन्डेशन, नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 1-4-1981 से 31-3-1984 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4174/फा०सं० 203/122/81-आई०टी०ए० II]

S.O. 2728.—In continuation of this Department's Notification No. 2503 (F. No. 203|47|78-ITA II) dated the 13th September, 1978 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(IV) of the Income-tax Rules, 1962 under the category 'Association' in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions :—

1. That M|s. Ganesh Scientific Research Foundation, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in

the field of natural or applied sciences (other than agricultural/animal husbandry/fisheries and medicines).

2. That the said Foundation will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

3. That the said Foundation will submit the annual return and statement of accounts to the Commissioner of Income-tax, every year.

INSTITUTION

M/s. Ganesh Scientific Research Foundation, New Delhi

This notification is effective for a period of Three years from 1-4-1981 to 31-3-1984.

[No. 4174/F. No. 203/122/81-ITA. II]

का० आ० 2729 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 962 के नियम 6(iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

(i) यह कि कोठारी रिसर्च फाउंडेशन मद्रास प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशि का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त प्रतिष्ठान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उन्हें सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि उक्त प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी और लेखाओं का वार्षिक विवरण आयकर आयुक्त मद्रास को भेजेगा ।

संस्था

कोठारी रिसर्च फाउंडेशन, मद्रास ।

यह अधिसूचना 14-4-1981 से 13-4-1984 तक 3 वर्ष की अवधि लिए प्रभावी है ।

[सं० 4175/फा० सं० 203/2/81-आई टी ए-II]

S.O. 2729.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

1. That the Kothari Research Foundation, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences (other than agriculture/animal husbandry/fisheries and medicines).

2. That the said Foundation will furnish Annual Return of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April, each year.

3. That the said Foundation will submit the Annual Return and Statement of accounts to the Commissioner of Income-tax, Madras for every year.

INSTITUTION

Kothari Research Foundation, Madras.

The notification is effective for a period of 3 years from 14-4-1981 to 13-4-1984.

[No. 4175/F. No. 203/2/81-ITA.II]

का० आ० 2730 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

(1) यह कि विकास अध्ययन संस्थान द्वारा इस छूट के अधीन प्राप्त धनराशि का उपयोग अनन्य रूप से सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए किया जाएगा;

(2) यह कि संस्थान इस छूट के अधीन इस प्रकार प्राप्त राशि का पृथक लेखा रखेगा ।

(3) यह कि उक्त संस्थान प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट और इस छूट के अधीन प्राप्त राशि को दर्शित करने वाला, लेखाओं और उस रीति का जिसमें इस राशि का उपयोग किया गया है का संपरीक्षित विवरण परिषद को नियमित रूप से भेजेगा, और

(4) क्योंकि संस्थान का अन्तर विषयक कार्यक्षेत्र अतिरिक्त, सामाजिक विज्ञान भी है, इसलिए यदि संस्थान सामाजिक विज्ञान के भिन्न क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कोई संदाय या विधि प्राप्त करता है तो संस्थान को उन संदायों और उनके उपयोग का पृथक लेखा रखना चाहिए ।

संस्था

विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर

यह अधिसूचना 35-4-1981 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4176/फा० सं० 203/57/81-आई टी ए-II]

S.O. 2730.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

1. That the funds collected by the Institute of Development Studies under this exemption shall be utilized exclusively for promotion of research in social sciences;

2. That the Institute shall maintain separate accounts of the funds so collected by them under this exemption;

3. That the Institute shall send to the Council an Annual Report and Audited Statement of Accounts regularly showing the funds collected under this exemption and the manner in which these funds are utilised; and

4. Since the Institute has an inter-disciplinary focus going beyond social sciences, if it receives any donations or funds for research in fields other than social sciences, it should maintain separate accounts for those donations and their utilization.

INSTITUTION

Institute of Development Studies, Jaipur

This notification is effective for a period of 3 years with effect from 15-4-1981.

[No. 4176/F. No. 203/57/81-ITA.II]

का० आ० 2731 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संगम, चिकित्सा प्राकृतिक या अनुप्रयोगिक (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि संगम प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा/करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक परीक्षित विवरण परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसकी/इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

मंगलम, लखनऊ

यह अधिसूचना 28-7-1981 से 27-7-83 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 4177/फा० सं० 203/129/81-आई टी ए-II]

S.O. 2731.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "scientific research association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Association will furnish annual return of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Association will furnish an annual audited statement of accounts to the Council by 31st may, each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Mangalam, Lucknow

The notification is effective for a period of two years from 28-7-1981 to 27-7-1983.

[No. 4177|F. No. 203|129|81-ITA.II]

का० आ० 2732 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संगम प्राकृतिक या आनुप्रयोगिक (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा/करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाये और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक सपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इस के अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

अहमदाबाद सिविल हस्पताल एण्ड बी० जे० मैडिकल कालेज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद (गुजरात)

यह अधिसूचना 29-6-81 से 28-6-83 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4178/फा० सं० 203/121/81-आई टी ए-II]

S.O. 2732.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "scientific research association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the Latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Association will furnish an annual audited statement of accounts to the Council by 31st May, each year and in addition send a copy of it to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Ahmedabad Civil Hospital and B. J. Medical College Research Association, Ahmedabad (Gujarat.)

The notification is effective for a period of two years from 29-6-81 to 28-6-83.

[No. 4178|F. No. 203|121|81-ITA.II]

का० आ० 2733 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए प्रम्प प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि मैन-मेड टैक्सटाइल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सूरत प्राकृतिक या आनुप्रयोगिक (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 20 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा/करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जायें और उसे सूचित किए जायें ।

(iii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष आय-कर आयुक्त, सूरत को भेजेगा ।

संस्था

मेन-मेड टैक्सटाइल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सूरत

यह अधिसूचना 16-4-1981 से 15-4-1983 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4179/फा० सं० 203/148/80-आई टी ए-II]

S.O. 2733.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category 'Association' in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

1. That the Man-Made Textile Research Association, Surat will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than agriculture| animal husbandary|fisheries and medicines.

2. That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April, each year.

3. That the said Association will submit the Annual return and Statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax, Surat for every year.

INSTITUTION

Man-Made Textile Research Institute, Surat.

This notification is effective for a period of two years from 16-4-1981 to 15-4-1983.

[No. 4179|F. No. 203|146|80-ITA.II]

का० आ० 2734:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि परिषद द्वारा इस छूट के अधीन संगृहीत निधियों का उपयोग अनन्य रूप से सामाजक विज्ञान में अनुसंधान के संप्रवर्तन के लिए किया जाएगा।

(ii) यह कि परिषद् इस छूट के अधीन संग्रहीत निधियों का पृथक लेखा रखेगा।

(iii) यह कि परिषद् वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का संपरीक्षित विवरण भा० सा० वि० अ० परिषद् नई दिल्ली को नियमित रूप से भेजेगा जिसमें इस छूट के अधीन संग्रहीत निधियां और वह रीति दर्शित होगी जिसमें उनका उपयोग किया गया है।

संस्था

हिमालय समीक्षा परिषद्, कलकत्ता।

यह अधिसूचना 29-4-1981 से 28-4-1984 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4180/फा० सं० 203/214/80-आई टी ए-II)]

S.O. 2734.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 on the following conditions :

1. That the funds collected by the Parishad under the exemption will be utilised exclusively for promotion of research in social sciences.

2. That the Parishad shall maintain separate accounts of funds collected by them under the exemption.

3. That the Parishad shall send to the I.C.S.S.R., New Delhi an annual report and audited Statement of Accounts regularly showing the funds collected under this exemption and the manner in which these funds were utilized

INSTITUTION

Himalaya Sameekha Parishad, Calcutta.

This notification is effective for a period of three years from 29-4-1981 to 28-4-1984.

[No. 4180|F. No. 203|214|80-ITA.II]

का० आ० 2735 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 (iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि सेंटर आफ प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज, हैदराबाद प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि पशुपालन मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) उक्त सेंटर आफ प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाए।

(iii) उक्त सेंटर आफ प्लांट इंजीनियरिंग उसे प्रति वर्ष वार्षिक विवरणी और लेखा विवरण आय-कर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

सेंटर आफ प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज, हैदराबाद।

यह अधिसूचना 26-5-81 से 25-5-83 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं० 4181 फा० सं० 203/70/79-आई टी ए-II]

S.O. 2735.—It is notified for the general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

1. That the Centre of Plant Engineering Services, Hyderabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than agriculture|animal husbandry|fisheries and medicines);

2. That the said Centre of Plant Engineering Services will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April each year ;

3. That the said Centre of Plant Engineering Services, will submit the annual return and statement of accounts to the Commissioner of Income-tax, every year.

INSTITUTION

Centre of Plant Engineering Services, Hyderabad.

This notification is effective for a period of two years from 26-5-81 to 25-5-83.

[No. 4181|203|70|79-IT A-II]

का० आ० 2736 :—इस विभाग की अधिसूचना सं० 2802 (फा० सं० 203/32/79-आई टी ए-II) तारीख 5 मई, 1979 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 (ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संगम, चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि संगम प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा/करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि संगम प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

चरुतर आरोग्य मंडल, वल्लभ विद्या नगर, कैरा ।

यह अधिसूचना 24-4-1981 से 23-4-1983 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4182/फा० सं० 203/128/81-आई टी ए-II]

S.O. 2736.—*In continuation of this Department's notification No. 2802 (F. No. 203|32|79-ITA.II) dated 5th May, 1979, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "scientific research association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—*

(i) That the Association will maintain a separate accoutn of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May, each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Association will furnish a copy of the annual audited statement of accounts to the Council by 31st May, each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

The Charutar Arogya Mandal, Vallabh Vidya Nagar, Kaira.

The notification is effective for a period of Two years from 24-4-1981 to 23-4-1983.

[No. 4182|F. No. 203|128|81-ITA.II]

का० आ० 2737 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "महाविद्यालय" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि थ्यागराजन कालिज आफ इंजीनियरिंग मदुरै, प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा) ।

(ii) यह कि उक्त कालिज प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि उक्त कालिज प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी और लेखाओं का विवरण आयकर आयुक्त मदुरै को भेजेगा ।

संस्था

थ्यागराजन् कालिज आफ इंजीनियरिंग, मदुरै ।

यह अधिसूचना 2-7-81 से 1-7-84 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4183/फा० सं० 203/262/80-आई टी ए-II]

S.O. 2737. *It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category 'College' in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :*

(1) That the Thiagarajan College of Engineering, Madurai will maintain a separate account of the sums received and it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than agricultural|husbandry|fisheries and medicines.

(2) That the said College will furnish annual returns of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(3) That the said College submit the Annual return and Statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax, Madurai for every year.

INSTITUTION

THIAGARAJAN COLLEGE OF ENGINEERING MADURAI

This notification is effective for a period of three years from 2-7-1981 to 1-7-1984.

[No. 4183|F. No. 203|262|80-ITA.II]

का० आ० 2738 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 (i) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए आयुर्विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि सोसाइटी आयुर्विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि सोसाइटी, प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा/करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

(iii) यह कि उक्त सोसाइटी प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आयकर आयुक्त को भेजेगी ।

संस्था

सेंटर फार रीजनल, इकालोजिकल एंड साइंस स्टडीज इन डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स, कलकत्ता

यह अधिसूचना 29-5-1981 से 28-5-1984 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4184/फा० सं० 203/109/81-आई टी ए-II]

S.O. 2738.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "scientific research Association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Society will maintain a separate account of sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(ii) That the Society will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Society will furnish a copy of the annual audited statement of accounts to the Council by 31st May, each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Centre for Regional, Ecological and Science Studies in Development Alternatives, Calcutta

The notification is effective for a period of three years from 29-5-1981 to 28-5-1984.

[No. 4184/F. No. 203/109/81-ITA.II]

का० आ० 2739.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 2739 (फा० सं० 203/197/78-आई टी ए-II) तारीख 1-3-1979 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है,

संस्था

के० एम० वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, मसौधा, मोतीनगर फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

यह अधिसूचना 17-1-1980 से 16-1-1983 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभारी है ।

[सं० 4185/फा० सं० 203/134/79-आई टी ए-II]

S.O. 2739.—In continuation of this office Notification No. 2739 (F. No. 203/197/78-IT.AII) dated 1-3-1979, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

K. M. Scientific Research Centre, Masondha, Motinagar, Faizabad (U.P.)

This notification is effective for a period of 3(three) years from 17-1-1980 to 16-1-1983.

[No. 4185/F. No. 203/134/79-IT.A.II]

का० आ० 2740 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि न्यास चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा :

(ii) उक्त न्यास प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) उक्त न्यास प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

डा० नारन जी मोनजी वोरा चेरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई

यह अधिसूचना 17-6-1981 से 16-6-1983 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 4186/फा० सं० 203/106/81-आई टी ए-II]

S.O. 2740.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "scientific Research Association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Trust will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Trust will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Trust will furnish an annual audited statement of accounts to the Council by 31st May each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Dr. Naranji Monji Vora Charitable Trust, Bombay.

The notification is effective for a period of two years from 17-6-1981 to 16-6-1983.

[No. 4186/F. No. 203/106/81-ITA.II]

का० आ० 2741.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 2610 तारीख 12-12-78 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संगम, आयुर्विज्ञान (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि संगम प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि संगम प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसकी इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

आई रिसर्च सेन्टर, मद्रास ।

यह अधिसूचना 23-11-1980 से 22-11-1981 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4187/फा० सं० 203/294/1980-आई टी ए-II]

S.O. 2741.—In continuation of this office Notification No. 2610 (F. No 203|124|78-ITA. II) dated 12-12-78, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific research association" in the field of medical research, subject to the following conditions :—

1. That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.
2. That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.
3. That the Association will furnish a copy of the annual audited statement of accounts to the Council by 31st May each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Eye Research Centre, Madras.

This notification is effective for a period of one year from 23-11-1980 to 22-11-1981.

[No. 4187|F. No. 203|294|1980. ITA.II]

का० आ० 2742 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संगम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा/करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जायें और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

बांद्रा होली फैमिली अस्पताल सोसायटी, मुम्बई

यह अधिसूचना 3-7-1981 से 2-7-1983 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4188/फा० सं० 203/112/81-आई टी ए-II]

S.O. 2742.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (I) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 (ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Association will furnish a copy of the annual audited statement of accounts to the Council by 31st May, each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Bandra Holy Family Hospital Society, Bombay.

The notification is effective for a period of two years from 3-7-1981 to 2-7-1983.

[No. 4188/F. No. 203/112/81-ITA.II]

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1981

आय-कर

का० आ० 2743 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि जयरामदास पटेल, साइनटिफिक रिसर्च फाउंडेशन, मुम्बई प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मत्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(2) यह कि उक्त फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाए और उसे सूचित किए जाएं ।

(3) यह कि उक्त फाउंडेशन प्रति वर्ष वार्षिक विवरणी और लेखा विवरण आयकर आयुक्त, नई दिल्ली को भेजेगा ।

संस्था

जयरामदास पटेल साइनटिफिक रिसर्च फाउंडेशन, मुम्बई

यह अधिसूचना 3-7-1981 से 2-7-1984 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4201/फा० सं० 203/266/80 आई टी ए-II]

New Delhi, the 3rd Septemebr, 1981

INCOME TAX

S.O. 2743.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi the prescribed authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category 'Association' in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

1. That the Jayramdas Patel Scientific Research Foundation, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than agriculture|animal husbandry|fisheries and medicines.

2. That the said Foundation will furnish annual return of its scientific research activities to the Prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

3. That the said Foundation will submit the Annual return and Statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax, New Delhi for every year.

INSTITUTION

Jayramdas Patel Scientific Research Foundation, Bombay

This notification is effective for a period of three years w.e.f. 3-7-1981 to 2-7-1984.

[No. 4201/F. No. 203/266/80-ITA.II]

का०आ० 2744.—इस विभाग की अधिसूचना सं० 2053 (फा० सं० 203/121/77-आई टी ए ii) तारीख 26-11-1977 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली में निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(1) यह कि इस छूट के अधीन रामकृष्ण मिशन द्वारा संग्रहीत निधियों का उपभोग एकमात्र सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए किया जाएगा ।

(2) यह कि राम कृष्ण मिशन, इस छूट के अधीन प्राप्त राशि का पृथक लेखा रखेगा ।

(3) यह है कि रामकृष्ण मिशन, इस छूट के अधीन संग्रहीत निधियों और वह रीति जिसमें निधियो का उपभोग किया गया है, दर्शाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और उनके लेखा का संपरीक्षित विवरण परिषद् को नियमित रूप से भेजेगा ।

संस्था

राम कृष्ण मिशन, विवेकानन्द कालिज, मद्रास

यह अधिसूचना 1-4-1980 से 31-3-1983 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 4202/फा०सं० 203/76/81-आई टी ए-II]

S.O. 2744.—In continuation of this office Notification No. 2053 (F. No. 203/121/77-ITA.II) dated 26-11-1977. It is hereby notified forgeneral information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 on the following conditions :—

1. That the funds collected by the Ramakrishna Mission under this exemption will be utilised exclusively for promotion of research in social sciences.

2. That the Ramakrishna Mission shall maintain separate accounts of the funds collected by them under the exemption.

3. That the Ramakrishna Mission shall send to the Council Annual Reports and audited statement of account regularly showing the funds collected under this exemption and the manner in which the funds are utilized.

INSTITUTION

Ramakrishna Mission, Vivekanada College, Madras

This notification is effective for a period of three years from 1-4-80 to 31-3-1983.

[No. 4202/F. No. 203/76/81-ITA.II]

का०आ० 2745.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र मे "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संगम चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा/करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि उक्त संगम प्रत्येक वर्ष के लिए लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके/इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर ।

यह अधिसूचना 11-8-81 से 10-8-84 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 4203/फा० सं० 203/131/81-आई टी ए-II]

एम०के० पाण्डेय, उप सचिव

S.O. 2745.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "scientific research association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each year by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Association will furnish a copy of the annual audited statement of accounts to the Council by 31st May, each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Bhagwan Mahavir Viklang Sahayata Samiti, Jaipur.

This notification is effective for a period of three years from 11-8-81 to 10-8-84.

[No. 4203/F. No. 203/131/81-ITA.II]

M. K. PANDEY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1981

आय-कर

का०आ० 2746.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 खंड (44) के उपखंड (iii) का अनुसरण करते हुए, तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 3114 (फा०सं० 404/3/क०व०अ०—डी एल आई/79/अ०क०स०क०) का अतिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस०एस० मेहता को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं,

उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2 यह अधिसूचना श्री एस० एस० मेहता द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4205/फा० सं० 398/14/81-आ०क०स०क०]

New Delhi, the 4th September, 1981

INCOME TAX

S O. 2746.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3114 (F No 404/3/TRO-DLI/79 ITCC) dated 31 12 79, the Central Government hereby authorises Shri S S Mehta being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act

2 This Notification shall come into force with effect from the date Shri S S Mehta takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 4205|F No 398|14|81-ITCC]

का०आ० 2747.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) का अनुसरण करते हुए तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 3482 (फा०सं० 398/18/80-आ०क०स०क०) तथा 30 जनवरी 1979 की संख्या 2692 (फा० सं० 404/27/क०व०आ०-बी एच आर०) का अतिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री के०के० खन्ना को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2 यह अधिसूचना श्री के०के० खन्ना द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[संख्या 4209/फा०सं० 398/25/81-आ०क०स०क०]
आर०सी० हांडा, उप सचिव

S.O. 2747—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of of the Government of India in the Department of Revenue No 3482 (F No 398/18/80 ITCC) dated 19 6 80 and No 2692 (F. No 404/27/(TRO-BHR)/79 ITCC dated 30 1 1979, the Central Government hereby authorises Shri K K. Khanna, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2 This Notification shall come into force with effect from the dated Shri K K Khanna takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 4209|F No 398|25|81 ITCC]
R C HANDA, Dy Secy

आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर 1981

स्टाम्प

का०आ० 2748.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किए जाने वाले 15 करोड़ 12 लाख तथा 50 हजार रुपये मूल्य के बन्धपत्रों पर, उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं० 20/81-स्टाम्प/फा०सं० 33/13/81-बि०क०]
भगवान दास, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th September, 1981

STAMPS

S.O 2748.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of fifteen crores twelve lakhs and fifty thousand rupees to be issued by the National Cooperative Development Corporation are chargeable under the said Act

[No 20|81|Stamps F No 32/33/81-ST]
BHAGWAN DAS, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय

कानपुर, 3 सितम्बर, 1981

का० आ० 2749—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173-छ के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा 'सूती वस्त्र को मुख्य कच्चे माल रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद सं० 16क(4) के अंतर्गत आने वाले ट्रान्समिशन रबर बैल्टिंग के लिए निर्धारित करता हूं। इसका लेखा स्वयं निकासी प्रक्रिया के अंतर्गत काम करने वाले प्रत्येक निर्धारिती द्वारा स्वयं निकासी प्रक्रिया की गुटिका (हैण्ड बुक) तृतीय संस्करण के फार्म IV, अनुबन्ध II में रखा जाएगा, जैसी कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अध्याय VIII-क में शुल्क योग्य माल अर्थात ट्रांसमिशन रबर बैल्टिंग के विनिर्माण में लगने वाले कच्चे माल का लेखा रखने की व्यवस्था की गई है। छीलन तथा रद्दी जो रह जाय उसका भी अलग से हिसाब रखा जाय, जिससे प्रयुक्त कच्चे माल तथा परिष्कृत उत्पाद का अनुपात ज्ञात किया जा सके।

[अधि० सं० 6/81/पत्रांक V (16-क) (8) 2-आ०/VI/81/2950-8]
जे० रामकृष्णन, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Kanpur, the 3rd September, 1981

S.O. 2749—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 173 G of Central Excise Rules, 1944, I hereby prescribe "textile fabrics" as the principal raw material for the Transmission Rubber Belting falling under item 16-A (4) of the Central Excise Tariff, an account of which shall be maintained in form IV, annexure II of the S R. P. Hand Book IIIrd Edition by every assessee working under the Self Removal Procedure laid down in Chapter VII A of the Central Excise Rules, 1944 for account of raw material and components consumed in he manufacture of excisable goods ie transmission rubber beltings, Cuttings and wastages that may occur should also be accounted for separately to arrive at the consumption of raw material ratio with the finished product

[Notification No 6|1981|C No V (16-A) (8)|2-Tech| VI|81|29508]
J RAMAKRISHNAN, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, मध्य प्रदेश

इंदौर 20 जन, 1981

का०आ० 2750.—श्री आर० के० एस० चौहान, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' मध्य प्रदेश इंदौर, निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-4-81 के अपराह्न से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[अधिसूचना सं० 9/81/प०सं० II(3)9-गोप/81]

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, M. P.

Indore, the 20th June, 1981

S.O. 2750.—Shri R. K. S. Chauhan, Superintendent, Central Excise, Group 'B' of Madhya Pradesh Collectorate, Indore, having attained the age of superannuation, has retired from Government service in the afternoon of 30-4-81.

[Notification No. 9|81|C. No. II (3) 9-Con|81]

इंदौर, 30 जुलाई, 1981

का०आ० 2751.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक समूह 'ख' के पद पर पदोन्नत होने पर श्री एस०एस० मजदे, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (च०श्रे०) ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, रायपुर में 17-6-81 के पूर्वाह्न मे अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

[अधिसूचना सं० 13/81/प०सं० 11(3)9-गोप/81)]
एम० के० धर, समाहर्ता

Indore, the 30th July, 1981

S.O. 2751.—Consequent upon his promotion as Superintendent of Central Excise, Group 'B' Shri S. S. Mazde, Inspector of Central Excise (S. G.), has assumed charge as Superintendent, Central Excise, Range-I, Raipur, in the fore-noon of 17th June, 1981.

[Notification No. 13|81C. No. II(3) 9-Con|81]
S. K. DHAR, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1981

का०आ० 2752.—केन्द्रीय सरकार की, निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि काजू की गिरियों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उप-नियम 2 द्वारा अपेक्षित रूप में निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में काजू की गिरियों से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1022 और 1023 तारीख 26 मार्च, 1966 तथा का०आ०सं० 275 तारीख 21 जनवरी 1978 को अधिक्रान्त करते हुए, उक्त प्रस्तावों को उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप करने या सुझाव देने का इच्छुक कोई व्यक्ति उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद "मनोहर बिल्डिंग" एम०जी० रोड, एर्नाकुलम, कोचीन 582011 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि काजू की गिरियां निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी।

(2) इस संबंध के उपबंध 1 मे दिए गए काजू की गिरियों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1981 के प्रारूप के अनुसार, क्वलिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप मे विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व काजू की गिरियों को लागू होगा।

(3) इस आदेश के उपाबन्ध में दिए गए विनिर्देशों को काजू की गिरियों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे ऐसी काजू की गिरियों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि काजू कि गिरियां मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा निर्यात योग्य है।

(5) इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि समुद्र या वायु मार्ग द्वारा काजू की गिरियों के नमूनो के निर्यात को लागू नही होगी, परन्तु यह तब जब कि ऐसे नमूनों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 250 रुपए से अधिक न हो।

(6) इस आदेश में "काजू की गिरियां" से ऐसी सभी प्रकार की काजू की गिरियां अभिप्रेत हैं, जो बिना भुनी हुई, भुनी हुई साबुत टुकड़ो में सिकी हुई और नमक लगाई हुई है।

उपाबन्ध

काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

विभिन्न किस्मों के लिए श्रेणी अभिधान, व्यापार नाम और साधारण लक्षण यदि निम्नलिखित होंगे :

(क) काजू की गिरिया (साबुत)

श्रेणी अभिधान	गिरियों की संख्या प्रति पौंड	साधारण विशेषताएं
डब्ल्यू/ 180	170/180	काजू की गिरियां काजुओ का छिल्का उतारकर और छीलकर (ऐनाकार्डियम आक्सिडेन्टल) से प्राप्त की जाएंगी तथा विशिष्ट आकार की होंगी। रंग में सफेद, पीली, हाथी दांत या हल्की राख के रंग की तथा उचित रूप से शुष्क होंगी। कीटाणु द्वारा किए जाने वाले नुकसान, खराब गिरियों तथा काले या भूरे धब्बों से मुक्त होंगी। गिरियां पूर्णतः बीजावरण से मुक्त होंगी।
डब्ल्यू /210	200/210	
डब्ल्यू/ 240	220/240	
डब्ल्यू /280	260/ 280	
डब्ल्यू /320	300/320	
डब्ल्यू 400	350/400	
डब्ल्यू /450	400/450	
डब्ल्यू /500	450/500	

सहनशीलता : टूटी हुई गिरिया तथा अगली निम्न श्रेणी की गिरियां, यदि कोई हों, पैक किए जाने के समय एक साथ 5 प्रतिशत से अधिक नही होंगी।

ख. भुनी हुई काजू की गिरियां (साबुत)

श्रेणी अभिधान	व्यापार नाम	साधारण विशेषताएं
भु० सा० 1	भुनी हुई साबुत	काजू की गिरियां काजुओं का छिलका उतार कर और छीलकर (ऐनाकार्डियम आक्सिडेन्टल) से प्राप्त की जाएंगी विशिष्ट प्रकार की होंगी तथा उचित रूप से शुष्क होंगी । कीटाणु द्वारा किए जाने वाले नुकसान खराब गिरियां तथा काले धब्बों और बीजावरण से मुक्त होंगी । विकृत गंध वाले काजूओं से पूर्णतः मुक्त होंगी । अधिक ताप से भुनी हुई होने के कारण रंग में हल्की भूरी, हल्के हाथी दांत, हल्की राख या गहरे हाथी दांत के रंग की हो सकती हैं ।
सहयता :	टूटी हुई गिरियां तथा अगली निम्न श्रेणी की गिरियां यदि कोई हों, पैक किए जाने के समय एक साथ 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी ।	

ग. डेजर्ट काजू की गिरियां (साबुत)

श्रेणी अभिधान	व्यापार नाम	विवरण	साधारण विशेषताएं
भु सा ध या भु सा 1-क	भुनी हुई साबुत 1-क	पटिया या भुनी हुई साबुत 1-क	मामूली सी शिकन पड़ी हुई गिरियां काजू की गिरियां काजुओं का छिलका उतारकर और छीलकर (एनाकार्डियम आक्सिडेन्टेल) से प्राप्त की जाएंगी, विशिष्ट आकार की होंगी तथा उचित रूप से शुष्क होंगी । कीटाणु द्वारा किए जाने वाले नुकसान तथा परीक्षणों से पूर्ण रूप से मुक्त होंगी मामूली सी भुनी हुई गिरियां तथा जरा सी धब्बों वाली तथा अपवर्णित गिरियां अनुज्ञात होंगी । वे पूर्णतः विकृत गंध से मुक्त होंगी गिरियां कच्ची भी हो सकती है । और भुने होने के कारण रंग में हल्की भूरी, हल्की नीली या हल्के हाथी दांत के रंग की हो सकती है ।
ड सा	डेजर्ट साबुत		काजू की गिरियां काजुओं का छिलका उतार कर और छीलकर (ऐनाकार्डियम आक्सिडेन्टल) से प्राप्त की जाएंगी, विशिष्ट आकार की होंगी तथा उचित रूप से शुष्क होंगी । किटाणु द्वारा किए जाने वाले नुकसान तथा बीजावरण से पूर्णतः मुक्त होगी। भुनी हुई, अपवर्णित धब्बे तथा शिकन पड़ी हुई गिरियां अनुज्ञात नहीं होंगी । गिरियों पर गहरे काले धब्बे हो सकते हैं ।
सहयता	टूटी हुई गिरियां या अगली निम्न श्रेणी की गिरियां, अधिक नही होगी ।		यदि कोई हों, पैक किए जाने के समय एक साथ 5 प्रतिशत से

घ. काजू की गिरियां (सफेद टुकड़े)

श्रेणी अभिधान	व्यापार नाम	विवरण	साधारण लक्षण
व	बट्स	आड़ी तिरछी टूटी हुई तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां	काजू की गिरियां काजुओं का छिलका उतार कर और छीलकर (एनाकार्डियम आक्सिडेन्टल) से प्राप्त की जाएंगी तथा रंग में सफेद पीली, हाथी दांत के रंग की या हल्की भूरी होंगी तथा उचित रूप से शुष्क होंगी । कीटाणु द्वारा होने वाले नुकसान खराब
टु	टुकड़े	प्राकृतिक रूप से टूटी हुई गिरियों की लम्बाई	गिरियों तथा काले धब्बों से और विकृत गंध वाली गिरियों से पूर्णतः मुक्त होंगी । टुकड़े बीजा-वरण से पूर्णतः मुक्त होंगे ।
स व टु	सफेद बड़े टुकड़	दो से अधिक टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो 4 छिद्रों वाली 18 एस० डब्ल्यू० जी छलनी / 4.75 मि० मी० आई० एस० छलनी से न निकल सके	यथोक्त
छो स टु	छोटे सफेद टुकड़े	एल डब्ल्यू पी के रूप में वर्णित से छोटी टूटी हुई गिरियां किन्तु जो 6 छिद्रों वाली 20 एस० डब्ल्यू जी० छलनी 2.50 मि० मी० आई० एस० छलनी से न निकल सके।	यथोक्त

बे० बि०	बेबी बिट्स	छो० स० टू० में वर्णित छोटी प्राकुंर तथा टूटी हुई गिरियां जो 10 छिद्रों वाली 24 एस डब्ल्यू जी छलनी /1.70 मि० मी० आई एस छलनी में से न निकल सकें।	यथोक्त

सहयता : पैक किए जाने के समय अगली निम्न श्रेणी के या टुकड़ों के 5 प्रतिशत तक ।

ङ. काजू की गिरियां (भुने हुए टुकड़े)

श्रेणी अभिधान	व्यापार नाम	विवरण	साधारण लक्षण
भु ब	भुने हुए बट्स	तिरछी टूटी हुई गिरियां तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां	काजू की गिरियां काजुओं का छिलका उतारकर और छील कर (एनाकार्डियम आक्सिडेन्टल) से प्राप्त की जाएंगी तथा उचित रूप से शुष्क होंगी । कीटाणु द्वारा किए जाने वाले नुकसान खराब गिरियों, काले धब्बों तथा बीजावरण से पूर्णतः मुक्त होंगी । विकृत गंध वाली गिरियों से पूर्णतः मुक्त होगी । अधिक ताप के कारण भुने हुए टुकड़े हल्के भूरे या गहरे हाथी दांत के रंग के हो सकते हैं ।
भ टु	भुने हुए टुकड़े	प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी हुई गिरियां	काजू की गिरियां काजुओं का छिलका उतारकर और छील कर (एनाकार्डियम आक्सिडेन्टेल) से प्राप्त की जाएंगी तथा उचित रूप से शुष्क होंगी । कीटाणु द्वारा किए जाने वाले नुकसान खराब गिरियों , काले धब्बों तथा बीजावरण से पूर्णतः मुक्त होंगी । विकृत गंध वाली गिरियों से मुक्त होंगी । अधिक ताप के कारण भुने हुए टुकड़े हल्के भूरे या गहरे हाथी दांत के रंग के हो सकते हैं ।
भु टु	भुने हुए टुकडे	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां किन्तु जो 4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू जी० छलनी/4.75 मि० मी० आई एस छलनी में से न निकल सकें।	
भु छो टु	भुने हुए छोटे टुकड़े	भु टु में वर्णित गिरियों से छोटी टूटी हुई गिरियां किन्तु जो 6 छिद्रों वाली 20 एस डब्ल्यू जी छलनी / 2.80 मि० मी० आई एस छलनी में से न निकल सकें ।	यथोक्त

सहूयता : पैक किए जाने के समय अगली निम्न श्रेणी के या टुकड़ों के 5 प्रतिशत तक ।

च. डेजर्ट काजू की गिरियों के टुकड़े

श्रेणी अभिधान	व्यापार नाम	विवरण	दूषण	साधारण लक्षण
भु घ टु	भुने हुए घटिया टुकडे या भुने हुए टुकडे 1-क	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां किन्तु जो 4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू जी छलनी / 4.75 मि० मी० आई एस छलनी में से न निकल सकें।	सिकुड़ी हुई गिरियों के टुकड़े कच्ची गिरियों तथा काले धब्बों के कारण विकृत हो सकते हैं।	काजू की गिरियां काजुओं का छिलका उतार कर तथा छीलकर (ऐनाकार्डियम आक्सिडेन्टल) से प्राप्त की जाएंगी तथा उचित रूप से शुष्क होंगी । वे कीटाणु द्वारा किए जाने वाले नुकसान तथा बीजावरण से पूर्ण रूप से मुक्त होंगी । सतही धब्बों वाले तथा अपवर्णित भुने हुए टुकड़ों से अनुज्ञात होंगे गिरियां रंग में हल्की भूरी, गहरे हाथी के दांत के या गहरे नीले रंग की हो सकती है । कच्ची गिरियों के कारण विकृत हो सकती है तथा धब्बे भी हो सकते हैं।

1	2	3	4	5
डे टु	डेजर्ट टुकड़े	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां किन्तु जो 4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू जी छलनी/ 4.75 मि० मी० आई एस छलनी में से न निकल सके।	भु श टु में वर्णित से अधिक धब्बों वाली तथा ज्यादा भुनी हुई	यथोक्त
डे छो टु	डेजर्ट छोटे टुकड़े	उसी किस्म की किन्तु डे टु से छोटी गिरियां जो 6 छिद्रों वाली एस डब्ल्यू जी छलनी/ 2.80 मि० मी० आई एस छलनी से न निकल सके।	--	यथोक्त
डे ब	डेजर्ट बट्स	तिरछी टूटी हुई तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां।	--	यथोक्त
डे टु	डेजर्ट टुकड़े	प्राकृतिक रूप से लम्बी टूटी हुई गिरियां	--	यथोक्त

सह्यता :--पैक किए जाने के समय अगली निम्न श्रेणी के 10 प्रतिशत तक।

छ.—भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

1. कच्ची सामग्री

1.1. काजू की गिरियों का जिनमें भुनी हुई, बिना भुनी हुई साबुत गिरियों या उनके टुकड़े सम्मिलित हैं, भुनने तथा नमक लगाने के लिए प्रयोग की जाएगी।

1.2 वे किसी भी प्रकार के कीटाणु ग्रसन—फफूंदी वृद्धि, विकृत गन्ध तथा बीजावरण की उपस्थिति से पूर्णतः मुक्त होगी।

2. तैयार करना

2.1 भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियां, किसी भी मान्यता प्राप्त पकाने वाले बर्तन में उनको भूनकर तथा नमक लगाकर या सूखा भून कर तथा नमक लगाकर तैयार की जाएंगी।

2.2. पकाने के लिए प्रयुक्त बर्तन स्टैनलेस स्टील के होंगे।

2.3 भुनने से पहले गिरियों का आर्द्रता अंश 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. उत्पाद की अपेक्षाएं

3.1 क्रेता तथा विक्रेता के बीच की गई संविदा में तथा अनुबद्ध श्रेणी अभिदान तब तक अनुज्ञात होंगे जब तक कि वे तथ्यों का वर्ध्यपदेशन न करते हों।

3.2 रसायन विश्लेषण पर, काजू की गिरियां भूनकर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात निम्नलिखित सारणी में दर्शित स्वीकृति स्तरों के अंतर्गत होंगी।

सारणी

	स्वीकृति स्तर
मुक्त वसा अम्ल	0.4% (ओलिक अम्ल के रूप में)
पैरासाइड मूल्य	सतवसा के भार के अनुसार सतवसा का 2 एम ई जी, .02/कि ग्राम भुनी हुई तथा नमक लगी हुई गिरियों में मुक्त वसा अम्ल तथा पैराक्साइड मूल्य के प्राक्कलन की पद्धति परिशिष्ट में दिए गए निर्धारण की पद्धति के अनुसार होगी।

3.3 खाद्य अपमिश्र निवारण नियम, 1966 के अधीन अनुज्ञात परिरक्षक तथा सुरुचि कर्मक।

4. पैक करना

4.1 भुनी हुई और नमक लगाई हुई काजू की गिरियां क्रेता द्वारा ऐसे आकार के डिब्बों में और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुसार जो विनिर्दिष्ट की जाए पैक की जाएगी।

4.2 गिरियां संविदा की अपेक्षानुसार पन्नी में पैक की जा सकती है।

4.3 डिब्बे नए साफ और जंग रहित या किसी भी प्रकार के नुकसान से मुक्त होंगे।

4.4 गिरियां वैक्यूम वाले आधानों में या अक्रिय गैस के माध्यम से पैक की जाएगी।

4.5 क्रेता की पैक करने की अपेक्षाओं के अनुसार गत्ते (कार्ड बोर्ड) के डिब्बों में या विसंक्रमित लकड़ी की पेटियों में बंद किए जायेंगे।

4.6 प्रत्येक डिब्बों या पेटियों पर निम्नलिखित चिह्न होंगे:

(क) उत्पाद का नाम

(ख) विनिर्माता का नाम

(ग) पोत लदान (शिपिंग) चिन्ह

(घ) किलोग्रामों में शुद्ध और कुल भार।

5. मुहर बन्द करना

5.1 पैक किए जाने के पश्चात प्रत्येक परेषण उचित रूप से जैसा कि परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट हो मुहरबंद किया जाएगा।

परिशिष्ट

भुनी हुई और नमक लगाई हुई काजू की गिरियों में पैराक्साइड मूल्य के प्राक्कलन के लिए पद्धति

1. प्राक्कलन की प्रक्रिया

1.1 मिश्रक में 50 ग्राम काजू की गिरियों और पाउडर लें। 250 लिटर के डाटदार शक्वाकार फ्लास्क में पूरा सामग्री लें और उसमें 150 मिलीलीटर क्लोरोफार्म मिलाएं और फ्लास्क को रात भर हलित वक्षा (शेकर) में रखें। अगले दिन दूषण के अंतर्गत मसाले को सूखा फ्लास्क में छान लें। अवशेषों को फिर 100 मिलीलीटर क्लोरोफार्म में मिला दें और दो घंटे के लिए शेकर में रखें और फिर छान लें। तब क्लोरोफार्म 250 मिलिलीटर तक हो जाए।

1.2 अर्ग का 10 मिलीलीटर या लगभग 0.5 ग्राम वसा वाला यथोचित एलिकोट भाग सूखे और छोटे दो बीकरों (25 मिलीलीटर क्षमता वाले) में निकाला जाए। डिश को जल के ऊपर रखने से क्लोरोफार्म वाष्पित करना बंद कर दिया जाए और फिर देगचियों को 70 डिग्री सें०ग्रे० वाले वैक्यूम ओवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। वैक्यूम के अंतर्गत वाष्पीकरण एक घंटे के लिए किया जाएगा। देगचियां बाहर निकाल ली जाएंगी, शोषित्र में ठंडी की जाएंगी और उन्हें तोला जाएगा। देगचियों को फिर ओवन में 30 मिनट के लिए रखा जाएगा

फिर उठा लिया जाएगा और तोला जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि दो परिणाम आमक तोलों का अन्तर 5 मिलीग्राम से अधिक नहीं होगा।

1.3 4 ग्राम वसा वाले क्लोरोफार्म अर्क का एलिकोट 500 मिलिलीटर वाले डाटदार शक्वाकार फ्लास्क में डाला जाएगा और क्लोरोफार्म एसिटिक एसिड का 2:3 अनुपात प्राप्त करने के लिए ग्लेशल एसिटिक एसिड की अपेक्षित मात्रा मिलाई जाएगी। इसमें संतृप्त पोटाशियम आयोडीन घोल का 0.5 मिलीलीटर पिपेट किया जाएगा और घोल को कभी-कभी ठीक एक मिनट के लिए हिलाकर स्थिर रहने दिया जाएगा और फिर उसमें 50 मिली लीटर आसुत जल मिला दिया जाएगा 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट धीरे-धीरे मिलाते हुए और निरन्तर तथा बलपूर्वक हिलाते हुए इसका अनुमापन करें। अनुमापन लगातार करते रहें जब तक कि पीला बिल्कुल लुप्त न हो जाए। एक प्रतिशत स्टार्च सूचक का 0.5 मिलीलीटर मिलाएं और अनुमापन निरन्तर करते रहें जब तक कि नीला रंग लुप्त न हो जाए।

टिप्पण : (1) प्रतिदिन अभिकर्म का पूर्ण निर्धारण करें पूर्ण अनुमापन 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट के 0.1 मिलीलीटर से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि अनुमापन प्रारम्भ करने से पूर्व घोल का रंग हल्का पीला है तो उस अवस्था में स्टार्च सूचक का मिलाया जा सकता है।

(3) यदि अनुमापन 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट घोल के 0.5 मिलीलीटर से कम है तो 0.01 एन सोडियम थायोसल्फेट घोल का प्रयोग करते हुए निर्धारण को दोहराएं।

1.4 पैराक्साइड मूल्य की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। पैराक्साइड मूल्य निम्न के मिली तुल्यांकी रूप में होगा :—

1000 ग्राम वसा के अनुसार प्रति पैराक्साइड

$$\frac{(ए\text{-}बी)\ एम \times 1000}{डब्लू}$$

जहां ए—नमूने का अनुरूपन

बी—शून्य साधारणता

एन—थायोसल्फेट की

डब्लू—परीक्षण के लिए ली गई वसा का भस्म भार

2. मुक्त वसा अम्ल का प्राक्कलन :

2.1 लगभग 5 ग्राम वसा वाले क्लोरोफार्म के एक एलिकवाट को तोलने वाले शक्वाकार फलास्क में डाला जाएगा। जल तापन पर क्लोरोफार्म वाष्पित किया जाएगा। क्लोरोफार्म के अवशेषा वैक्यूम शोषन के वैक्यूम के अधीन हटा दिए जाएंगे। फलास्क को क्लोरोफार्म मुक्त वासा के साथ तोला जाएगा।

2.2 फिनोफ्थीलीन का सूचक के रूप में प्रयोग करते हुए अल्कोहल (आसुत) हल्के सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल सहित निष्प्रभावित होगा। 50 मिलीलीटर गर्म वसा में निष्प्राभावित अल्कोहल मिलाई जाएगी और फलास्क को अच्छी तरह हिलाया जाएगा। 0.1 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित अनुमापन तब तक करें जब तक कि गुलाबी रंग जो 30 सैकेन्ड के लिए स्थिर है लुप्त न हों।

टिप्पणी : यदि अनुमापन 0.1 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड को 0.5 मिलीलीटर से कम हो तो 0.2 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल प्रयुक्त करते हुए निर्धारण दोहराएं।

2.3 मुक्त वसा अम्ल की गणना निम्नानुसार की जा सकती है: तले के रूप में मुक्त वसीय अम्ल

$$प्रतिशत = \frac{ए \times एन \times 28.2}{डब्ल्य}$$

जहां ए—सोडियम हाइड्राक्साइड घोल का मिलि०

एन—सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल की प्रसामान्यता तथा

डब्ल्यू—जांच के लिए ली गई वसा का ग्राम में भार

एस—टीन के डिब्बों के लिए विनिर्देश

कोण की गिरियों के पैक करने के लिए प्रयोग किए गए टीन के डिब्बे 30 एस डब्ल्यू जी (0.3150 एम एम) की उत्तम क्वालिटी की टीन की चद्दर से बने होंगे तथा प्रत्येक डिब्बे का भार 1 किलोग्राम से कम नहीं होगा।

1. नलीदार तंतु बोर्ड डिब्बों के लिए विनिर्देश

सीलबंद डिब्बों के पैक किए जाने के लिए प्रयोग किए गए नालीदार तंतु बोर्ड डिब्बे 5—साई के होंगे तथा निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करेंगे, अर्थात् :—

क्रम संख्या	विशिष्टता	अपेक्षा
1	विस्फटन क्षमता कि० ग्रा०/सें० मी० ^{2} न्यूनतम	12
2	पदार्थ ग्राम/मी०^2 न्यूनतम	150
	(क) नलीदार माध्यम के लिए	
	(ख) लाइनरों के संयुक्त भार के लिए	450
3	प्लूट का प्रकार	क ख ग या इसके लिए उनका कोई भी सम्मिश्रण
4	पंचर प्रतिरोध यूनिट न्यूनतम	175

3. काजू की गिरियां पैक करने के लिए प्रयोग की गई लकड़ी की पेटियों के लिए विनिर्देश

यदि विदेशी क्रेता उत्पाद लकड़ी की पेटियों में प्राप्त करना चाहते है तो ऐसी लकड़ी की पेटियां निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेंगी, अर्थात् :—

(1) पेटियां साफ और सूखी होंगी ;

(2) पेटियों को कीट ग्रसन से रोकने के लिए उचित रसायनों से संसाधित किया जाएगा और वे फंफूदी से मुक्त होंगी; तथा

(3) पेटियां बनाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी के तख्तों में फलक के लिए 12 मिलीमीटर की और अन्य फलकों के लिए 6 मिलीमीटर की मोटाई होगी।

उपाबंध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप)

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काजू की गरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1981 है।

(2) ये को प्रवृत्त होंग।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली या मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है

(ग) "काजू की गिरियों" से सभी प्रकार की काजू की बिना भुनी हुई साबुत टुकड़ों में, भुनी हुई तथा नमक मिली हुई गिरियां अभिप्रेत हैं।

3. क्वालिटी नियंत्रण —अभिकरण द्वारा अनुमोदित केवल प्रसंस्करण यूनिटें ही निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने का पात्र होंगी तथा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अर्हित होने के लिए एक यूनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए :

(क) संभरक यूनिटें अभिकरण द्वारा अनुमोदित केवल संभरक यूनिटें ही निर्यात के लिए कच्ची काजू की गिरियों को संसाधित करेंगी।

साधारण यूनिट में प्रचलित कीट विज्ञान पहलुओं के विशेष निर्देश से सफाई तथा स्वास्थ्य की स्थितियों के विनिर्णय के लिए तथा निर्यात के लिए काजू की गिरियों के प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध न्यूनतम सुविधाओं की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए संभरक यूनिटें/ग्राम्य कारखाने अभिकरण द्वारा मूल्यांकन किए जाने के अध्यधीन होंगे। संभरक यूनिट के पास नीचे यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होंगी।

क.1 परिवेश और निर्माण

(क) उन यूनिटों का परिवेश, जो प्रसंस्करणकर्ता के भौतिक नियंत्रण के अधीन है ऐसा होगा जिससे किसी भी सफाई की कोई समस्या नहीं होगी।

(ख) भवन/शेड सामाधन प्रद रूप में रखे जाएंगे।

(ग) कार्य करने वाले कक्षों को ग्रसन की किसी भी जोखिम से बचाने के लिए अच्छी अवस्था में रखा जाएगा।

क. 2. प्रसंस्करण क्षेत्र

(क) कच्ची गिरी के गोदाम तथा प्रसंस्करण कक्ष इस प्रकार के होंगे कि प्रभावशाली प्रति पीड़क तथा पीड़क हरण संक्रियाएं की जा सकें?

(ख) प्रसंस्करण कक्षों में कृन्तक पक्षियों तथा मक्खियों का प्रवेश रोकने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) सभी कार्य क्षेत्रों में अच्छी रोशनी होगी।

(घ) खाद्य उत्पादों के भण्डारकरण के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र या कक्ष और डिब्बे उनके पृथक और सुभिन्न होंगे जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए गए हैं।

(ङ) सभी बरतन, ट्रे मेज की सतह, जो सामग्री के सम्पर्क में आती हैं, प्रयोग के पूर्व पश्चात् तथा प्रयोग के अन्तरालों के दौरान जब भी आवश्यक हों, साफ की जाएंगी।

क. 3. प्रसाधन सुविधा

यूनिट में विधि के अधीन यथा अपेक्षित पर्याप्त प्रसाधन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

प्रसाधनों में साबुन तथा पर्याप्त पानी के प्रदाय का प्रबंध किया जाएगा।

क. 4 कार्मिकों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता

(क) संयंत्र का प्रबंध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संचरणीय रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति न दी जाय।

(ख) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति कार्य करते समय अपनी अत्यधिक सफाई रखेंगे।

(ग) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् कक्ष प्रसंस्करण में प्रवेश करने से पर्व अपने हाथ धोएंगे।

(घ) प्रसंस्करण कक्षों में किसी भी रूप में तम्बाकू का चबाना, सूंघना तथा प्रयोग करना प्रतिषिद्ध होगा।

क.5 परिवहन सुविधाएं

यह सुनिश्चित किए जायेगा कि पूर्व प्रसंस्कृत तथा तैयार उत्पाद पैक किये जाने वाले केन्द्रों में केवल पालिथीन के स्तर वाले/ जंक रहित धातु के डिब्बों में ले जाया जाता है।

क.6 निरीक्षण प्रक्रिया

(क) संभरण यूनिटों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निर्यातकर्ता परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सम्भरण यूनिटों के ब्योरे अभिकरण को लिखित रूप में देगा।

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी यूनिट को प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य दशाओं का विनिर्णय करने के लिए संभरण यूनिटों में जायेंगे।

(ग) यदि यह पाया जाता है कि इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं यूनिट में उपलब्ध हैं और स्वास्थ्यकर तथा स्वच्छता दशाएं समाधानप्रद हैं और कोई ग्रसन समस्या दिखाई नहीं देती है, तो अभिकरण को यूनिट का अनुमोदन कर देगा तथा निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के लिए अनुज्ञा दे देगा।

(घ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम स्वास्थ्यकर तथा स्वच्छता दशाएं नहीं हैं तो प्रसंस्करण कर्ता को उस यूनिट में निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ङ) वह यूनिट, जिसका अनुमोदन नहीं किया गया है या जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है। दोषों पर सुधार करने के पश्चात् नया अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नया आवेदन-पत्र दे सकता है।

(च) यदि किसी भी समय उत्पाद की अनुरूपता बनाए रखने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो अभिकरण को सूचना देते हुए निर्यात के लिए उत्पादन को निलम्बित किया जाए, परन्तु अभिकरण दोषों का सुधार करने के लिए दो सप्ताह की सूचना अवधि देगा।

(छ) निर्यात के लिए प्रक्रिया केवल तभी पुनः आरम्भ की जाएगी जब अभिकरण उसका लिखित अनुमोदन कर दे।

(ज) भूनना, सुखाना, छिलका उतारना, श्रेणीकरण, भण्डारकरण इत्यादि जैसी संसाधन प्रक्रियाएं यूनिट के अनुभवी कार्मिक के पर्यवेक्षणाधीन स्वास्थ्यकर दशाओं में की जाएंगी।

(झ) प्रसंस्करण संक्रियाओं की, जब भी आवश्यक समझा जाए, अभिकरण के अधिकारी जांच पड़ताल करेंगे।

क.7 प्रसंस्करण

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक प्रति-पीड़क तथा पीड़क-हरण उपाय कालिकतः तथा जब कभी अभिकरण के अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया जाए किए जाते हैं।

ख. पैक करने के केन्द्र

साधारण : अभिकरण द्वारा अनुमोदित पैक किए जाने के केन्द्र ही निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने के पात्र होंगे।

ख.1 ऐसे अनुमोदित पैक किए जाने के केन्द्र केवल अनुमोदित संभरण यूनिटों से ही निर्यात के लिए पैक करने वाली गिरियां प्राप्त करेंगे। अनुमोदन के लिए अर्हता होने के लिए पैक करने वाले केन्द्र के पास नीचे यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए।

ख. 2 परिवेश, सन्निर्माण तथा अभिन्यास

(क) भवन स्थायी/अर्धस्थायी सन्निर्माण का होगा तथा अच्छी दशा में रखा जाएगा।

(ख) उस परिसर के जो प्रसंस्करण कर्ता के भौतिक नियंत्रण के अधीन है, आस पास किसी भी प्रकार का दलदल, कूड़े का ढेर या पशु गृह नहीं होगा, जो किसी भी प्रकार की सफाई की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता हो।

(ग) कार्यकारी परिसरों से प्रसंस्करण की किसी भी जोखिम से बचाने के लिए अच्छी दशा में रखा जाएगा ।

ख. 3 प्रसंस्करण क्षेत्र

(क) प्रसंस्करण कक्षों में कीटाणुओं कृंतकों, पक्षियों तथा मजातियों के प्रवेश का निवारण करने के लिए उपाय किए जाएंगे ।

(ख) सभी कार्य क्षेत्रों में अच्छी रोशनी होगी ।

(ग) खाद्य उत्पादों के भण्डारकरण के लिए प्रयोग किए गए या कक्ष उनसे पृथक और सुभिन्न होंगे, जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए जाते है ।

(घ) प्रसंस्करण संक्रियाओं के दौरान कार्यकारी क्षेत्रों में से अपशिष्ट सामग्री बारंबार हटायी जाएगी ।

(ङ) सभी बर्तन, ट्रे तथा मेज की सतह, जो काजू की गिरियों के सम्पर्क में आती है प्रयोग के पूर्व, पश्चात् तथा प्रयोग अन्तरालों के दौरान, जब भी आवश्यक हों, साफ की जाएंगी ।

(च) सभी छोटे पात्र जैसे ट्रे, बाऊल और क्षेत्रों को भरने के लिए प्रयुक्त बर्तन लकड़ी के अतिरिक्त संक्षारण सामग्री से बने होंगे तथा उनकी सतह दरारों से मुक्त चिकनी होगी ।

(छ) प्रसंस्करण संक्रियाओं के दौरान रही कार्यकारी क्षेत्रों से बारंबार हटाई जाएंगी ।

(ज) पैकिंग/भराई अनुभाग के प्रवेश पर हाथ धोने की सुविधा जैसे हाथ धोने का पात्र तथा साबुन की सुविधा होगी ।

ख. 4 मशीनरी

(क) पैकिंग केन्द्र के पास 26" ऊंचाई के वेक्यूम को निकालने के योग्य एक विटापैक उपकरण अच्छी कार्यकारी दशा में होगा । वैक्यूमीकरण के दौरान डिब्बों में से निकाली गई वैक्यूम उपदर्शित करने के लिए मेज के साथ विटापैक्स लगाया जाएगा ।

(ख) पैकिंग केन्द्र के गहराई अनुभाग में बाह्य बाहरी पदार्थ संदूषकर्ता (पी० एफ०—एम० एस०) का प्रबंध किया जाएगा जो गिरियों के साथ विद्यमान बाह्य पदार्थ को पृथक करेगा । काजू की गिरियों को भरने का सम्पूर्ण कार्य केवल पी० एफ० एम० एस० द्वारा ही किया जाएगा ।

(ग) स्वास्थ्य दशाओं के अधीन रखे गए पैकिंग केन्द्र में, गिरियों को अनुकूल रखने के लिए आवश्यक नीतलन सुविधाएं होंगी ।

ख. 5 प्रसाधन सुविधाएं

सफाई के प्रकार की पर्याप्त प्रसाधन सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा । प्रसाधनों में साबुन तथा पर्याप्त पानी का प्रबंध किया जाएगा ।

ख. 6 कार्यकारों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता

(क) प्लांट प्रबंध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संक्रामक रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति न दी जाए ।

(ख) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति कार्य करते समय अपनी अत्यधिक सफाई रखेंगे ।

(ग) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् प्रसंस्करण कक्षों में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ धोएंगे ।

(घ) प्रसंस्करण कक्षों में खाने, थूकने तथा किसी भी रूप में तम्बाकू का प्रयोग करना प्रतिषिद्ध होगा ।

(ङ) प्रसंस्करण कक्षों में खाना रखने वाले डिब्बे नहीं रखे जाएंगे ।

(च) प्रबंधमंडल गराई तथा पैकिंग अनुभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्वच्छ एप्रेन तथा टोप (हैडगियर) देगा ।

ख. 7 पैक करने वाले केन्द्रों का अनुमोदन

(क) निर्यात करने के लिए काजू की गिरियों को पैक करने का इच्छुक प्रसंस्करणकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना, लिखित रूप में परिषद् द्वारा विहित प्रोफार्मा में, अभिकरण को देगा ।

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण के अधिकारी पैकिंग यूनिट में यह देखने के लिए जाएंगे कि यूनिट में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं उपलब्ध है ।

(ग) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम विहित सुविधाएं हैं तो यूनिट को निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने के लिए अनुमोदित कर दिया जाएगा ।

(घ) किसी यूनिट को दिया गया अनुमोदन कम से कम दो सप्ताह की सूचना देने के पश्चात्, निम्नलिखित कारणों से वापस ले लिया जाएगा, अर्थात् :—

(1) यदि उपस्कर तथा मशीनरी अच्छी कार्यकारी दशा में न हो ;

(2) यदि यूनिट की स्वच्छता तथा सफाई बराबर समाधान प्रद न हो,

(3) यदि संभरण यूनिट की स्वच्छता तथा सफाई की दशा समाधानप्रद है तथा अभिकरण के अधिकारियों ने कीट विज्ञान सर्वेक्षण में कीट ग्रसन के मामलों को देखा हो ।

(4) यदि प्रसंस्करणकर्ता ने परिषद् द्वारा जारी किए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण या जानबूझ कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया हो ।

(ङ) प्रसंस्करणकर्ता को अनुमोदन को ऐसे वापस लेने के बारे में लिखित रूप में सूचना दी जाएगी ।

(च) जब विटापैक मशीन विहित कार्यकारी दशा में न हो तो यूनिट में विटापैक कार्य नहीं किया जाएगा ।

(छ) वह यूनिट जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है, दोषों को सुधारने के पश्चात् फिर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नया आवेदन-पत्र देगा ।

(ज) यदि किसी यूनिट को किसी भी समय किसी कारण से अपेक्षाओं की अनुरूपता रखने में कठिनाई हो या अभिकरण द्वारा निर्देशित किया गया हो तो अभिकरण को सूचित करते हुए, निर्यात के लिए उत्पाद को निलम्बित कर दिया जाएगा ।

(झ) निर्यात के लिए प्रसंस्करण को केवल तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब वह लिखित रूप में अभिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए ।

ग. संयुक्त यूनिट

एक संयुक्त काजू का कारखाना, जिसके पास निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने तथा पैक करने दोनों के लिए सुविधाएं हैं, संभरण यूनिट तथा पैकिंग केन्द्र के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की विहित सुविधाएं रखने वाला माना जाएगा ऐसी यूनिटों के लिए एक संयुक्त अनुमोदन पर्याप्त होगा ।

(घ) अभिलेखों का रखा जाना

काजू की गिरियों के प्रसंस्करण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करणकर्ता सम्बन्धित परिसरों पर आवश्यक अभिलेख/रजिस्टर

रखेगा और ये अभिकरण के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए, जब भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराए जाएंगे।

ङ. निरीक्षण की प्रक्रिया

(क) काजू की गिरियों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात कर्ता परिषद् द्वारा विहित प्रोफार्मा में अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र भी देगा कि काजू की गिरियों का परेषण, इस संबंध में अभिकरण द्वारा यथा विहित क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग करते हुए प्रसंस्कृत किया गया है।

(ख) ऐसी सूचना पोत लदान के लिए प्रमाण-पत्र की प्राप्ति की अपेक्षित तारीख से कम से कम सात कार्य दिवस (भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों के सम्बन्ध में 15 कार्य दिवस) से पूर्व अभिकरण के कार्यालय को पहुंच जाएगी।

(ग) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण सामान्यतः अपेक्षित रूप से जांच नमूने लेगा और यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किया जाने वाला परेषण विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है तो वह निर्यात कर्ता को यह घोषणा करते हुए कि परेषण निर्यात योग्य है, प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(घ) जब अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार कर देगा तथा ऐसे इन्कार की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यात कर्ता को देगा।

(ङ) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अभिकरण के अधिकारी सुसंगत अभिलेखों और उन परिसरों तक, जहां काजू की गिरियों का प्रसंस्करण, पैकिंग तथा भंडारकरण किया जाता है, पहुंच होगी।

(च) प्रमाणन के पश्चात् भी अभिकरण को भण्डारकरण में या पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(छ) परेषण के इन प्रक्रमों में से किसी भी प्रक्रम पर मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने पर मूल रूप से जारी किया गया प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा।

4. निरीक्षण फीस

श्रेणी बेबी बिट्स (बी० बी०) जो जिसके 12.70 कि० ग्राम या उसके भाग के लिए साठ पैसे फीस है, छोड़कर 11.34 कि० ग्राम० काजू की गिरियों या इसके भाग के लिए साठ पैसे की दर से फीस वसूल की जाएगी। तथापि भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के मामले में प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम 30/- रुपए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक 100 रुपए या इसके भाग के लिए 30 पैसे की दर से फीस ली जाएगी।

5. अपील

(क) अभिकरण द्वारा खण्ड 6 (घ) या ख. 7 के अधीन उसकी यूनिट के लिए अनुमोदन प्रदान करने से या नियम ङ के अधीन निर्यात योग्य का प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उसको द्वारा ऐसे इन्कार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के सम्बन्धित पैनल के संयोजक को, जिसमें कम से कम तीन परन्तु अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, अपील कर सकता है।

(ख) विशेषज्ञ पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य व्यवसायी सदस्य होंगे।

(ग) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(घ) अपील उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[सं० 6(1)/81-नि०नि० तथा नि० उ०]
सी० बी० कुकरेती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 10th October, 1981

S.O. 2752.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that Cashew Kernels should be subjected to Quality Control and Inspection prior to export.

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 1022 and 1023 dated the 26th March, 1966 and S.O. No. 275 dated the 21st January, 1978 relating to Cashew Kernels hereby publishes the said proposals for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggesti on with respect to the said proposals may forward the same within 45 days of the date of publication of this order in this Official Gazette to the Export Inspection Council, 'Manohar', M. G. Road, Ernakulam, Cochin-682011.

PROPOSALS

(1) To notify that Cashew Kernels shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1981 as set out in Annexure-I to this order as the type of inspection which shall be applied to Cashew Kernels prior to their export;

(3) To recognise the specifications as set out in Annexure to this order as the standard specifications for Cashew Kernels

(4) To prohibit the export of Cashew Kernels in the international trade unless the same are accompanied by a certificate of inspection issued by an Agency recognised by the Central Government under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to the effect that Cashew Kernels confirm to the standard specifications and are exportworthy.

(5) Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of Cashew Kernels to prospective buyers, provided that no such sample is in excess of F. O. B. value of Rs. 250/-.

(6) In this order, 'CASHEW KERNELS' means all types of Cashew Kernels-unscorched, scorched, wholes, pieces, roasted and salted Kernels.

ANNEXURE

Specifications for Cashew Kernels

1. Grade designations, trade names and general characteristics etc. for different varieties shall be as follows :

A. CASHEW KERNALS (Whole)

Grade designation	Number of Kernels per lb.	General Characteristics
W/180	170/180	Cashew Kernels shall have been obtained through shelling and peeling cashewnuts (Anacardium Occidentale) shall have the characteristics shape shall be white pale ivory or light ash in colour and reasonably dry. They shall be completely free from insect damage, damaged Kernels and black or brown spots. They shall be completely free from rancid Kernels. The Kernels shall be completely free from tests.
W/210	200/210	
W/240	220/240	
W/280	260/280	
W/320	300/320	
A/400	350/400	
W/450	400/450	
W/500	450/500	
Tolerance :	Broken Kernels and Kernels of the next lower grade, if any, shall not together exceed 5% at the time of packing.	

B. SCORCHED CASHEW KERNELS (Whole)

Grade designation	Trade Name	General Characteristics
SW1	Scorched Wholes	Cashew Kernels shall have been obtained through shelling and peeling cashewnuts (Anacardium OCCIDENTALE); shall have the characteristic shape; shall be reasonably dry. They shall be completely free from insects damage, damaged Kernels and black spots and tests. They shall be completely free from rancid Kernels may be light brown, light ivory, light ash or deep ivory in colour due to scorching as result of overheating.
Tolerance : Boken Kernels and Kernels of the next lower grade, if any, shall not together exceed 10% at the time of packing.		

C. DESSERT CASHEW KERNELS (Whole)

Grade designation	Trade Name	Blemish	General Characteristics
SSW or SW IA	Scorched Wholes Second or Scorched Wholes 1. A	Slightly Shrivelled Kernels	Cashew Kernels shall have been obtained by shelling and peeling cashewnuts (Anacardium Occidentale) shall have the characteristics shape, be reasonably dry. They shall be completely free from insect damage and tests. slightly scorched Kernels and Kernels with slight speckling and discolouration permitted. They shall be completely free from rancid Kernels. The Kernels may also be immature. The Kernels may be light brown, light blue or light ivory in colour due to scorching.
DW	Desert Wholes		Cashew Kernels shall have been obtained by shelling and peeling cashewnuts (Anacardium Occidentale) shall have the characteristic shape, shall be reasonably dry. They shall be completely free from insect damage and tests. Scorched, discoloured, speckled and shrivelled Kernels permitted. Rancid Kernels not permitted. The Kernels may show deep black spots.
Tolerance : Broken Kernels or Kernels of the next lower grade, if any, shall not together exceed 5% at the time of packing.			

D. CASHEW KERNELS (White pieces)

Grade dosignation	Trade Name	Descriptkon	General Characteristics
B	Butts	Kernels broken crosswise and naturally attached	Cashew Kernels shall have been obtained by shelling and peeling cashewnuts (Anacardium Occidentale) shall be white, pale ivory or light ash in colour and reasonably dry. They shall be completely free from insect damage, damaged Kernels and black spots. They shall be completely free from rancid Kernels. The pieces shall be completely free from tests.
S	Splits	Kernels split naturally lengthwise	
LWP	Large White pieces	Kernels broken into more than two pieces and not passing through a 4 mesh 16 S. W. G. sieve/ 4 75 mm-I.S. Sieve.	-do-

1	2	3	4
SWP	Small White pieces	Brordon Kernels smaller than those described as LWP but not passing through a 6 mesh 20 SWG sieve/2 80 mm—I. S. Sieve	-do-
BB	Baby Bits	Plumules and broken Kernels smaller than those described as SWP but not passing through a 10 mesh 24 SWG sieve/1.70 mm—I.S. sieve	-do-

Tolerance : upto 5 percent of the next lower grade or pieces at the time of packing.

E. CASHEW KERNELS (Scorched pieces)

Grade designation	Trade Name	Description	General Characteristics
SB	Scorched Butts	Kernels broken crosswise and naturally attached	Cashew Kernels shall have been obtained through shelling and peeling cashewnuts (Anacardium Occidentals) and shall be reasonably dry. They shall be completely free from insect damage, damaged Kernels, black spots and tests. They shall be free from rancid Kernels. The pieces may be light brown deep ivory in colour due to scorching as a result of over heating.
SS	Scorched Splits	Kernels split naturally lengthwise	Cashew Kernels shall have been obtained through and shelling and peeling cashewnuts (Anacardium Occidentals) and shall be reasonably dry. They shall be completely free from insect damage, damaged Kernels, black spots and testa. They shall be free from rancid Kernels. The pieces may be light brown or deep ivory in colour due to scorching as a result of over heating.
SP	Scorched pieces	Kernels broken into pieces and not passing through a 4 mesh 16-SWG sieve/4.75 mm—I.S. Sieve	-do-
SSP	Scorched Small pieces	Broken Kernels smaller than those described as SP but not passing through a 6 mesh 20 SWG sieve/2.80 mm—I.S. Sieve	-do-

Tolerance : Upto 5 percent of the next lower grade or pieces at the time of Packing

F. DESSERT CASHEW KERNELS PIECES

Grade designation	Trade Name	Description	Blemish	General Characteristics
1	2	3	4	5
SPS	Scorched Pieces Seconds or Scorched Pieces 1A	Kernels broken into pieces but not passing through 4 mesh 16 SWG sieve/4.75 mm—I. S. Sieve	Pieces of shrivelled Kernels may be deformed due to immature nuts and black spots.	Cashew Kernels shall have been obtained through shelling and peeling Cashewnuts (Anacardium Occidentals) and shall be reasonably dry. They shall be completely free from insect damage and testa. Scorched pieces with surface speckling and discolouration permitted. The Kernels may be light brown deep ivory or light to deep blue in colour. May be deformed due to immature nuts and may have spots.

1	2	3	4	5
DP	Dessert Pieces	Kernels broken into pieces but not passing through 4 mesh 16 SWG sieve/4.75 mm—I.S. Sieve	More shrivelled than those described as SPS & deeply scorched	-do-
DSP	Dessert Small Pieces	Kernels of the same description as, but smaller than DP and not passing through a 6 mesh 20 SWG sieve/2.80 mm—I. S. Sieve.	—	-do-
DB	Dessert Butts	Kernels broken crosswise and naturally attached.	—	-do-
DS	Dessert Splits	Kernels split naturally lengthwise	—	-do-

Tolerance : Upto 10 percent of the next lower grade at the time of packing.

G. Specifications for roasted and salted Cashew Kernels.

1. Raw material

1.1 Cashew Kernels, which shall include scorched, unscorched whole or pieces shall be used for roasting and salting.

1.2 They shall be completely free from insect infestation of any kind, fungal growth, rancidity and the presence of testa

2. Preparation

2.1 Roasted and salted Cashew Kernels shall be prepared by roasting the cashew Kernels in any of the recognised cooking media and salting, or through the dry roasting and salting process.

2.2 The cooking utensils used shall be of stainless steel.

2.3 The moisture content of the Kernels before roasting shall not be more than 3.5 per cent.

3. Product requirements

3.1 The grade designations as stipulated in the contract between the buyer and the seller shall be allowed unless they make any misrepresentation of the facts.

3.2 The kernels, after the preparation through roasting and salting, on chemical analysis, shall be within the acceptance levels shown in the Table below :

The Table

	Acceptance levels
Free fatty acid	— 0.4% (as oleic acid) on the weight of extracted fat
Peroxide value	— 2 meq./.02 kg. of extracted fat

The method of estimation of Free Fatty Acid and Peroxide value in roasted and salted cashew Kernels shall be as per the method of determination given in the Appendix.

3.3 Preservatives and flavouring agents permitted under the prevention of Food Adulteration Rules, 1966.

4. Packing

4.1 The roasted and salted cashew Kernels shall be packed in consumer containers of the size and other requirements as may be specified by the buyer.

4.2 The Kernels may also be foil packed as required in the contract.

4.3 The containers shall be new, clean and free from rusting or any kind of damage.

4.4 Kernels shall be packed in the containers under vacuum or in the medium of inert gas.

4.5 The containers shall be packed in cardboard cartons or disinfected wooden cases according to the packaging requirements of the buyer.

4.6. Each carton of case shall be marked to show—

(a) name of the product

(b) name of the manufacturer

(c) shipping marks

(d) net and gross weight in Kgs.

5. Sealing

5.1 Each consignment after packing shall be suitably sealed as may be specified by the Council.

APPENDIX

Method for estimation of peroxide value in Roasted and Salted Cashew Kernels :

1. Procedure of estimation

1.1. Weight 50 gms. of Cashew Kernels and powder these in a grinder.

Take the powdered material in 250 ml. stoppered conical flask and add 150 ml. of chloroform, keep the flask in shaker over night. Next day the slurry is filtered in a Buchner flask under suction. The residue again mixed with 100 ml. of chloroform and kept in a shaker for two hours and filter. The volume of the combined chloroform extracts is then made upto 250 ml.

1.2. 10 ml. each of the extract or suitable aliquot portion containing about 0.5 gm. Fat is pipetted out into two previously dried and weighed in small beakers (25 ml. capacity) Chloroform is evaporated off by keeping the dishes on water bath. Then the dishes are transferred to a vacuum oven maintained at 70°C. Evaporation under vacuum is carried out for one hour. Dishes are taken out, cooled in a desicator and weighed. The dishes are again kept in the oven for 30 minutes, then taken out, cooled and weighed. This process is repeated until the difference between the two consecutives weighings is not more than 5 mg.

1.3. Aliquot of the chloroform extract containing about 4 gm. of fat is taken in a 500 ml. stoppered conical flask and required quantity of glacial acetic acid is added to get 2 : 3 ratio of chloroform acetic acid. 0.5 ml. of saturated potassium

iodide solution is pipetted out into this and the solution is allowed to stand with occasional shaking for exactly 1 minutes and then 50 ml. distilled water is added. Titrate this with 0.1 N Sodium thiosulphate adding it gradually and with constant and vigorous shaking. Titration is continued until the yellow colour has almost disappeared. 0.5 ml. of 1% starch indicator is added and the titration continued until the blue colour just disappeared.

Note :

(1) Conduct blank determination of the reagent daily. Blank titration should not exceed 0.1 ml. of 0.1.N. Sodium thio-sulphate.

(2) if the colour of the solution is light yellow before the start of titration, starch indicator may be added at that stage.

(3) If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1.N. Sodium thio-sulphate solution, repeat the determination using 0.01 N. Sodium, thio-sulphate solution.

1.4. The peroxide value may be calculated as under :

Peroxide value as milli equivalents of peroxide per 1000 gm.

$$\text{of fat} = \frac{(a-b) \times N \times 1000}{W}$$

Where a = Titration of samples :
b = blank
N = Normality of thiosulphate
W = Weight of fat taken for test

2. Estimation of free fatty acids

2.1. An aliquot of the chloroform containing about 5 gm. of fat is taken in a weighed conical flask. Chloroform is evaporated off on a water bath. Traces of chloroform is removed under vacuum in the vacuum oven. Flask is weighed with chloroform free fat.

2.2. Absolute alcohol (Distilled) is neutralised alcohol with dilute sodium hydroxide solution using phenolphthalein as indicator. To the fat 50 ml. of hot, neutralised alcohol is added and the flask is shaken well. Titrate with 0.1.N. Sodium hydroxide till a pink colour which is stable for 30 seconds appeared.

Note : If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1.N. Sodium Hydroxide solution repeat the determination using 0.02.W. Sodium Hydroxide solution.

2.3. The free fatty acid may be calculated as under :

$$\text{Free fatty acid as oleic, percentage} — \frac{A \times NX''28.2}{W}$$

Where A—ml. of the sodium hydroxide solution
N—normality of the sodium hydroxide solution and
W—Weight in gas of fat taken for test

H. Specifications for tin containers :

The tin containers used for packing Cashew Kernels shall be fabricated of prime quality tinsheets of 30 SWG (0.3150 mm.), and each container shall weigh not less than 1 Kg.

I. Specifications for corrugated fibre board cartons

The corrugated fibre board used for packing sealed tins shall be of 5-ply, and also satisfy the following requirements, namely :

Sl. No.	Property	Requirement
I	Brusting strength Kg/cm2 min	12
II	Substance g/m2/min	
	(a) For corrugation medium	150
	(b) For combined weight of liners	450
III	Type of flute	A, B, C or any combination of these thereof
IV	Puncture resistance units min	175

J. Specifications for wooden boxes used for packing Cashew Kernels :

In case a foreign buyer desire to obtain the product in wooden boxes, such wooden boxes shall satisfy the following requirements, namely :

(i) The boxes shall be clean and dry.

(ii) The boxes shall be treated with suitable chemicals against insect infestation, and be free from mould growth; and

(iii) The wooden planks used for making boxes shall have a thickness of 12 mm for the plank, and 6 mm for other planks.

ANNEXURE

(Draft rules proposed to be made under Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the................

2. Definitions.—In these rules, unless the context other wise requires :

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) 'AGENCY' means anyone of the agencies, established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras ;

(c) 'CASHEW KERNELS' means all types of Cashew Kernels—unscorched, scorched, wholes, pieces, roasted and salted kernels,

3. Quality Control.—Only processing units approved by the agency shall eligible for processing Cashew Kernels for export and a unit to qualify for approval shall have the minimum facilities as specified below .

A. Feeder units

Only Feeder units approved by the Agency shall process raw cashewnuts for export.

General : In order to adjudge the sanitary and hygienic conditions with special reference to entomological aspects prevailing in the unit and assess the adequacy of the minimum facilities available to process Cashew Kernels for export, the feeder units/branch factories shall be subjected to an evaluation by the Agency. A feeder unit shall have the minimum facilities as specified below ·

A. 1 Surroundings and Construction

(a) The surroundings of units, which are under the physical control of the processor, shall be such as not to pose any sanitary problems.

(b) The building/shed shall be maintained satisfactorily.

(c) The working rooms shall be maintained in goods repair to prevent any risk of infestation.

A. 2 Processing Areas :

(a) The raw nut godowns and the processing rooms shall be such as to permit effective anti-infestation and dis-infestation operations.

(b) Arrangments shall be available to prevent entry of rodents, birds and the like into the processing rooms.

(c) All the working areas shall be well lighted.

(d) Areas or compartments and the containers used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used for inedible materials.

(e) All the utensils, trays and table surfaces which come in contact with the material shall be cleaned before, after and during intervals of use as often as necessary.

A. 3 Toilet facility :

Adequate toilet facilities as required under the law shall be provided in the unit. Soap and plentiful supply of water shall be provided at the toilets.

A. 4 Personal health and hygiene :

(a) Plant management shall have the care to ensure that no person, while known to be affected with a communicable disease, is permitted to work in any area of the unit.

(b) All persons workings in the processing area shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty.

(c) The workers shall wash their hands before entering the processing room after each absence.

(d) Chewing, spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing rooms.

A. 5 Transportation Facilities :

It shall be ensured the pre-processed and finished products are transported to the packing centres only in polythene laminated/non rusting metallic containers.

A. 6 Procedure of Inspection :

(a) For the purpose of assessment of feeder units, the exporter shall inform the Agency in writing, in the proforma prescribed by the Council, the details of the feeder units.

(b) On receipt of such information, the Agency officers shall visit the feeder units in order to adjudge the sanitary and hygienic conditions and facilities for processing available in the unit.

(c) If the unit is found to have the minimum facilities as specified in these rules and the hygienic and sanitary conditions are satisfactory and no infestation problems noticed, the agency shall approve the unit and permit it to carry out processing of cashew kernels for export.

(d) If the unit is found not to have the minimum sanitary and hygienic conditions, the processor shall not be allowed to process Cashew Kernels for export in that unit.

(e) A unit which is not approved or whose approval has been withdrawn may, after rectifying the defects, make fresh application to the Agency for getting fresh approval.

(f) If at any time there is any difficulty in maintaining the conformity of the product to the production for export shall be susnended under intimation to the Agency, provided, however that the Agency shall give a notice period of 2 weeks for rectification of defects.

(g) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing.

(h) The processing operations such as roasting, drying peeling, grading, storage etc., shall be carried out in hygienic conditions under the supervision of experienced personel of the unit

(i) The processing operations shall be subjected to check by the Agency officers as often as found necessary.

A. 7. Processing :

It shall be ensured that necessary anti-infestation and disinfestation measures are carried out periodically and as and when suggested by the Agency Officers.

8. Packing Centres :

General : Only packing centres approved by the Agency shall be eligible for packing Cashew Kernels for export.

8.1 Such approved packing centres shall obtain kernels for packings for export from approved feeder units only. A packing centre to quality for approval shall have minimum facilities as specified below :

8. 2 Surroundings, Construction and Layout :

(a) The building shall be of permanent/semi-permanent construction and kept in good repair.

(b) The surroundings which are under the physical control of the processor shall not have any swamps, dumps or animal housing nearby, which might pose any sanitary probelms.

(c) The working premises shall be kept in good repair to prevent any risk of infestation.

8.3 Processing areas :

(a) Measures shall be adopted to protect against entry of insects, rodents, birds and the like into the processing rooms.

(b) All the working areas shall be well lighted.

(c) Areas or compartments used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used for inedible materials.

(d) Waste material shall be frequently removed from the working areas during processing operations.

(e) All the utensils, trays and table surfaces which come in contact with Cashew Kernels shall be cleaned before, after and during intervals of use as often as necessary.

(f) All small receptacles like trays, bowls and utensils used in filling area shall be of non-corrodible material other than wood, and shall also have smooth surfaces free from crevices.

(g) Rejections shall be frequently removed from the working areas during processing operations.

(h) Hand washing facility such as wash basin and soap shall be provided at the entrance to the packing/filling section.

8.4 Machinery :

(a) The packing centre shall have a vitapack equipment in good working condition capable of drawing a vacuum of 26" Hg. The vitapack shall be fitted with a gauge to indicate the vacuum drawn from the tins during vacuumisation.

(b) The packing centre shall be provided with a pneumatic foreign matter segregator (PFMS) in the filling section to segregate any foreign matter that may be present with the kernels The entire fitting operations of Cashew Kernels shall be done only through PFMS.

(c) The packing centre shall have necessary cooling facilities for conditioning the kernels, maintained under hygienic conditions.

8.5 Toilet facility :

Adequate toilet facilities of sanitary type shall be provided. soap and plentiful supply of water shall be provided at the toilets.

8.6 Personal Health & Hygiene :

(a) Plant management shall have take care to ensure that no person while known to be effected with a communicable disease, is permitted to work in any area of the unit.

(b) All persons working in the processing area shall maintain a high degree of personal cleaniness while on duty.

(c) The workers shall wash their hands before entering the processing rooms after each absence.

(d) Chewing, spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing rooms.

(e) Lunch boxes shall not be kept in the processing rooms.

(f) The management shall provide clean aprons and headgers to the employees working in the filling and packing sections.

8.7 Approval of packing centre :

(a) A processor intending to pack Cashew Kernels for export shall inform his intention to do so in writing, in the proforma prescribed by the Council to the Agency.

(b) On receipt of such information, the Agency Officers shall visit the packing unit in order to adjudge the facilities for processing available in the unit.

(c) If the unit is found to have the minimum prescribed facilities the unit shall be approved to pack Cashew Kernels for export.

(d) The approval accorded shall be withdrawn in respect of a unit for the following reasons, after giving a notice of minimum period of two weeks, viz.

(i) If the equipments and machinery are not in good working condition ;

(ii) If the sanitary and hygienic conditions of the unit are not satisfactory ;

(iii) If the sanitary and hygienic conditions of the feeder unit are not satisfactory and cases of investation have been reported in the entomological survey by the Agency Officers.

(iv) If the processor has violated or deliberately attempted to voilate the provisions of the rules issued by the Council.

(e) Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

(f) No vitapacking work shall be undertaken in the unit, when the vitapack machine is not in the prescribed working condition.

(g) A unit, whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects make a fresh application to the Agency for obtaining fresh approval.

(h) If at any time there is any difficulty for a unit in maintaining the conformity to the requirements for any reason or if directed by the Agency production for export shall be suspended under intimation to the Agency.

(i) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing.

C. Composite Units :

A composite Cashew factory having facilities for both processing and packing of Cashew Kernels for export shall have the prescribed facilities of the feeder unit and the packing centre to be eligible for approval. For such units a composite approval will be sufficient.

D. Maintenance of records.

Necessary records/registers shall be maintained by the processor at the respective premises in order to ensure effective control of the processing of Cashew Kernels and these shall be made available to the Agency Officers for inspection as and when required.

F. Procedure for inspection :

(a) An exporter intending to export a consignment of Cashew Kernels shall give intimation to the Agency in writing in the proforma prescribed by the Council and submit along with such intimation a declaration to the effect that the consignment of Cashew Kernels has been processed exercising the Quality Control measures as prescribed by the Agency in this regard.

762 GI/81—4

(b) Such intimation shall reach the Agency office not less than seven working days (15 days in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels) prior to the required dated of receipt of certificate for shipment.

(c) On receipt of such intimation, the Agency shall normally draw checks samples as required, and if the Agency is satisfied that the consignment to be exported complies with the specified standards, it shall issues a certificate to the exporter declaring the consignment exportworthy.

(d) When the Agency is not so satisfied it shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal in writing to the exporter along with the reasons therefor.

(e) For the purpose of inspection, the Agency officer shall have access to relevant records and premises where processing, packing and storage of Cashew Kernels are carried out.

(f) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment while in storage or at the ports.

(g) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate originally issued shall be withdrawn.

4. Inspection Fee :

A fee at the rate of sixty paise for 11.34 Kgs. of Cashew Kernels or part thereof, except for the grade (BB) Baby Bits, for which a fee of sixty paise for 12.70 Kgs. or part thereof shall be charged. However, in the case of Roasted and Salted Cashew Kernels a minimum of Rs. 30 for each consignment, a fee @ 30 paise for every Rs. 100/- F. O. B. Value or part therof shall be charged.

5. Appeal :

(a) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to accord approval for his unit under clause A.6 (d) or 8.7 or to issue a certificate of exportworthiness under Clause (d) of rule E may within 10 days of receipt of the communication of such refusal by it, prefer an appeal to the convener of the concerned Panel of Export consisting of not less than three, but not more than 7 members, appointed for the purpose by the Central Government.

(b) Atleast two-thirds of the total membership of the panel of Experts shall consist of trade members.

(c) The quorum of the Panel shall be three.

(d) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

[No. 6 (1)/81-FI & EPI

C. B. KUKRETI, Joint Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1981

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

का०आ० 2753 :—सर्वश्री भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, (बोकारो इस्पात संयंत्र) बोकारों की संसाधन और परिष्करण के लिए उपस्करों के आयात के लिए 33,32,00,000 रुपए (केवल तैंतीस करोड़ बत्तीस लाख रुपए) का एक आयात लाइसेंस सं० आई/सीजी/2034471, दिनांक 31-5-79 प्रदान किया गया था। फर्म ने अनुबन्ध "ख" माल की सूची के साथ अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि माल की सूची (अनुबन्ध-ख) के साथ मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है। आगे यह बताया गया है कि उपर्युक्त आयात लाइसेंस कलकत्ता के सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत था और उसका आंशिक रूप से उपयोग हो चुका है एवं उसमें 10,98,54,697.72 रुपए शेष हैं।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने बोकारो इस्पात नगर के रिहायशी जिलाधीश के सम्मुख स्टाम्प कागज पर विधिवत साक्ष्यांकित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि माल की सूची (अनुबन्ध-ख) के साथ मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति फर्म के साथ आवागमन में खो गई है। यथा संशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 712-55 के उपखण्ड-3 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (बोकारो इस्पात संयंत्र) बोकारो इस्पात नगर, जिला धनबाद को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं०-आई/सीजी/2034471, दिनांक 31-5-79 की माल की सूची (अनुबन्ध-ख) के साथ उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति माल की सूची (अनुबन्ध-ख) के साथ वह राशि जिसके लिए अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति आवश्यकता है अर्थात् 10,98,54,697.72 रुपए के लिए पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

अनुबन्ध ख

अनुबन्ध-क- में दी गई मदों की अपेक्षा सम्पूर्ण/एस. के. डी. रूप में आयातित उपस्करों की सूची जिसके लिए हमने महानिदेशक तकनीकी विकास से सिफारिश एवं मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से पृष्ठांकन के लिए अनुरोध किया है। (बैल अनीलिंग फरनेस के लिए, बोकारो डी पी आर 203)

01	अर्ध सज्जित अवस्था में फ्लैक्सल उपकरण	78 नग
02	अर्ध सज्जित अवस्था में फोस्टर कैम्ब्रिज रिकार्डस एवं इण्डिकेटर्स	230 नग
03	अर्ध सज्जित अवस्था में डैल्टापाई ट्रांसमीटर्स	20 नग
04	अर्ध सज्जित अवस्था में कम्प्यूटिंग बिन्स एवं मिनी कार्डस	6 नग
05	अर्ध सज्जित अवस्था में माउंटिंग बिन्स	16 नग
06	वी-वी ए कन्वरर्टस	80 नग
07	फ्लेक्सिबल थर्मोकपल्स	25 नग

[सं० सीजी-2/स्टील/7/79-80/760]

एस० के० ग्रेवाल, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 23rd September, 1981

CANCELLATION ORDER

S.O. 2753.—M/s. Steel Authority of India, Ltd., (Bokaro Steel Plant), Bokaro were granted an import licence No. I/CG/2034471 dated 31-5-1979 for Rs. 33,32,00,000 (Rupees thirty three crores and thirty two lakhs only) for import of equipment for the Processing and Finishing lines. The firm has applied for issue of a duplicate exchange control copy with list of goods Annexure 'B' on the ground that the original exchange control copy alongwith the list of goods (Annexure 'B') has been lost. It has further been stated that the above import licence was registered with Customs, Calcutta and has been partly utilised, leaving a balance of Rs. 10,98,54,697.72.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a resident Magistrate, Bokaro Steel City. I am accordingly satisfied that the original exchange control copy with list of goods (Annexure B) has been lost in transit by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 3(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955, as amended, the said original exchange control copy with the list of goods (Annexure B) of import licence No. I/CG/2034471 dated 31-5-1979 issued to M/s. Steel Authority of India Ltd., (Bokaro Steel Plant) Bokaro Steel City, Distt. Dhanbad is hereby cancelled.

3. A duplicate exchange control copy with list of goods (Annexure B) of the above said import licence is being issued to the party separately, for the amount for which the duplicate exchange control copy is required i.e. Rs. 10,98,54,697.72.

ANNEXURE B

List of instruments to be imported in complete/SKD form for which we have requested for clearance from DGTD and endorsement from CCI&E (For Bell Annealing Furnance, Bokaro DPR 203) instead of items enlisted in (Annexure-A

01	Flexel instruments in semi-assembled condition	78 nos.
02	Foster cambridge recorders and indicators in semi-assembled condition.	230 nos.
03	Delta PIE transmitters in semi-assembled condition.	20 nos.
04	Computing bins and mini cards in semi-assembled condition.	6 nos.
05	Mounting bins in semi-assembled condition	16 nos.
06	V-VA converters	80 nos.
07	Flexible thermocouples	25 nos.

[No. CGII/Steel/7/79-80/760]

S. K. GREWAL, Jt. Chief Controller of Imports & Exports

for Chief Controller of Imports and Exports

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1981

निरस्त-आदेश

का० आ० 2754.—मैसर्स: लक्सर मेटलटेक (इण्डिया) प्रा० लि०, ओखला इन्डस्ट्रियल स्टेट, नई दिल्ली को एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1921486/सी/XX/72/डी दिनांक 11-7-79 वास्ते 3,00,000/रुपए अप्रैल-मार्च 1979 की अवधि के लिए बाल पाइन्ट एवं फाइबर टिप पेन के उत्पादन के लिए ए० बी० एस० माउल्डिंग पाउडर तथा सिलिलोस ऐसिटेट ब्यूटिरेट आदि के आयात हेतु दिया गया था।

आवेदक ने अब एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात सम्बन्धी कार्य विधि-पुस्तिका 1980-81 के पैरा 352 के अन्तर्गत इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उनके आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1921486 दिनांक 11-7-79 वास्ते 3,00,000/ रुपए अप्रैल-मार्च-79 अवधि के लिए की एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी बिना इस्तेमाल कि एवं बिना किसी बैंक में पंजीकृत किए ही खो गई है। अतः मैं सन्तुष्ट हूं कि उपरोक्त लाइसेंस की मूल एक्सचेंज-कन्ट्रोल कापी खो गई है।

अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (सी सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस पी एस/ 1921486 दिनांक 11-7 79 वास्ते 3,00,000/रुपए की मूल एक्सचेंज कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात निर्यात की कार्य विधि पुस्तिका 1980-81 के अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की एक्सचेंज कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[फा० सं० दिल्ली/एल० 2(एम)/ए.एम.-79/एयू 1/सीएलए/80]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

(Central Licensing Area)

New Delhi, the 10th April, 1981

CANCELLATION ORDER

S.O. 2754.—M/s. Luxor Metaltec (India) Pvt. Ltd. 236 Okhla Indl. Estate, New Delhi were granted Import licence No. P/S/1921486/C/XX/72/D dated 11-7-1979 for Rs. 3,00,000 for import of A.B.O. Moulding Powder & Cellulose Acetate Butyrate etc. for manufacture of Ball Point & Fibre Tip Pens, Refills etc. for AM-79.

The applicant has filed an affidavit as required under para 352 of Hand Book of Import Export Procedure 1980-81 wherein they have stated that Exchange Control copy of licence No. P/S/1921486 dated 11-7-1979 for Rs. 3,00,000 for AM-79 period has been misplaced/lost without having been registered with any Bank and utilised at all.

I am satisfied that the original Exchange Control copy of the said licence has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Import Trade Control Order 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date, the said exchange copy of the licence No. P/S/1921486 dated 11-7-1979 for Rs. 3,00,000 is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate Exchange Control copy of Import licence No. P/S/1921486/C dated 11-7-79 for Rs. 3,00,000 in accordance with the provision of Para 351 to 354 of Hand Book of Import Export Procedures, 1980-81.

[File No. Delhi/L-2(N)/AM-79/AU-I/CLA/80]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1981

निरस्त आदेश

का० आ० 2755.—मैसर्स: जूपिटर रेडियोज (रजि०) सी/46 ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया फेज II नई दिल्ली को एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1425694/सी/XX/74/डी/79 दिनांक 23-2-80 वास्ते 506204 रु० अप्रैल, मार्च 80 की आयात नीति के अपेन्डिक्स 5 के अन्तर्गत अनुज्ञेय मदों तथा टेलीविजन के विनिर्माण के लिए दिया गया था ।

आवेदक ने एक शपथ पत्र अप्रैल, मार्च 1980-81 की कार्य विधि-पुस्तिका के पैरा 352 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि लाइसेंस सं० पी/एस/1425694/सी दिनांक 23-2-80 वास्ते 506204 रु० अप्रैल, मार्च 80 की अवधि के लिए की एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी, 1,71,973 रुपए तक इस्तेमाल करने के पश्चात् तथा नई दिल्ली कस्टम पर पंजीकृत होने के बाद खो गया है।

मैं सन्तुष्ट हूं कि उपरोक्त लाइसेंस की एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी खो गई है।

अतः आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 यथा संशोधित की धारा 9(सीसी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं उपरोक्त लाइसेंस सं० पी० एस० 1425694 दिनांक 23-2-80 वास्ते 334231 रु० की मूल एक्सचेंज कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्य विधि-पुस्तिका 1980-81 के पैरा 351 से 354 के अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की एक्सचेंज कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[फा० सं० जे०28/ए० एम० 80/ए० यू०-I/ सी एल ए/175]

कु० माया दास गुप्ता, उप मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 23rd April, 1981

CANCELLATION ORDER

S.O. 2755.—M/s. Jupitor Radios (Regd.) C/46, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi was granted import licence No. P/S/1425694/C/XX/74/D/79 dated 23-2-80 for Rs. 5,06,204 for import of permissible under Appendix-5 of AM-80 Policy Book for manufacture of T.V. Sets.

The Applicant has filed an affidavit as required under para 352 of Handbook of Import Export Procedures 1980-81 where in they have stated that Exchange Control copy of licence No. P/S/1425694/C dated 23-2-80 for Rs. 5,06,204 for AM-80 period has been lost/misplaced having been registered with New Delhi Customs and utilised to the extent of Rs. 1,71,973.

I am satisfied that the orginal Exchange Control copy of the said licence has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on under subject clause 9(cc) in the Import Trade Control order 1955 dated 7-12-55 as amended upto date the said Exchange Copy of licence No. P/S/1425694 dated 23-2-1980 for balance amount of Rs. 334231 is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate Exchange Control Copy of import licence No. P/S/1425694 dated 23-2-80 for the balance amount in accordance with the provision of Paras 351 to 354 of Hand Book of Import Export procedures 1980-81.

[File No. J-28/AM-80/AU-I/CLA/175]

(MISS) MAYA DASS GUPTA, Dy. Chief Controller of Import andExport

For Jt. Chief Controller of Imports and Exports

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1981

का० आ० 2756.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम 1955 के नियम 4 के उपनियम 1 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अनुसूचित किया जाता है कि जिन मानक चिह्नों की डिजाइनों, उनके शाब्दिक विवरण तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षकों सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के कार्यों के लिए ये मानक चिह्न प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होंगे।

अनुसूची

क्रम सं०	मानक चिह्न के डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	IS 493 ISI	मशीनादि और तकुवे का तेल	IS : 493-1958 मशीनादि और तकुवे के तेल की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमे "ISI" शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।	1980-03-16
2.	IS 5291-69 ISI	बड़े आपरेशन के लिए द्रव-चलित मेजें	IS : 5291-1969 बड़े आपरेशन के लिए द्रवचलित मेजों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन मे दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की संख्या दी गई है।	1981-06-16
3.	IS 6106-71 ISI	छोटे आपरेशन के लिए द्रव-चलित मेजें	IS : 6106-1971 छोटे आपरेशन के लिए द्रवचलित मेजों की विशिष्टि	" "	1981-06-16

[सं० सी एम डी/13 : 9]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 17th September, 1981

S O. 2756:—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standards Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 493 IS:493 ISI	Machinery and spindle oils	IS : 493—1958 Specification for machinery and spindle oils	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design	1980-03-16
2.	IS : 5291-69 IS 5291-69 ISI	Tables, operation, hydraulic, major	IS : 5291—1969 Specification for tables, operation, hydraulic, major	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2) ; the number of the Indian Standard , alongwith its year, being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design	1981-06-16
3.	IS : 6106-71 IS 6106-71 ISI	Tables, operation, hydraulic, minor	IS : 6106—1971 Specification for tables, operation, hydraulic, minor	-do-	1981-06-16

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 2757.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर अधिसूचित किया जाता है कि जिस मानक चिह्न की डिजाइन उसके शाब्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है वह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निम्नित्त ये मानक चिह्न उनके सामने दी गई तिथियों से लागू होंगी :

अनुसूची

क्रम सं०	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	संबद्ध भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.		शीट रबड़ जोड़ और रबड़ प्रवेशीय जोड़	IS : 638-1965 शीट रबड़ जोड़ और रबड़ प्रवेशीय जोड़ की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की संख्या दी गई है :	1978-09-01
2.		विस्फोटक और आतिशबाजी उद्योग के लिए पैराफीन मोम	IS : 7401-1974 विस्फोटक और आतिशबाजी उद्योग के लिए पैराफीन मोम की विशिष्टि	,,	1978-01-16

[सं० सी एम डी/13 : 9]

S.O. 2757:—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standards mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 638	Sheet rubber jointing and rubber insertion jointing	IS : 638—1965 Specification for sheet rubber jointing and rubber insertion jointing (revised)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style of and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1978-09-01
2.	IS : 7401	Paraffin wax for explosive and pyrotechnic industry	IS : 7401—1974 Specification for paraffin wax for explosive and pyrotechnic industry	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1978-01-16

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 2758—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रतिइकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है और ये फीस उनके सामने दी गई तिथियों से लागू होंगी :

अनुसूची

क्रम सं०	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	रबड़ शीट जोड़ और रबड़ प्रवेशीय जोड़	IS : 638-1965 रबड़ शीट जोड़ और रबड़ प्रवेशीय जोड़ों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	एक टन	रु० 20 00	1978-09-01
2	विस्फोटक और आतिशबाजी उद्योग के लिए पैराफीन मोम	IS : 7401-1974 विस्फोटक और आतिशबाजी उद्योग के लिए पैराफीन मोम की विशिष्टि	एक टन	रु० 2.00	1981-01-16

[संख्या सी एम डी/13:10]

S.O. 2758.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sheet rubber jointing and rubber insertion jointing	IS : 638—1965 Specification for sheet rubber jointing and rubber insertion jointing (revised)	One Tonne	Rs. 20.00	1978-09-01
2.	Paraffin wax for explosive and pyrotechnic industry	IS : 7401—1974 Specification for paraffin wax for explosive and pyrotechnic industry	One Tonne	Rs. 2.00	1981-01-16

[No. CMD/13 : 10]

का० आ० 2759—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों के प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है। और ये फीस प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होंगी :

अनुसूची

क्रम सं०	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	मशीनादि और तकुवे के तेल	IS : 493-1958 मशीनादि और तकुवे के तेल की विशिष्टि	एक किलो लिटर	रु० 10 00	1980-03-16
2.	बड़े आपरेशन के लिए द्रवचलित मेजें	IS 5291-1969 बड़े आपरेशन के लिए द्रवचलित मेजों की विशिष्टि	एक मेज	रु० 25 00	1981-06-16
3.	छोटे आपरेशन के लिए द्रवचलित मेजें	IS 6106-1071 छोटे आपरेशन के लिए द्रवचलित एक मेज मेजों की विशिष्ट		रु० 15.00	1981-06-16

[संख्या सी एम डी/13 : 10]

ए०पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

S. O. 2759:—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the making fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Machinery and spindle oils	IS : 493—1958 Specification for machinery and spindle oils	One Kilolitre	Rs. 10.00	1980-03-16
2.	Tables, operation, hydraulic, major	IS : 5291—1969 Specification for tables, operation, hydraulic, major	One Table	Rs. 25.00	1981-06-16
3.	Tables, operation, hydraulic, minor	IS : 6106—1971 Specification for tables, operation, hydraulic, minor	One Table	Rs. 25.00	1981-06-16

[No. CMD/13 : 10]
A. P. BANERJI, Addl. Director General

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1981

का० आ० 2760.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमि० तलौजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मिडिल क्लास हाउसिंग सोसायटी पनवेल, जिला-रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलौजातक पाईपलाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र राज्य — जिला—रायगढ़ — तालुका—उरान

गांव	सर्वेक्षण नंबर		स्क्वे० मिटर्स	
1	2		3	
भेंडखाल	रेल	--	118.00	
	163	8	8.00	
		4	20.00	
		3	10.00	
भिडराल	166	5	10.00	
		1	28.00	
		2	26.00	
	167	1	50.00	
	168	7	20.00	
		6	18.00	
		1	48.00	
	169	11	16.00	
		10	8.00	
		9	8.00	
		1	36.00	
	188	6	60.00	
		5	16.00	
		1	44.00	
		2	04.00	
		3	04.00	नाला
	187	16	10.00	नाला
		15	26.00	
		14	2.00	
		8	32.00	
		13	14.00	
		17	14.00	
		7	34.00	
		2	04.00	
		1	36.00	
		12	02.00	
	184	3	48.00	
	183	1	22.00	
		2	20.00	
		3	20.00	
		4	14.00	
		5	53.00	
		6	02.00	

1	2	3	4
भेडखल	230	2	28.00
		3	24.00
		4	48.00
		1	2.00
	231	1	14.00
		2	04.00

[सं० 12016/41/81-प्रो०-I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 23rd September, 1981

S.O. 2760.—Whereas in appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum for Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd,

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Plot-No. 9. Middle Class Housing Society Panvel Distt. Raigad ;

And Every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja,

State-Maharashtra, District-Raigad, Taluka Uran

Village	S.No.	H.No.	Area Sq. Meters.
Bhendkhal	Railway	—	118.00
	163	8	8.00
		4	20.00
		3	10.00
	166	5	10.00
		1	28.00
		2	26.00
	167	1	50.00
	168	7	20.00
		6	18.00
		1	48.00
	169	11	16 00
		10	8.00
		9	8.00
		1	36.00
	188	6	60.00
		5	16.00
		1	44.00
		2	04.00
		3	04.00 Nalla
	187	16	10.00 Nalla
		15	26.00
		14	2.00
		8	32.00
		13	14.00
		17	14.00
		7	34.00
		2	04.00
		1	36.00
		12	02 00
	184	3	48.00
	183	1	22.00
		2	20.00
		3	20.00
		4	14.00
		5	53.00
		6	02.00
	230	2	28.00
		3	24.00
		4	48.00
		1	2.00
	231	1	14.00
		2	04.00

[No. 12016/41/81-Prod. I]

का० आ० 2761.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मिडिल क्लास हाउसिंग सोसायटी, पनवेल जिला-रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—उरान

गांव	सर्वेक्षण	नंबर	स्क्वे० मीटर्स
1	2	3	4
फुंदे	101	1	1.00
		2	18.00
		3	15.00
		4	07.00
		5	75.00
		8	25.00
		9	02.00
		11	06.00
		6	20.00
		13	05.00
		14	05.00

1	2	3	4
फूंद—जारी		15	02 00
		16	10.00
		17	10.00
		19	02 00
		20	02 00
	600	1	12 00
		2	12.00
		4	20 00
		5	16 00
		10	16 00
	96	1	20.00
		2	20 00
		5	16.00
		10	24.00
		11	08.00
		13	08.00
		14	24 00
	95	1	52 00
		2	22 00
		5	22 00
		6	32.00
		3	2 00
	94	2	04 00
		3	02 00
		4	18 00
		5	28 00
		7	26 00
	92	1	32 00
	93	2	36 00
		3	04 00
		4	02 00
		5	12 00
		6	24 00
	71	1	04 00
		2	12 00
		3	18 00
		4	20 00
		5	36 00
		6	02 00
		10	02 00
	75	1	18.00
		2	20.00
		3	18 00
		4	17 00
	76	1	22 00
		2	24 00
		3	12.00
	77	1	38.00
	78	1	06 00
		2	20.00
		3	18.00
	79	1	24.00
	नाला	—	14.00

[सं० 12016/41/81-प्रो०-II]

762 GI/81—5

S.O. 2761.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharastra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemical Corporations Ltd

And whereas, it appears that for purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society Panvel Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Uran

Village	S No.	H No.	Area Sq Meters
1	2	3	4
Funde	101	1	1 00
		2	18 00
		3	15 00
		4	07 00
		5	75 00
		8	25 00
		9	02 00
		11	06 00
		5	29 00
		12	05 00
		14	05 00
		15	02 00
		16	10 00
		17	10 00
		19	02.00
		20	02 00
	100	1	12 00
		2	12 00
		4	20 00
		5	16 00
		10	16 00
	96	1	20 00
		2	20 00
		5	16 00
		10	24 00
		11	08 00
		13	08 00
		14	24 00
	95	1	52 00
		2	22 00
		5	22 00
		6	32 00
		3	2 00
	94	2	04 00
		3	02 00
		4	18 00
		5	28 00
		7	26 00

1	2	3	4
Funde—*Contd.*	92	1	32.00
	93	2	36.00
		3	04.00
		4	02.00
		5	12.00
		6	24.00
	74	1	04.00
		2	12.00
		3	18.00
		4	20.00
		5	36.00
		6	02.00
		10	02.00
	75	1	18.00
		2	20.00
		3	18.00
		4	17.00
	76	1	22.00
		2	24.00
		3.	12.00
	77	1	38.00
	78	1	06.00
		2	20.00
		3	18.00
	79	1	24.00
	Nalla	—	14.00

[No. 12016/41/81-Prod. II]

का० आ० 2762.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में पुरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मध्यम हौसिंग सोसायटी पनवेल-जिला-रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र—राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—पुरान

गांव	सर्वेक्षण	नंबर	स्क्वे० मिटर्स
1	2	3	4
सोनरी	51	1	52.00
		7	46.00
		13	2.00
	49	1	30.00
		2	10.00
		5	36.00
		6	44.00
		7	2.00
	66	1	50.00
		2	22.00
	59	1	10.00
		2	68.00
		3	32.00
		6	30.00
		7	14.00
	नाला	—	30.00
	58	1	48.00
		2	36.00
	52	6	38.00
		7	48.00
		8	6.00
	59	9	44.00

[सं० 12016/42/81-प्रा०-I]

S.O. 2762.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharastra State Pipeline should be laid by and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Aquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertiliser and with 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission Plot No. 9, Middle Class Housing Society Panvel Distt. Raigad.

And Every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertiliser and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad, Taluka—Uran

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
1	2	3	4
Sonari	51	1	52.00
		7	46.00
		13	2.00
	49	1	30.00
		2	10.00
		5	36.00
		6	44 00
		7	2.00
	66	1	50.00
		2	22.00
	59	1	10.00
		2	68.00
		3	32.00
		6	30 00

S. No.	H. No.	Area Sq. metres
	7	14.00
Nalla	—	30 00
58	1	48.00
	2	36.00
52	6	38.00
	7	48.00
	8	6 00
59	9	44.00

[No. 12016/42/81-Prod. I]

का० आ० 2763.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्ला० नं० 9, मि० क्लास हाउसिंग सोसायटी पनवेल जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइपलाईन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र—राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—उरान

गांव	सर्वेक्षण	नंबर	क्षेत्र० मिटर्स
1	2	3	4
नवघर	44	4	24.00
		5	28.00
	45	4	36.00
		5	34.00
		6	06.00
	70	3	41.00
		4	37.00
	71	—	08.00
	68	1	16 00
		2	24.00
		3	40.00
		4अ	32.00
		4ब	24.00
नवघर	67	1	12.00
		2	24.00
		3	01.00
		4	38.00
		6	01.00
	66	2	36.00
		3	20.00
	65	1	40.00
		2	30.00
	79	1	04.00
	57	1	18.00
		3	10.00
		4	10.00
		5	10.00
		6	14.00
		7	07.00
	58	1	02.00
	59	2	02.00
		3	24.00
		5	02.00
		6	28.00
		4	10.00
	99	1	16.00
		2	24.00
	56	1	12.00
	98	1	14.00
		2	16.00
		3	08.00
		5	07.00
		7	22.00
		8	16.00
	नाला	—	32.00

[सं० 12016/42/81-प्रो-II]

S.O. 2763.—Whereas it appears to the Central Government ment that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society Panvel Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Uran

Village	S No.	H No.	Area Sq Meters
Navghar	44	4	24 00
		5	28 00
	45	4	36 00
		5	34 00
		6	06 00
	70	3	41 00
		4	37 00
	71	—	08 00
	68	1	16 00
		2	24 00
		3	40 00
		4A	32 00
		4B	24 00
	67	1	12 00
		2	24 00
		3	01 00
		4	38.00
		6	01.00
	66	2	36 00
		3	20 00
	65	1	40 00
		2	30 00
	79	1	04 00
	57	1	18 00
		3	10 00
		4	10 00
		5	10 00
		6	14 00
		7	07 00
	58	1	02 00
	59	2	02.00
		3	24 00
		5	02.00
		6	28 00
		4	10 00
	99	1	16 00
		2	24 00
	56	1	12 00
	98	1	14.00
		2	16 00
		3	08.00
		5	07.00
		7	22 00
		8	16.00
	Nalla	—	32 00

[No. 12016/42/81-Prod. II]

का० आ० 2764.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (प्लाट न० 9 मि० कलास हाउसिंग सोसायटी पनवेल जिला रायगढ) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—उरान

गाव	सर्वेक्षण	नबर	स्क्वे० मिटर्स
1	2	3	4
पगोटे	69	5	32.00
	70	1	24.00
		6	12.00
		7	44.00
		9	28.00
		10	2.00
		11	12.00
		13	16.00
		12	20.00

[सं० 12016/43/81-प्रो-I]

S.O. 2764.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizer and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Uran

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Pagote	69	5	32.00
	70	1	24 00
		6	12.00
		7	44.00
		9	28.00
		10	2.00
		11	12.00
		13	16.00
		12	20 00

[No. 12016/43/81-Prod. I]

का० आ० 2765.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (प्लाट नं० 9 सि० क्लास टॉमिन मार्केट पनवेल जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईप लाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र—राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—उरान

गांव	सर्वेक्षण नंबर		स्क्वे० मिटर्स
1	2	3	4
जस्कर	245	1	2.00
		2	22.00
		3	20.00
		4	30.00
		5	10.00
		9	30.00
		13	4 00
		6	6.00
	नाला	—	18.00
	241	1	20.00
		13	20.00
		11	6.00
	240	1	36.00
	239	1	06.00
		2	38.00
	238	11	18.00
		12	14.00
	237	10	36.00
	236	—	—
		2	42.00
	235	14	16.00
		15	14.00
		16	16.00
		17	20.00
	233	1	40.00
		3	40.00
		4	21.00
		13	40.00
		14	2.00
		15	2.00
		17	12.00
जस्कर	232	2	52.00
		3	4.00
		4	38.00
	226	1	42.00
		2	26.00
		3	08.00
		4	20.00
		5	18.00
		6	06.00
	223	1	34.00
		14	34.00
		15	04 00
		16	04.00
	222	1	34.00
		2	06.00
		11	04.00
		12	24.00
	221	1	10.00
		2	28.00
		5	08.00
		6	26.00
		7	26 00
		10	02.00
		11	64.00
		12	12.00

[सं० 12016/43/81-प्रो०-II]

S.O. 2765.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertiliser and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Uran

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Jaskhar	245	1	2.00
		2	22.00
		3	20.00
		4	30.00
		5	10.00
		9	30.00
		13	4.00
		6	6.00
	Nalla	—	18.00
	241	1	20.00
		13	20.00
		14	6.00
	240	1	36.00
	239	1	06.00
		2	28.00
	238	11	18.00
		12	14.00
	237	10	36.00
	236	—	—
		2	42.00
	235	14	16.00
		15	14.00
		16	16.00
		17	20.00
	233	1	40.00
		3	40.00
		4	12.00
		13	40.00
		14	2.00
		15	2.00
		17	12.00
Jaskhar	232	2	52.00
		3	4.00
		4	38.00
	226	1	42.00
		2	26.00
		3	08.00
		4	20.00
		5	18.00
		6	06.00
	223	1	34.00
		14	34.00
		15	04.00
		16	04.00
	222	1	34.00
		2	06.00
		11	04.00
		12	24.00
	221	1	10.00
		2	28.00
		5	08.00
		6	26.00
		7	26.00
		10	02.00
		11	64.00
		12	12.00

[No. 12016/43/81-Prod. II]

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1981

का० आ० 2766 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (प्लॉट नं० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल, जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिए

महाराष्ट्र—राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—उरान

गांव	सर्वेक्षण	नंबर	स्क्वेयर मिटर्स
1	2	3	4
जासाई	नाला	—	16.00
	31	5	09.00
		1	12.00
	सड़क	—	14.00

1	2	3	4
	41	7	76.00
	सड़क	—	80.00
	49	13	28.00
		6स	106.00
		6ब	24.00
	50	11	20.00
		9	28.00
		7	44.00
		6	40.00
		5	60.00
		2	36.00
	51	9	58.00
		8	30.00
		4	68.00
	54ब/1	1ब/2	40.00
		6	14.00
		3	60.00
	52	3	26.00
	सरकार	—	56.00
	55	3+4	24.00
	56ब	1	66.00
		2	42.00
	56ब	—	08.00
	58	1	06 00
		2	64.00
		3	30.00
		4	28.00
	59	1	20.00
		2	14.00
	सड़क	—	16.00
	187	4	25.00
		2	64.00
		1	56.00
	186	1	90.00
	जासाई	2	06.00
	185	1	48.00
	164	1	36.00
		2	68.00
		3	52.00
		4	56.00
		10	72.00
	158	1	72.00
		2	32.00
	157	1ब	24.00
		1ब	104.00
		1स	82.00
		1ड	28.00
		2	28.00
	155	1	58.00
	108	1	48.00
		2	16.00
		3	60.00
		5	04.00
	109	1	34.00
		3	14.00
		4	24 00
		5	14.00
		6	40.00
		7	10.00
	110	—	60.00
	112	1	68.00
		4	32.00
	111	—	82.00
	113	1ब	04.00
		1+2	44.00
		5	08 00
	114	—	52.00
	116	1	82.00
		2	70.00
		3	42.00
		4	44.00
	117	1	28.00

[सं० 12016/44/81-प्रो०-I]

New Delhi, the 28th September, 1981

S.O. 2766.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertiliser and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Uran

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meter
1	2	3	4
Jasai	Nalla	—	16.00
	31	5	09.00
		1	12.00
	Road	—	14.00
	41	7	76.00
	Road	—	80.00
	49	13	28.00
		6C	106.00
		6B	24.00

1	2	3	4
Jasai—Contd	50	11	20.00
		9	28.00
		7	44.00
		6	40.00
		5	60 00
		2	36.00
	51	9	58.00
		8	30.00
		4	68.00
	54A/1	1A/2	40.00
		6	14.00
		3	60.00
	52	3	26.00
	Govt.	—	56.00
	55	3+4	24.00
	56A	1	66.00
		2	42.00
	56B	—	08.00
	58	1	06.00
		2	64.00
		3	30.00
		4	28.00
	59	1	20.00
		2	14.00
	Road	—	16.00
	187	4	25.00
		2	64.00
		1	56.00
Jasai	186	1	90.00
		2	06.00
	185	1	48.00
	164	1	36.00
		2	68.00
		3	52.00
		4	56.00
		19	72.00
	158	1	72.00
		2	32.00
	157	1A	24.00
		1B	104.00
		1C	82.00
		1D	28.00
		2	28.00
	155	1	58.00
	108	1	48.00
		2	16.00
		3	66.00
		5	04.00
	109	1	34.00
		3	14.00
		4	24.00
		5	14.00
		6	40.00
		7	10.00
	110	—	60.00
	112	1	68.00
		4	32.00
	111	—	82.00
	113	1A	04.00
		1B+2	44.00
		5	08.00
	114	—	52.00
	116	1	82.00
		2	70.00
		3	42.00
		4	44.00
	117	1	28.00

[No. 12016/44/81-Prod. I]

का० आ० 2767.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन दीपक फर्टिलाईजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (प्लाट नं० 9 मि० कलास हौसिंग सोसायटी पनवेल जिला: रायगड़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइप लाइन बिछाने के लिये :

महाराष्ट्र राज्य जिला—रायगड़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण	नंबर	स्क्वायर मिटर्स
चहल	जंगल	—	152.00
	442	—	84.00
	421	2	22.00
		3	40.00
		—	36.00
	सड़क	6	592.00

[सं० 12016/44/81-प्रो० II]

S.O. 2767.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertiliser and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Uran

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Vahal	Forest	—	152.00
	442	—	84.00
	421	2	22.00
		3	40.00
		6	36.00
	Road	—	592.00

[No. 12016/44/81-Prod. II]

नई दिल्ली, 13 सितम्बर 1981

का० आ० 2768.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल्स से दीपक फर्टिलाईजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन दीपक फर्टिलाईजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (प्लाट नं० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल-जिला-रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल्स दीपक फर्टिलाईजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइपलाइन बिछाने के लिये महाराष्ट्र राज्य जिला-रायगढ़ तालुका-उरान

गांव	सर्वेक्षण नं०	स्क्वायर	मिटर्स
1	2	3	4
केरल	144	1	02.00
		2	19.00
		3	14.00
		4	04.00
		5	06.00
		6	16.00
		7	07 00
	143	2	04.00
		3	14.00
		5	04.00
		6	12.00
केरल—जारी		7ए	16.00
		7बी	24.00
		8	02.00
		9	26.00
		10	20.00
		11	18.00
		12	06.00
		13	16.00
		14	46.00
		15	32.00
	142	9	26.00
		10	14.00
	130	12	24.00
	129	1	04.00
		2	62.00
		4	16.00
		5	34.00
		7	36.00
	128	1	08.00
		2	04.00
		3	22.00
		4	26.00
		5	24.00
	127	1	38.00
		2	16.00
		3	11.00
		5	29.00
		6	02.00
	108	1	26.00
		2	02.00
		3	22.00
		4	22.00
		5	44.00
		6	26.00
		7	10.00
		8	38.00
		9	42.00
		10	32.00
	107	2	04.00
		3	20.00
		4	16.00
		5	16.00
	103	1	18.00
		2	22.00
	101	4	10.00
	102	1	06.00
		2	16.00
		3	08.00
		4	34.00
		5	20.00
		6	28.00
केरल	100	8	76.00
		1	38.00
		3	30 00
		4	16.00

1	2	3	4
	99	1	13.00
		2	18.00
		10	05.00
		3	07.00
		11	09.00
		4	21.00
		5	28.00
		6	06.00
		7	43.00
		8	26 00
		9	31 00
		13	02.00
	98	6	36.00
		5	28.00
		3	14.00
		4	16 00
		7	02.00
	63	1	24.00
		2	56.00
		5	30.00
	64	4	24.00
		5	08.00
		6	34.00
	65	1	12.00

[सं० 12016/45/86-प्रो०-I]

New Delhi, the 23rd September, 1981

S.O. 2768.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle class Housing Society Panvel Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Uran

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Karal	144	1	02.00
		2	19.00
		3	14.00
		4	04.00
Karal—Contd.		5	06.00
		6	16.00
		7	07.00
	143	2	04.00
		3	14.00
		5	04.00
		6	12.00
		7A	16.00
		7B	24.00
		8	02.00
		9	26.00
		10	20 00
		11	18.00
		12	06.00
		13	16.00
		14	46.00
		15	32.00
	142	9	26.00
		10	14.00
	130	12	24.00
	129	1	04.00
		2	62.00
		4	16.00
		5	34.00
		7	36.00
	128	1	08.00
		2	04.00
		3	22 00
		4	26.00
		5	24.00
	127	1	38.00
		2	16.00
		3	11.00
		5	29.00
		6	02.00
	108	1	26.00
		2	02.00
		3	22.00
		4	22 00
		5	44.00
		6	26.00
		7	10.00
		8	38.00
		9	42.00
		10	32.00
	107	2	04.00
		3	20.00
		4	16.00
		5	16.00
	103	1	18.00
		2	22.00
	101	4	10.00
	102	1	06.00
		2	16.00
		3	08.00
		4	54.00
		5	20.00
		6	26.00
Karal	100	8	76.00
		1	38.00
		3	30.00
		4	16.00
	99	1	13.00
		2	18.00
		10	05.00
		3	07.00

1	2	3	4
Kiral—Contd.		11	09 00
		4	21 00
		5	28 00
		6	06 00
		7	43 00
		8	26 00
		9	31 00
		13	02 00
	98	6	36.00
		5	28 00
		3	14.00
		4	16 00
		7	02 00
	63	1	24 00
		2	56 00
		5	30.00
	64	4	24.00
		5	08.00
		6	34.00
	65	1	12 00

[No. 12016/45/81-Prod. I]

का० आ० 2769—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य मे उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाईजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाईजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (प्ला० नं० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलायझर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिये।

महाराष्ट्र—राज्य	जिला-रायगढ़ तालुका-उरान		
गांव	सर्वेक्षण नंबर		स्क्वे० मिटर्स
1	2	3	4
सावरखार	108	1	16.00
		2	26 00
		3	26.00
	107	1	24 00
		2	40.00

1	2	3	4
		3	20 00
		4	14 00
	नाला	—	14 00
	101	1	48 00
		2ए	18.00
		2बी	8 00
		6	10 00
	104	2	22 00
		4	28 00
		5	12 00
		6	50 00
	150	1	58.00
		2	32 00
		3	32 00
		4	28.00
		5	26 00
		7	28 00
		8	26 00
		9	26 00
	15	2	16.00

[सं० 12016/45/81-प्रो० II]

S.O. 2769.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharastra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizer and within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No 9, Middle class Housing Society Panvel Dist. Raigad

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizer and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra,	District—Raigad,	Taluka—Uran.	
Village	Sl. No.	H. No.	Area Sq Meters
Sawarkhar	108	1	16.00
		2	26.00
		3	26.00
	107	1	24.00
		2	40.00
		3	20.00
		4	14.00

1	2	3	4
	Nalla	—	14.00
	104	1	48.00
		2A	18.00
		2B	8.00
		6	10.00
	103	2	22.00
		4	28.00
		5	12.00
		6	50.00
	150	1	58.00
		2	32.00
		3	32.00
		4	28.00
		5	26.00
		7	26.00
		8	26.00
		9	26.00
	15	2	16.00

[No. 12016/45/81-Prod. II]

का० आ० 2770—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल्स से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अब अब पेट्रोलियम और अनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मिडल क्लास हाउसिंग सोसायटी पनवेल, जिला रायगड) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा,

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाईन बिछाने के लिये ।

महाराष्ट्र राज्य जिला-रायगड़ तालुका-पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नंबर		स्क्वे० मीटर्स
1	2	3	4
पाडेघर	सड़क	—	144.00
	440	1	64 00
		2	16·00
	441	1	160 00
	सडक	—	436.00
	रेल	—	46 00
	30क	2	18 00
	31	2	94 00
		4+5+6	318 00
	45ब	—	66 00
	19ब	4	4 00
	19क	—	68 00
	19फ	1	10 00
		2	8 00
	19ग	—	34 00
	19घ	—	16 00
	13ग	1	68.00
	13घ	1	36 00
		2	30.00
	14	1	28 00
	—	2	24.00

[सं० 12016/46/87-प्रो-1]

S.O. 2770.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd, Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd ;

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9 Middle class Housing Society Panvel Dist. Raigad ;

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals -Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Padeghar	Road	—	144.00
	440	1	64.00
		2	16.00
	44	1	160.00
	Road	—	436.00
	Rail	—	46.00
	30-A	2	18.00
	31	2	94.00
		4+5+6	318.00
	45-B	—	66.00
	19-B	4	4.00
	19-E	—	68.00
	19-A	1	10.00
		2	8.00
	19-D	—	34.00
	19-E	—	16.00
	13-D	1	68.00
	13-E	1	36 00
		2	30.00
	14	1	28.00
		2	24.00

[No 12016/46/81-Prod. I]

का० आ० 2771—यत, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अब अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (प्लाट नं० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल जिला-रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिये ।

महाराष्ट्र राज्य	जिला-रायगढ़		तालुका-पनवेल
गांव	सर्वेक्षण नं०	स्क्वे० मीटर्स	
पनवेल	158	5	36 00
	रेल	—	104 00
			884 00
			136 00
			124 00
			180 00
			40 00
			444.00
			50 00
			142 00
			322 00
			32 00
			6 00
	299	1A	16 00
	रेल	—	238.00
			40 00
	नदी	—	50.00

[सं० 12016/46/81-प्रो० II]

S.O. 2771.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharastra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society Panvel Dist. Raigad;

And every person making such an objection shall specifically whether he wishes to be heard in person or by a lagal practitioner.

SCHEDULE

Pipepeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Panvel

Village	S. No.	H.No.	Area Sq. Meters
Panvel	158	5	36.00
	Rail	—	104.00
			884 00
			136.00
			124.00
			180.00
			40.00
			444.00
			50.00
			142.00
			322.00
			32.00
			6.00
	299	1A	16.00
	Rail	—	238.00
			40.00
	River	—	50.00

[No. 12016/46/81-Prod. II]

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1981

का० आ० 2772 —यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यत, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अब अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक

गैस आयोग, (प्ला० न० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल जिला-रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइसर्स और पट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइपलाइन बिछाने के लिये।

राज्य—महाराष्ट्र जिला—रायगढ़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नंबर		स्क्वे० मिटर्स
बम्बावी	69	—	332.00
	58	—	12.00
	67	—	36.00
	62	—	58.00
	61	—	46.00
	60	—	110.00
	52	1ए	58.00
		1बी०	30.00
	53	6	16.00
		3	84.00
		4ए	52.00
	रेल	—	42.00

[सं० 12016/47/81-प्रो-I]

New Delhi, the 28th September, 1981

S.O. 2772.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Urvan Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Dist., Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.
State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Panvel

Village	S.No.	H. No.	Area Sq. Meters
1	2	3	4
Bambavi	69	—	332.00
	58	—	12.00
	67	—	36.00
	62	—	58.00
	61	—	46.00
	60	—	110.00
	52	1A	58.00
		1B	30.00
	53	6	16.00
		3	84.00
		4A	52.00
	Rail	—	42.00

[No. 12016/47/81-Prod. I]

का० आ० 2773.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्ला० न० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल जिला-रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिये।

राज्य—महाराष्ट्र जिला—रायगढ़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नंबर		स्क्वे० मिटर्स
कलुंद्रे	रेल	—	112.00
			84.00
			224.00
			164.00
			66.00
			66.00
			32.00
			106.00
			10.00
	15	2	28.00
	25	5	44.00
		4	48.00
	रेल	—	48.00
			48.00

			444.00
	बम्बई		50.00
	पूणा		
	सड़क		
	रेल	—	136.00
			120.00
			208.00
			160.00
			136.00

[सं० 12016/47/81-प्रो० II]

S.O. 2773.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd Taloja in Maharastra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No 9, Middle Class Housing Society Panvel, Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharsahtra District—Raigad. Taluka—Panvel.

Village	S.No.	H.No.	Area Sq. Meters
Kalundre	Rail	—	112.00
			84.00
			224.00
			164.00
			66.00
			66.00
			32.00
			106.00
	15	2	28.00
	25	5	44.00
		4	48.00
	Rail	—	48.00
			48.00
			444.00
	Bombay Poona Road Rail		50.00
			136.00
			120.00
			208.00
			160.00
			136.00

[No. 12016/47/81-Prod. II]

का० आ० 2774.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9, मि० क्लास हाउसिंग सोसायटी, पनवेल, जिला-रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइपलाईन बिछाने के लिये।

राज्य—महाराष्ट्र जिला—रायगढ़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नंबर		स्क्वे० मिटर्स
कोपर	रेल	—	168.00
			72.00
	27	4	20.00
	26	—	8.00

[सं० 12016/48/81-प्रो०-I]

S.O. 2774.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharastra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission Plot No. 9 Middle Class Housing Society Panvel, Dist. Raigad

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H No.	Area Sq. Meters
Kopar	Rail	—	168.00
			72.00
	27	4	20.00
	26		8.00

[No. 12016/48/81-Prod. I]

का०आ० 2775.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मि० क्लास हाउसिंग सोसाइटी पनवेल, जिला-रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट त यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईप लाइन बिछाने के लिये।

महाराष्ट्र—राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नं०		स्क्वे० मी०
पाडगांव	88	--	22 00
	89	--	108 00
	रेल	--	160 00
			220 00
			124 00
			148 00

[सं० 12016/48/81-प्रो० II]

S.O. 2775.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd..

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class housing Society Panvel, Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Pargaon	88		22.00
	89		108.00
	Rail	—	160.00
			220.00
			124.00
			148.00

[No. 12016/48/81-Prod. II]

का०आ० 2776.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मि० क्लास हाउसिंग सोसायटी पनवेल, जिला-रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिये।

महाराष्ट्र—राज्य जिला-रायगढ़ तालुका-पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नं०	स्क्वे० मि०
करजाडे	नदी	48 00
	रेल	28 00
		216.00
		176.00
		556 00
		272 00
		420.00
		724.00
		72.00

[सं० 12016/49/81-प्रो I]

S.O. 2776 - Whether it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Miners pipelines (Acquisition of right of user in land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user thirein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9 Middle Class housing Society Panvel Dist, Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Karanjade	River	—	48.00
	Rail	-	28.00
			216.00
			176.00
			556.00
			272.00
			420.00
			724.00
			72.00

[No. 12016/49/81-Prod. I]

का० आ० 2777—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मिडिलक्लास हाउसिंग सोसायटी पनवेल, जिला-रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

762 GI/81—7

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र—राज्य जिला-रायगढ़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नं०	स्क्वेयर मीटर
वाढघर	रेल	608.00
		506.00
		88.00

[सं० 12016/49/81-प्रो०-II]

S.O 2777.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9. Middle Class housing Society, Panvel, Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Patrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Vadghar	Rail	—	608.00
			506.00
			88.00

[No. 12016/49/81—Prod. II]

का० आ० 2778—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० तालेजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मिडिल क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल, जिला० रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि०, तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र—राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नंबर	स्क्वे० मिटर्स
गवान	भाग	28.00

[सं० 12016/50/81-प्रो० I]

S.O. 2778.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharastra State Pippeline should be laid by Deepapk Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle class housing Society Panvel Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq Meters
Gavan	Part		28 00

[No. 12016/50/81-Prod. I]

का० आ० 2779.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन-अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी, पनवेल जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि०, तलोजा तक पाईपलाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र—राज्य जिला-रायगढ़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नं०		स्क्वे० मिटर्स
आसुद गांव	नाला	—	28.00
	97 पी०टी	—	198.00
	96 पी० टी०	—	66 00
	53 पी० टी०	—	240.00
	51 पी० टी०	—	92.00
	50 पी० टी०	—	64.00
	42 पी० टी०	5 पी०टी	220 00
	55	1 पी०टी०	40 00
		2 पी०टी०	96 00
	56 पी० टी०	—	124 00
	33 पी० टी०	—	20.00
	सड़क	—	376.00

[सं० 12016/50/81-प्रो०-II]

S.O. 2779.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharastra State Pipeline should be laid by Deeppak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mieral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification objection to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle class housing Society Panvel Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
1	2		3
Asudgaon	Nala	—	28.00
	97Pt	—	198.00
	96pt	—	66.00

1	2		3
	53pt	—	240.00
	51pt	—	92.00
	50pt	—	64.00
	42pt	5pt	220.00
	55	1pt	40.00
		2pt	96.00
	56pt	—	124.00
	33pt	—	20.00
	Road	—	276.00

[No. 12016/50/81—Prod. II]

का० आ० 2780.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मिडल क्लास हौसिंग सोसायटी-पनवेल, जिला-रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

महाराष्ट्र राज्य जिला रायगढ़ तालुका-पनवेल

गांव	सर्वेक्षण	नम्बर	स्क्वे मिटर्स
टंबोडे	सड़क		1310.00

[सं० 12016/51/81 प्रो०-I]

S.O. 2780.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle class housing Society Panvel, Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in peprson or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Mete
Tembhode	Road	—	1310.00

[No. 12016/51/81—Prod. I]

का० आ० 2781.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि०, द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मिडिल क्लास हौसिंग सोसाइटी पनवेल जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

महाराष्ट्र : राज्य जिला : रायगढ़, तालुका : पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नंबर	स्क्वे० मीटर्स
वालवली	सड़क	1506.00

[सं 12016/51/81-प्रो० II]

S.O. 2781.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloik in Maharastra State Pipeline should be laid by Deeppak Fertilizers and Petrochemicals Corporn. Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of saying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers confferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petrolleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society Panvel, Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Valavali	Road	—	1506.00

[No. 12016/51/81—Prod. II]

का०आ० 2782.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन दीपक फर्टिलाईजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि से उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं 9, मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल, जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० तलोजा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगढ़ तालुका : पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नम्बर	स्क्वे मीटर्स
पालेबुद्रक	सड़क	1744.00
	65 पी०टी०	48.00
	66 पी टी	16.00
	7 पी०टी०	40.00
	8 पी टी	16.00

[सं० 12016/52/81-प्रोड-I]

S.O. 2782.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission Plot No. 9, Middle class housing Society Panvel Dist. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifiecally whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	Area Sq. Meters
Palebudruk	Road	1744.00
	65pt	48.00
	66pt	16.00
	7pt	40.00
	8pt	16.00

[No. 12016/52/81-Prod. I]

का०आ० 2783.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरान टर्मिनल से दीपक फर्टीलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० तलोजा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्लैट नं० 1 मिडिल क्लास हौसिंग सोसाइटी पनवेल, जिला-रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

उरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० तलोजा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्यमहा : राष्ट्र जिला : रायगढ़ तालुका : पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नंबर	स्क्वे मीटर्स
हैडूत्ने	सड़क	252.00
	4 पी टी	10.00
	नदी	48.00

[सं० 12016/52/81-प्रो० II]

S.O. 2783.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja, in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petro chemicals Corporation Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel District Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka -Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Hedutane	Road	—	252.00
	4pt	—	10.00
	River	—	48.00

[No. 12016/52/81—Prod. II]

का०आ० 2784.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि० तलोजा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल, जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० तलोजातक पाइप लाइन बिछाने के लिए

महाराष्ट्र राज्य जिला : रायगढ़ तालुका पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नं०	क्षेत्र० मीटर्स
दापोली	रेल	148 00
		728 00
		482.00
		20.00

[सं० 12016/53/81-प्रो० I]

S.O. 2784.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District- Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Dapoli	Rail	—	148.00
			728.00
			482.00
			20 00

[No. 12016/53/81.Prod. I]

का०आ० 2785.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल जिला रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

भूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

महाराष्ट्र राज्य : जिला रायगढ़, तालुका पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नम्बर		स्क्वे० मिटर्स
कुन्देवहल	नदी		32.00
	रेल		248.00
			172.00
			208.00
			272.00
			102.00
			120.00
			140.00
			88.00
	73	1	30.00

[सं० 12016/53/81-प्रो० II]

S.O. 2785.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No	Area Sq. Meters
1	2	3	4
Kundewahal	River		32.00
	Rail		248.00
			172.00
			208.00
			272.00
Kundewahal—(Contd.)			102.00
			120.00
			140.00
			88.00
	73	1	30.00

[No. 12016/53/81—Prod. II

का०आ० 2786.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में भूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9, मि० क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल, जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनसूची

भूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

महाराष्ट्र राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—पनवेल

गांव	सर्वेक्षण नम्बर	स्क्वे० मिटर्स
धल्लप	सड़क	940.00

[सं० 12016/54/81-प्रो० II]

S.O. 2786.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.
State Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meters
Valap	Road	—	940.00

[No. 12016/54/81-Prod. I]

का०आ० 2787.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, (प्लाट नं० 9 मिडल क्लास हौसिंग सोसायटी पनवेल, जिला रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः, यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

यूरान टर्मिनल से दीपक फर्टिलाइजर्स और पैट्रोकमिकल्स कार्पोरेशन लि० तलोजा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

महाराष्ट्र राज्य जिला—रायगढ़ तालुका—पनवेल

गाव	सर्वेक्षण नम्बर	स्क्वे० मीटर्स
पालेखुर्द	म०प्रो.वि.नि.	10.00

[सं० 12016/54/81-प्रो० II]

S.O. 2787.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd., Taloja in Maharashtra State Pipeline should be laid by Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Plot No. 9, Middle Class Housing Society, Panvel, Distt. Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.
State—Maharashtra, District—Raigad, Taluka—Panvel.

Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Meter
Palekhurd	M.I.D.C.		10.00

[No. 12016/54/81-Prod. II]

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1981

का०आ० 2788.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य के विराज जी०जी०एस० से दक्षिण कड़ी सी०टी०एफ तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विराज जी०जी०एस० से दक्षिण कड़ी सी०टी०एफ० तक

राज्य—गुजरात जिला—महेसाना तालुका—फडी

गांव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कडी	1005	0	06	15
	1004/1	0	04	80
	1003	0	04	50
	1002	0	06	15
	1001	0	03	75
	1000	0	05	25
	999/12	0	08	40
	कार्ट ट्रैक	0	01	20

1	2	3	4	5
कड़ी— (जारी)	1024	0	00	75
	1025	0	06	15
	1026	0	04	05
	1035	0	08	10
	1034/2	0	02	25
	1034/1	0	01	85
	1033/2	0	00	10
	1033/1	0	04	40
	1032	0	05	70
	1059/2	0	03	75
	1059/3	0	03	75
	1059/4	0	04	50
	1053/6	0	07	50
	1053/2	0	04	05
	1053/1	0	03	90
	कार्ट ट्रैक	0	01	05
	1124/1	0	07	65
	1123	0	06	45
	1379	0	06	90
	1381	0	06	75
	1382	0	06	00
	1383	0	15	15
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	1387	0	09	30
	1388/3	0	07	50
	1388/2	0	07	50
	1388/1	0	03	00
	1340	0	04	50
	1339	0	21	00
	1336	0	05	40
	1335	0	04	95
	1334	0	05	25
	1333	0	05	40
	1390/2	0	05	76
	1625	0	07	20
	1626	0	08	90
	कार्ट ट्रैक	0	00	25
	1635/2	0	16	20
	1633/1	0	00	15
	1636/पी	0	11	65
	1636/पी	0	07	65
	कार्ट ट्रैक	0	00	90
	1831/4	0	11	25
	1834	0	05	70
	कार्ट/ट्रैक	0	00	90
	1836	0	11	25
	1838	0	11	25
	1852	0	15	00

[सं 12016/29/81-प्रो० I]

S.O. 2788.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from **G.G.S. VIRAJ** to **SOUTH KADI C.T.F.** in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission Construction & Maintenance division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS Viraj to South Kadi C.T.F. State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centia-are
1	2	3	4	5
Kadi	1005	0	06	15
	1004/1	0	04	80
	1003	0	04	50
	1002	0	06	15
	1001	0	03	75
	1000	0	05	25
	999/2	0	08	40
	Cart track	0	01	20
	1024	0	00	75
	1025	0	06	15
	1026	0	04	05
	1035	0	08	10
	1034/2	0	02	25
	1034/1	0	01	85
	1033/2	0	00	10
	1033/1	0	04	40
	1032	0	05	70
	1059/2	0	03	75
	1059/3	0	03	75
	1059/4	0	04	50
	1053/6	0	07	50
	1053/2	0	04	05
	1053/1	0	03	90
	Cart track	0	01	05
	1124/1	0	07	65
	1123	0	06	45
	1379	0	06	90
	1381	0	06	75
	1382	0	06	00
	1383	0	15	15
	Cart track	0	01	50
	1387	0	09	30
	1388/3	0	07	50
	1388/2	0	07	50
	1388/1	0	03	00
	1340	0	04	50
	1339	0	21	00
	1336	0	05	40
	1335	0	04	95
	1334	0	05	25
	1333	0	05	40

1	2	3	4	5
Kadi—	1390/2	0	05	76
(Contd.)	1625	0	07	20
	1626	0	08	90
	Cart track	0	00	25
	1635/2	0	16	20
	1633/1	0	00	15
	1636/P	0	11	65
	1636/P	0	07	65
	Cart track	0	00	90
	1831/4	0	11	25
	1834	0	05	70
	Cart track	0	00	90
	1836	0	11	52
	1838	0	14	25
	1852	0	15	00

[No. 12016/29/81-Prod. I]

का० आ० 2789.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में झालोरा-12 से जी०जी० एस० झालोरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

झालोरा-12 से जी० जी० एस० झालोरा

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए०आर० सेन्टीयर
आद्रज	1705/2	0	17 50
	1706	0	12 20
	1709	0	01 35
	1708/1	0	04 50
	1708/2/बी	0	03 75
	1710	0	11 43
	1726	0	07 00
	1711/2	0	01 50
	1712/1	0	06 30
	1714	0	04 20
	1715	0	09 00
	1717/1	0	11 55
	कार्ट ट्रेक	0	00 75
	1603	0	09 00

[सं० 12016/29/81-प्रो० II]

S.O. 2789.—Whereas it appears to the Central Government it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from JHALORA-12 to GGS JHALORA in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Jhalora-12 to GGS Jhalora

State—Gujarat District—Mehsana Taluka—Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Adraj	1705/2	0	17	50
	1706	0	12	20
	1709	0	01	35
	1708/1	0	04	50
	1708/2/B	0	03	75
	1710	0	11	43
	1726	0	07	00
	1711/2	0	01	50
	1712/1	0	06	30
	1714	0	04	20
	1715	0	09	00
	1717/1	0	11	55
	Cart Track	0	00	75
	1603	0	09	00

[No. 12016/29/81-Prod. II]

का० आ० 2790.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विराज जी० जी० एस० से दक्षिण कड़ी सी० टी० एफ० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

विराज जी० जी० एस० से दक्षिण कड़ी सी० टी० एफ० तक

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
नानी कडी	178/5	0	16	50
	178/6	0	00	15
	176/1/ऐ	0	13	20
	175/1	0	02	25
	172/1/बी	0	11	85
	172/2	0	00	60
	176/1/बी	0	04	95
	171	0	30	00
	226	0	17	10
	256	0	03	85
	257	0	12	50
	254	0	08	55
	253	0	11	13
	252	0	04	77
	249	0	32	55
	247	0	21	60
	248	0	00	15
	53/ए	0	00	10
	49/2	0	03	45
	50/1	0	07	05
	52	0	14	55
	51	0	00	60
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	15/1/ऐ	0	21	00
	15/1/बी	0	00	23
	18/1	0	04	95
	12	0	03	45
	11	0	02	10
	9/ऐ	0	03	00
	8/ऐ	0	03	00
	19	0	00	15
	6/ऐ	0	20	70
	3	0	14	45
	1021	0	43	20
	429	0	11	70
	428	0	08	10
	427	0	09	90
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	425	0	05	70
	423	0	11	85
	422	0	15	45
	420	0	04	35
	419/1	0	07	50
	419/2	0	03	60
	418	0	08	40
	417	0	06	75

[सं० 12016/28/81-प्रो०]

S.O. 2790.—Whereas it appears to the Central Government it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. VIRAJ to SOUTH KADI C.T.F. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline GGS Viraj To South Kadi C.T.F.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Nani Kadi	178/5	0	16	50
	178/6	0	00	15
	176/1/A	0	13	20
	175/1	0	02	25
	172/1/B	0	11	85
	172/2	0	00	60
	176/1/B	0	04	95
	171	0	30	00
	226	0	17	10
	256	0	03	85
	257	0	12	50
	254	0	08	55
	253	0	11	13
	252	0	04	77
	249	0	32	55
	247	0	21	60
	248	0	00	15
	53/A	0	00	10
	49/2	0	03	45
	50/1	0	07	05
	52	0	14	55
	51	0	00	60
	Cart track	0	00	75
	15/1/A	0	21	00
	15/1/B	0	00	23
	18/1	0	04	95
	12	0	03	45
	11	0	02	10
	9/A	0	03	00
	8/A	0	03	00
	19	0	00	15
	6/A	0	20	70
	3	0	14	45
	1021	0	43	20
	429	0	11	70
	428	0	08	10
	427	0	09	90
	Cart track	0	00	75
	425	0	05	70
	423	0	11	85
	422	0	15	45
	420	0	04	35
	419/1	0	07	50
	419/2	0	03	60
	418	0	08	40
	417	0	06	75

[No. 12016/28/81-Prod.]

का० आ० 2791.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दक्षिण संथाल जी०जी० एस० से उत्तर कड़ी जी० जी० एस० I तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत ।

अनुसूची

दक्षिण संथाल जी० जी० एस० से उत्तर कड़ी जी० जी० एस०-I

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	ए०आर०ई० सेन्टीयर	
कसलपुर	851	0	04	80
	852	0	05	40
	893	0	11	70
	859	0	00	45
	860	0	06	00
	892	0	05	40
	874	0	11	25

[सं० 12016/40/81-प्रो०]

S.O. 2791.—Whereas it appears to the Central Government it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SOUTH SANTHAL GGS to N. KADI GGS I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competant Authority, oil & Natural Gas Commision, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from South Santhal GGS to N. Kadi G.G.S.I.
State—Gujarat District Taluka—Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kasalpur	851	0	04	80
	852	0	05	40
	893	0	11	70
	859	0	00	45
	860	0	06	00
	892	0	05	40
	874	0	11	25

[No. 12016/40/81—Prod.]

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1981

का० आ० 2792.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3057 तारीख 15-10-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत. सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

दक्षिण संथाल से उत्तर कड़ी जी० जी० एस०-1

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए० आर० ई०	सेन्टीयर
भटारीया	86	0	16	35
	85/1	0	09	90
	84	0	32	55
	कार्ट ट्रेक	0	00	75
	82/5	0	18	90
	82/4	0	00	15
	82/6	0	06	30
	81/2	0	05	10
	71/2	0	07	05
	71/1	0	06	75
	71/3	0	08	10
	70/1	0	02	70

[सं० 12016/48/80-प्रो० I]

New Delhi, the 28th September, 1981

S O. 2792.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S O. No. 3057, dated 15-10-80 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from South Santhal To North Kadi GGS I

State—Gujarat District—Ahmedabad Taluka—Viramgam

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Bhatariya	86	0	16	35
	85/1	0	09	90
	84	0	22	55
	Cart track	0	00	75
	82/5	0	15	90
	82/4	0	00	15
	82/6	0	06	30
	81/2	0	05	10
	71/2	0	07	05
	71/1	0	06	75
	71/3	0	08	1 0
	70/1	0	02	70

[No. 12016/48/80-Prod -I]

का० आ० 2793—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० स० 3058 तारीख 15-10-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची म विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मे, सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

दक्षिण संथाल से उत्तर कड़ी जी० जी० एस०-I

राज्य गुजरात जिला व तालुका मेहसाना

गाव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	ए० आर० सेन्टीयर ई०	
कमलपुर	861	0	00	60
	862	0	09	30
	874	0	06	30
	886	0	13	50
	884	0	06	30
	883	0	02	10

[स० 12016/48/80-प्रो० II]

S.O 2793—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum), S O No 3058, dated 15-10-80 under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ,

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ,

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from South Santhal to N Kadi GGS I

State—Gujarat District & Taluka—Mehsana

Village	Block No	Hecatare	Are	Centiare
Kasalpura	861	0	00	60
	862	0	09	30
	874	0	06	30
	886	0	13	50
	884	0	06	30
	883	0	02	10

[No 12016/48/80—Prod II]

का० आ० 2794.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1815 तारीख 9-6-81 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जुटाना-1 से दक्षिण संथाल जी० जी० एस०

राज्य : गुजरात जिला व तालुका-मेहसाना

गांव	ब्लाक सं०	हेक्टेयर	ए० आर० सेन्टीयर ई०	
1	2	3		4
कसल पुरा	कार्ट ट्रेक	0	02	50
	185	0	24	40
	179	0	12	06
	178	0	01	34
	177	0	14	60
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	72	0	16	60
	76	0	14	20
	81	0	14	70
	82	0	03	70
	85	0	07	60
	86	0	00	60
	87	0	02	25
	88	0	08	00
	89	0	03	40
	4	0	13	80
	कार्ट ट्रेक	0	00	80
	12	0	37	00
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	952	0	16	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	933	0	20	00
	934	0	12	20
	935	0	05	00
	कार्ट ट्रेक	0	01	60
	844	0	12	00
	845	0	06	00
	902	0	01	50
	846	0	08	50
	847	0	27	40
	848	0	00	30
	849	0	18	30
	850	0	06	60
	837	0	03	60
	836	0	08	20
	853	0	01	20

[सं० 12016/19/81-प्रो० I]

S.O. 2794.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. No. 1815 dated 9-6-81 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Jotana—1 to South Santhal G.G.S.

State—Gujarat District & Taluka—Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3		4
Kasalpura	Cart track	0	02	50
	185	0	24	40
	179	0	12	06
	178	0	01	34
	177	0	14	60
	Cart track	0	01	00
	72	0	16	60
	76	0	14	20
	81	0	14	70
	82	0	03	70
	85	0	07	60
	86	0	00	60
	87	0	02	25

1	2	3	4	5
	88	0	08	00
	89	0	03	40
	4	0	13	80
	Cart track	0	00	80
	12	0	37	00
	Cart track	0	02	40
	952	0	16	00
	Cart track	0	03	00
	933	0	20	00
	934	0	12	20
	935	0	05	00
	Cart track	0	01	60
	844	0	12	00
	845	0	06	00
	902	0	01	50
	846	0	08	50
	847	0	27	40
	848	0	00	30
	849	0	18	30
	850	0	06	60
	837	0	03	60
	836	0	08	20
	853	0	01	20

[No. 12016/19/81—Prod. I]

का० आ० 2795.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1816 तारीख 9-6-81 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जुटाना-1 से दक्षिण संथाल जी० जी० एस०

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टर	आर०	सेन्टीयर
जुटाना	1247	0	05	80
	1249	0	34	40
	1219	0	117	80
	1220	0	20	80
	1213	0	16	60
	1199	0	34	80
	1197	0	00	45
	1193	0	23	35
	1180	0	14	40
	1179	0	02	70
	1178	0	15	60
	1177	0	00	15
	कार्ट ट्रेक	0	02	50

[सं० 12016/19/81-प्रो० II]

S.O. 2795.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum), S.O. 1816 dated 9-6-1981 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe line from Jotana—1 to South Santhal G.G.S.

State—Gujarat District & Taluka—Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Jotana	1247	0	05	80
	1249	0	34	40
	1219	0	177	80
	1220	0	20	80
	1213	0	16	60
	1199	0	34	80
	1197	0	00	45
	1193	0	23	35
	1180	0	14	40
	1179	0	02	70
	1178	0	15	60
	1177	0	00	15
	Cart track	0	02	50

[No. 12016/19/81—Prod. II]

का० आ० 2796.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1736 तारीख 29-5-81 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कलोल-21 से कलोल-135 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	ए० आर० सेन्टीयर हैं०	
अडालज	1072	0	03	00
	1050	0	09	00
	1049	0	06	15
	1053	0	29	10
	1056	0	11	40
	1055	0	06	15
	1054	0	01	00
	1041	0	18	90
	1042	0	15	30
	कार्ट ट्रेक	0	01	35
	1012	0	40	90
	1014	0	04	50
	1012	0	22	95
	849	0	58	50
	878	0	03	00
	843	0	40	00
	844	0	02	50

[सं० 12016/16/81-प्रो०]

टी० एन० परमेश्वरन, अवर सचिव

S.O. 2796.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum), S.O. No. 1736, dated 29-5-81 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Kalol—21 to Kalol—135

State—Gujarat District & Taluka—Gandhinagar.

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Adalaj	1072	0	03	00
	1050	0	09	00
	1049	0	06	15
	1053	0	29	10
	1056	0	11	40
	1055	0	06	15
	1054	0	01	00
	1041	0	18	90
	1042	0	15	30
	Cart track	0	01	35
	1012	0	40	90
	1014	0	04	50
	1012	0	22	95
	849	0	58	50
	878	0	03	09
	843	0	40	00
	844	0	02	50

[No. 12016/16/81-Prod.]

T. N. PARAMESWARAN, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1981

का० आ० 2797.— केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 10 सितम्बर, 1980 के पृष्ठ 1395-96 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 767 (अ), तारीख 9 सितम्बर 1980 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 2350 एकड़ (लगभग) या 951.00 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने तथा बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 2350.00 एकड़ (लगभग) या 951.00 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 2350.00 एकड़ (लगभग) या 951.00 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त , डालटनगंज (जिला पलामू) (बिहार) के कार्यालय या कोयला नियन्त्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 के कार्यालय या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

होरीलांग ब्लाक

हुतार कोलफील्ड

जिला पलामू (बिहार)

रेखांक सं० राजस्व 1/81
तारीख 7-1-81
(जिसमें अर्जित की गई भूमि दर्शित है)

सभी अधिकार—

क्रम सं	ग्राम	अंचल	राजस्व थाना	थाना संख्या	जिलाक्षेत्र	टिप्पणियां
1.	पुतुआगढ़	बरवाडीह	लातेहार	20	पलामू	भाग
2.	होरीलांग	बरवाडीह	लातेहार	31	पलामू	भाग
3.	बरिचटन (ए) आरक्षित वन	बरवाडीह	लातेहार	34	पलामू	भाग
4.	मोरबाई खुर्द	बरवाडीह	लातेहार	35	पलामू	भाग
5.	सिन्धारोपा	बरवाडीह	लातेहार	36	पलामू	भाग
6.	मोरबाई कला (जी० पी०)	बरवाडीह	लातेहार	39	पलामू	भाग
7.	बरिचटन (ए) आर० एफ०	बरवाडीह	लातेहार	–	पलामू	भाग

कुल क्षेत्र 2350.00 एकड़ (लगभग)
या 951.00 हैक्टर (लगभग)

पुतुआगढ़ ग्राम से अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :

113 (भाग), 115 (भाग), 116 (भाग), और 117 (भाग)

होरीलांग ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :

2 (भाग), 3, 4, 5, 6, 7, 8 (भाग), 9 (भाग), 86 (भाग), 88 (भाग), 89 (भाग), 90, 91, 92 (भाग) 93 से 100, 101 (भाग), 102, 103, (भाग), 104 (भाग), 107 (भाग), 113 (भाग), 114 (भाग), 158 (भाग), 159, 160, 161, 162(भाग), 163(भाग) 164 (भाग), 165 (भाग), 177 (भाग), 178 (भाग), 179 (भाग), 183 (भाग), 189 से 192, 193 (भाग), 197 (भाग) 198, 199 (भाग), 377 (भाग), 378 से 383, 384 (भाग) और 386 (भाग) ।

बरिचटन 'ए' आरक्षित वन पूर्णतः अर्जित किया गया।

मोरबाई खुर्द ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक 1 (भाग)

सिन्धारोपा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :

15 (भाग), 25 (भाग), 26, 27, 28 (भाग), 31 (भाग) 32 से 84, 85 (भाग), 86 (भाग), 87 (भाग), 88 (भाग), 89 (भाग), 183, 184, 185 और 186।

मोरबाईकला ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक : 1 (भाग)
बरिचटन 'ए' आरक्षित वन का भाग

सीमा-वर्णन

क-ख रेखा उत्तरी कोयल नदी की भागतः मध्य रेखा, जो कि पुतुआगढ़ ग्राम और हुतार तथा सिंघरोपा और हुतार की भागतः सांझी सीमा भी है, के साथ साथ जाती है।

ख-ग रेखा सिन्धारोपा ग्राम में प्लाट सं० 15 (नदी), 25, 28, 31, 85, 86, 87, 88, और 89 में से होकर, बरिचटन (ए) आरक्षित वन में से होकर तब मोरबाई खुर्द ग्राम के प्लाट सं० 1 में से होकर पुनः मोरबाई ग्राम में प्लाट सं० 1 में से होकर जाती है।

ग-घ रेखा मोरबाईकला ग्राम में प्लाट सं० 1 में से होकर जाती है।

घ-ङ० रेखा बरिचटन (ए) आरक्षित वन में से होकर और होरीलांग ग्राम की भागतः पूर्वी सीमा के साथ साथ (जो कि हुतार कोयला-क्षेत्र की भागतः पश्चिमी सांझी सीमा है) जाती है।

च-क रेखा होरीलांग ग्राम में प्लाट सं० 386, 387, 377,199, 193, 197, 183, 178, 179, 177, 162, 163, 164, 165, 158, 113, 114, फिर 114, 107, 104, 101, 103, 89, 88, 86, 92, 8, 9, 2 में से होकर तब पुतुआगढ़ ग्राम में प्लाट सं० 116, 117, 115, 113 में से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं० 19 (42) 80-सी एल) (भाग II]
स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi the 11th September, 1981

S. O. 2797:—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S. O. 767 (EI), dated the 9th September, 1980 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 10th September, 1980, at pages 1397-98 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition) and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands measuring 2350.00 acres (approximately) or 951.00 hectares (approximately) specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made s report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and, after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 2350.00 acres (approximately) or 951.00 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 2350.00 acres (approximately) or 951.00 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Daltanganj, Dist. Palamau (Bihar), or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1, or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Horilong Block
Hutar Coalfield
District—Palamu (Bihar)
Drg. No. Rev/1/81
Dated : 7-1-81
(showing lands acquired)

All Rights :—

Sl. No.	Village	Anchal	Revenue Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Putuagarh	Barwadih	Latehar	30	Palamau	Part	
2.	Horilong	,,	,,	31	,,	,,	
3.	Barichatan(A) Reserved forest.	,,	,,	34	,,	,,	
4.	Morwaikhurd	,,	,,	35	,,	,,	
5.	Sindharowa	,,	,,	36	,,	,,	
6.	Morwaikalan (GP)	,,	,,	39	,,	,,	
7.	Barichatan (A) R.F.	,,	,,	,,	,,	,,	

Total Area : 2350.00 acres (approximately)
or : 951.00 hactares (approximately)

Plot numbers acquired in village Putuagarh—
113(Part), 115(Part)1 116(Part), and 117 (Part).
Plot numbers acquired in village Horilong :—

2(Part), 3,4,5,6,7,8(Part),9(Part),86(Part), 88(Part), 89(Part), 90, 91, 92 (Part), 93 to 100, 101(Part), 102, 103(Part), 104(Part), 107(Part), 113(Part), 114(Part), 158(Part), 159, 160,161, 162(Part, 163 (Part), 164(Part), 165(Part), 177 (Part), 178 (Part), 179(Part), 183(Part), 184 to 192, 193(Part), 197 (Part), 198, 199(Part), 377 (Part), 378 to 383, 384(Part), & 386-(Part).

Barichatan 'A' Reserved Forest acquired in full.

Plot Number acquired in village Morwaikhurd : 1(Part)

Plot Number acquired in village Sindharowa:—
15(Part), 25(Part), 26, 27, 28(Part), 31(Part), 32 to 84, 85(Part), 86 (Part), 87(Part), 88(Part), 89(Part), 183, 184, 185, 186.

Plot number acquired in village Morwaikalan (G. P.):—1 (Part).

Part of Barichatan 'A' (R. F.).

Boundry description:—

A—B	line passes along the part central line of river North Koel which is also part common boundary of villages Putuagarh and Hutar and Sindharowa and Hutar.
B—C	line passes through plot numbers 15 (River), 25, 28, 31, 85, 86, 87, 88 & 89 in village Sindharowa, through Barichatan (A) Reserved Forest, then through plot number 1 of village Morwaikhurd again plot number 1 in village Morwaikalan.
C—D	line passes through plot number 1 of village Morwaikalan.
D—E—F	lines pass through Barichatan (A) Reserved Forest and the part along eastern boundary of village Horilong (which is part wastern common boundary of Hutar Colliery).
F—A	line passes through plot numbers 386, 384, 377, 199, 197, 193, 183, 178, 179, 177, 162, 163, 164, 165, 158, 114, 113, again 114, 107, 104, 101, 103, 89, 88, 86, 92, 8, 9, 2 in village Horilong, then through plot numbers 116 117, 115, 113, in village Putuagarh and meets at starting point "A".

[No. 19(42)/80—C.L. (Pt. II)]

New Delhi, the 29th September, 1981

CORRIGENDA

S.O. 2798.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 759, dated the 23rd February, 1981, published in Part II—Section 3—Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 7th March, 1981 at pages 825-826,—

(i) **in line 9**, for "Plot number", **read** "Plot numbers";
(ii) **in line 18, for** "Plot numbers", **read** "Plot numbers";
(iii) **in line 25,** for "487 (Part), 488 to 495 (part), 497 to 2948 (Part), 2052 to 3541", **read** "487 (Part), 488 to 495, 496 (Part), 497 to 2948, 2952 to 3541";
(iv) **in line 39**, for "3592", read "3542";
(v) **in line 43**, for "Ankara" read "Anpara".

[No. 19|63|80-CL]

SWARAN SINGH, Under Secy.

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1981

(पुरातत्व)

का० आ० 2799—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है।

उक्त प्राचीन संस्मारक से हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् ऊपर विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि के भीतर की गई किसी आपत्ति पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किया जाने वाला राजस्व प्लाट सं०	क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	त्रिचूर	त्रिचूर	उर्कम और चेरपू	उर्कम ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 71 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 55, 59/1, 60, 63, 64, 68, 80, 81 का भाग और चेरपू ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 1/2, 2/1 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 1/1 और 4/2 के भाग में समाविष्ट क्षेत्र के साथ शिव मंदिर कॉम्प्लेक्स, पैरुवणम, जैसा कि पुनः प्रस्तुत स्थल रेखांक में दर्शित किया गया है।	उर्कम ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 71 और सर्वेक्षणप्लाट 55, 59/1, 60, 63, 64, 68, 80, 81 के भाग और चेरपू ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 1/2, 2/1 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 1/1 और 4/2 का भाग, जैसा कि पुनः प्रस्तुत स्थल रेखांक में दर्शित किया गया है।	03.06.19 हैक्टर	उत्तर : ग्राम उर्कम का सर्वेक्षण प्लाट सं० 70 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 64 और 68 का शेष भाग और ग्राम चेरपू के सर्वेक्षण प्लाट सं० 1/1 का शेष भाग। पूर्व : ग्राम उर्कम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 55, 59, 60, 63, और 64 का शेष भाग, दक्षिण : ग्राम उर्कम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 72, 73, 74, 75, 81 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 80 का शेष भाग और ग्राम चेरपू के प्लाट सं० 4/2, 2/1 का शेष भाग। पश्चिम : ग्राम चेरपू के सर्वेक्षण प्लाट सं० 3 और 17 (सड़क)।	उर्कम ग्राम का सर्वेक्षण प्लाट सं० 71, सर्वेक्षण प्लाट सं 59/1, 63, 64, 60 के भाग और चेरपू ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 1/2 का भाग : पेरूवणम देवास्वम उर्कम ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 55, 68, 80 का भाग और चेरपू ग्राम का सर्वेक्षण प्लाट सं० 2/1 : पोरबोक उर्कम ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 81 का भाग और चेरपू ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 1/1 और 4/2 : निजी।	श्री कोहल की दीवारों पर के भित्ति चित्र और ग्रेनाइट मूर्तियां पहले से ही संरक्षण के अधीन हैं।

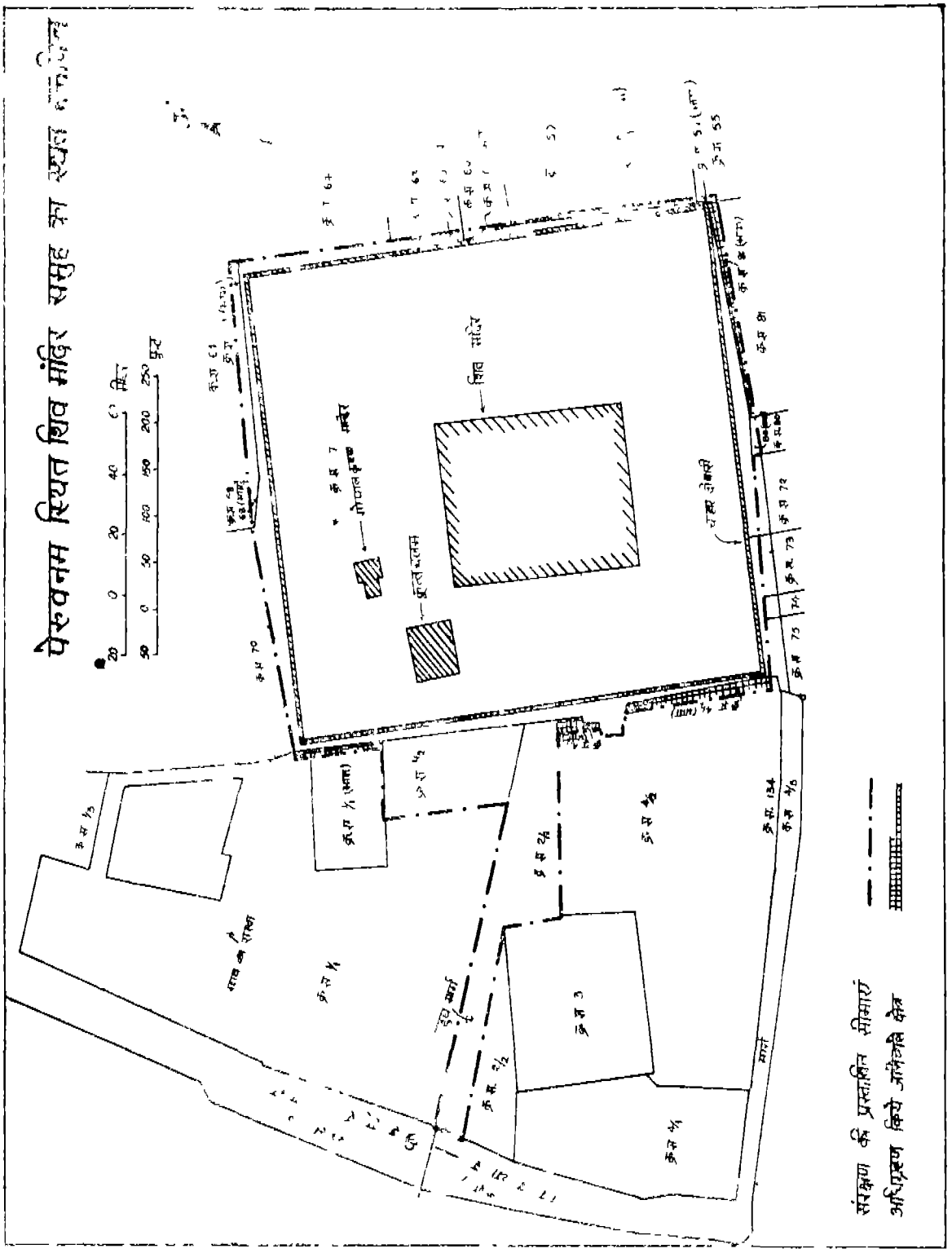

[सं० 2/1/76-स्मा]

डा० (श्रीमती) देवला मित्र, महानिदेशक पदेन संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, 26th September, 1981

(ARCHAEOLOGY)

S. O. 2799:—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received from any person interested in the said ancient monument whithin a period of two months, so specified above, after the issue of this notification, will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kerala	Trichur	Trichur	Urakam and Cherpu	Siva temple complex, peruvanam together with adjacent area comprised in survey plot No. 71 and part of survey plot Nos. 55, 59/1, 60, 63, 64, 68, 80,81 of village Urakam and survey plot Nos. 1/2, 2/1 and part of survey plot Nos. 1/1 and 4/2 of village Cherpu as shown on the site plan reproduced below.	Survey plot No. 71 and part of survey plot Nos. 55, 59/1, 60, 63, 64, 68, 80, 81 of village Urakam and survey plot Nos. 1/2, 2/1 and part of survey plot Nos. 1/1 and 4/2 of village Cherpu as shown on the site plan reproduced below.	03.06.19 Hectares	North: Survey plot No.70 and remaining portion of survey plot Nos. 64, 68 of village Urakam and remaining portion of survey plot No. 1/1 of village Cherpu. East: Remaining portion of survey plot Nos. 55, 59, 60 63 and 64 of village Urakam. South : Survey plot Nos. 72, 73, 74, 75, 81 and remaining portion of survey plot No. 80 of village Urakam and remaining portion of survey plot Nos. 4/2, 2/1 of village Cherpu. West : Survey plot Nos. 3 and 17 (Road) of village Cherpu.	Survey plot No. 71, parts of survey plot Nos. 59/1, 63, 64, 60 of village Urakam and part of survey plot No. 1/2 of village Cherpu; peruvanam Dewaswom. Part of survey plot Nos. 55, 68, 80 of village Urakam and survey plot No. 2/1 of Cherpu village; Poramboke. Part of survey plot No. 81 of village Urakam and survey plot Nos. 1/1 and 4/2 of village Cherpu; Private.	Mural paintings on the walls of the Srikoils and bracket images are already under protection.

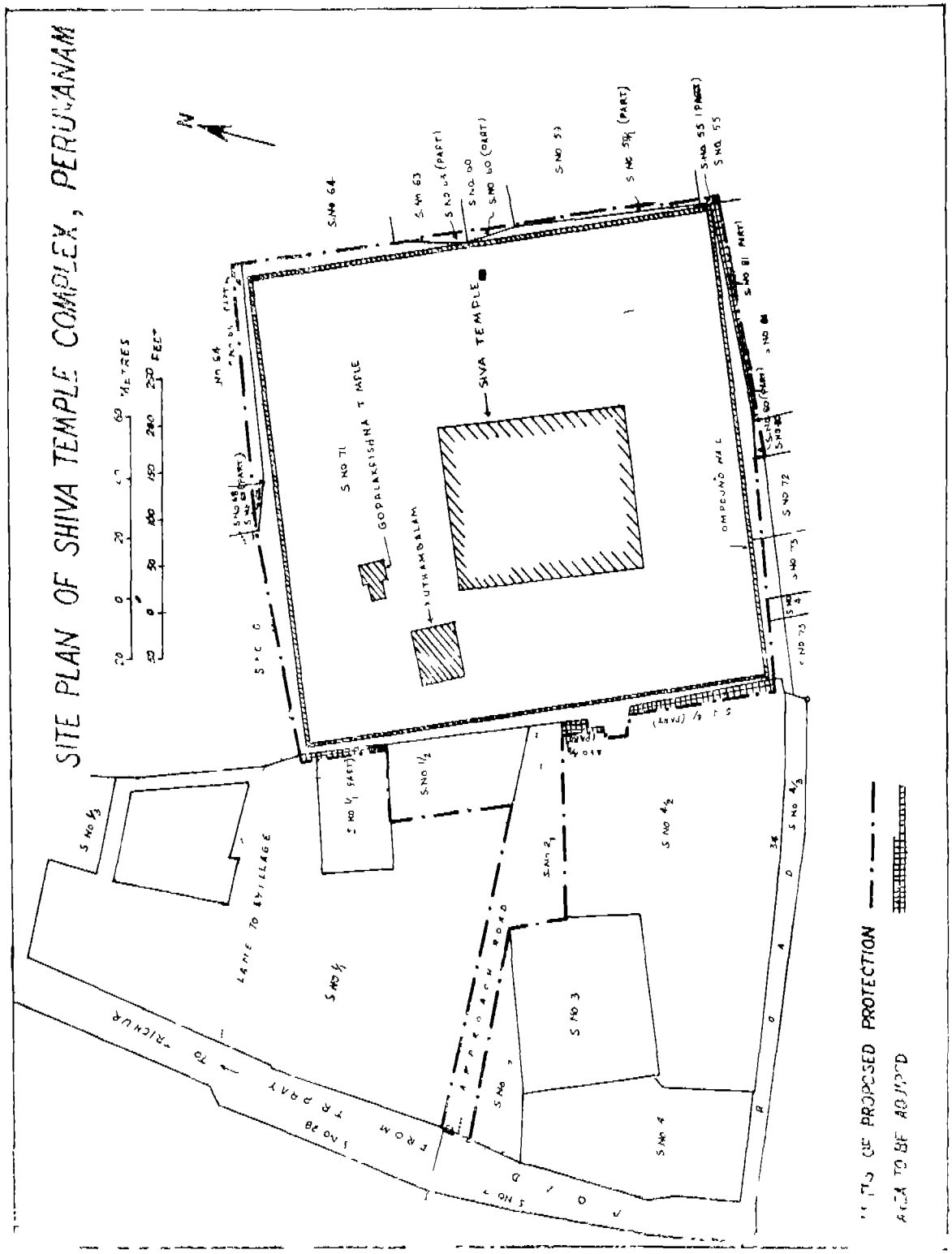

[No.2/1/76-M]

D. MITRA, Director General and Ex-Officio Jt. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1981

का० आ० 2800.— स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1950 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने नक्कलदिन्ने, पेद्दकदुबूर तथा एरिगेरि टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-10-81 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-6/81-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 25th September, 1981

S.O. 2800.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs hereby specifies 16-10-1981 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Nakkaladinne, Peddakadubur and Erigeri Telephone Exchange, Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-6/81-PHB]

का० आ० 2801.— स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने एडक्काट टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-10-81 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/81-पी एच बी]

आर० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी एच बी)

S.O. 2801.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-10-1981 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Edakkad Telephone Exchange Kerala Circle.

[No. 5-11/81-PHB]

R. C. KATARIA, Assistant Director General (PHB)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1981

का० आ० 2802.—फिल्म सलाहकार बोर्ड के कार्यकरण से संबंधित विनियमों के नियम 14 (ख) के उपबंधों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपांतरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है:—

अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लंबाई (मीटरों में)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1715 और भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1715 (क्षेत्रीय पूर्व और क्षेत्रीय दक्षिण)	क्रमश: 265 मीटर और 297 मीटर	फिल्म प्रभाग 24-पैडर रोड, बंबई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। क्रमश: सामान्य और क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए।
2.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1716 और भारतीय समाचार समीक्षा 1716 क्षेत्रीय पश्चिम	304 मीटर	फिल्म विभाग 24 पैडर रोड बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म क्रमश: सामान्य और क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए।

[फाइल संख्य 315/5/81-एफ०पी०]

कश्मीरी लाल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 16th September, 1981

S. O. 2802.—In exercise of the powers vested under the provisions of Rule 14(b) of the Regulations relating to the working of the Film Advisory Board, the Central Government hereby approves films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their languages versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length of the film in metres	Name of the applicant	Name of the Producer	Brief synopsis whether a scientific film or for educational purposes of a film dealing with news current documentary films.
1	2	3	4	5	6
1.	Indian News Review No. 1715 and Indian News Review No. 1715 (Regional East and Regional South).	265 mtrs. and 297 mtrs. respectively.	The Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		News & Current events General & Regional release respectively.
2.	Indian News Reviews No. 1716 and Indian News Review No. 1716 (Regional West).	304 mtrs.		-do-	-do-

[File No. 315/5/81-FP]
KASHMIRI LAL, Desk Officer

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1981

का० आ० 2803.— विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 16 की उपधारा 2 के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री ओ० पी० विज, अधीक्षक, पुनर्वास विभाग, हरियाणा सरकार, जो तहसीलदार (एस), कुरुक्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, को कुरुक्षेत्र जिले में स्थित तथा मुआवजा पूल के भाग की निष्क्रांत सम्पत्तियों (ग्रामीण और शहरी) की अभिरक्षा, प्रबन्ध और निपटान के लिए, प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1 (14)/विशेष सैल /75-एस० एस०-II(क)]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 8th September, 1981

S.O. 2803.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 2 of section 16 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri O. P. Vij, Superintendent Rehabilitation Department, Government of Haryana, working as Tehsildar (S), Kurukshetra, as Managing Officer for the custody, management and disposal of the evacuee properties (rural and urban) forming part of the compensation Pool, situated in the district of Kurukshetra.

[No. 1 (14)|Spl.Cell|75-SS.II. (A)]

का० आ० 2804.—निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री ओ० पी० विज, अधीक्षक, पुनर्वास विभाग, हरियाणा सरकार, जो तहसीलदार (एस), कुरुक्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, को उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, हरियाणा राज्य के संबंध में सहायक अभिरक्षक, निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1 (14)/विशेष सैल/ 75-एस० एस०-II (ख)]
एन० एम० काश्यपायनी, अवर सचिव

S.O. 2804,—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri O. P. Vij, Superintendent, Rehabilitation Department, Government of Haryana, Working as Tehsildar (s), Kurukshetra as Assistant Custodian of Evacuee Property in the State of Haryana; for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under this Act.

[No. 1 (14)/Spl. Cell/75-SS. II. (B)]

N. M. WADHWANI, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1981

का० आ० 2805.— खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री अमिताभ बन्द्योपाध्याय को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है ।

[सं० ए०-12025/1/80- एम० 1]

जे० के० जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd September, 1981

S.O. 2805.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Amitabha Bandyopadhyay as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[F. No. A-12025/1/80-M. I]

J. K. JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1981

का० आ० 2806.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मंजूसा फिल्मस् , 9, कुकड लेन, कलकत्ता-69 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017(24)/80-पी० एफ० II]

New Delhi, the 25th September, 1981

S.O. 2806.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manjusha Films, 9, Crooked Lane, Calcutta-69, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establish ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017 (24)/80-PF. II]

का० आ० 2807.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एटलस एण्ड यूनियन जूट प्रेस कम्पनी लिमिटेड, 4, बी० बी० डी० बाग, (पूर्वी) कलकत्ता- 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017(9)/81-पी० एफ० II]

S.O. 2807.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Atlas and Union Jute Press Company Limited, 4, B. B. D. Bag (East), Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establish ;

New, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017 (9)/81-PF. II]

का० आ० 2808.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि आदर्श आइसक्रीम भेलपुरी हाउस एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, 35/36 एण्ड 37 बी, लोकमान्य तिलक रोड, बोरिविली (पश्चिम) मुम्बई-72 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35018(67)/81-पी० एफ० II]

S.O. 2808.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Adarsh Ice-Cream Bhelpuri House and Milk Products, 35|36 and 37B, Lokmanya Tilak Road, Borivili (West), Bombay-92, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establish ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018 (67)/81-PF. II]

का० आ० 2809.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गरवारे चेरिटेबिल ट्रस्ट, चौपाटी चैम्बर्स, सैंडहर्स्ट ब्रिज, मुम्बई-7, जिसके अन्तर्गत 59, कोरेगांव पार्क, पुणे-1 स्थित उसकी शाखा भी है। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35018 (68) /81-पी० एफ० II]

SO. 2809.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Garware Charitable Trust, Chowpatty Chambers, Sandhurst Bridge, Bombay-7

bay-7 including its branch at 59, Koregaon Park, Pune-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018 (68)/81-PF-II]

का० आ० 2810.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुख्य सड़क, भंडारा, जिसके अन्तर्गत (1) तुमसर, (2) लखानी और (3) पौनी, स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018(116)/79-पी०एफ-2(i)]

S.O. 2810.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Urban Co-operative Bank Limited, Main Road, Bhandara Including its Branches at (1) Tumsar, (2) Lakhani and (3) Pauni, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018 (116)/79-PF. II (i)]

का० आ० 2811.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुरेन्द्र काटन आयल मिल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स कम्पनी, पाटामाटा, विजयवाड़ा-6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(37)/81-पी०एफ० II]

S.O. 2811.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Surendra Cotton Oil Mills and Fertilisers Company, Patamata, Vijayawada-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (37)/81-PF. II]

का० आ० 2812.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आटोमोटिव इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(153)/81-पी०एफ० II]

S.O. 2812.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the Majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Automotive Industries, Industrial Estate, Vijayawade-7, Krishna District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (153)/81-PF. II]

का० आ० 2813.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्राइमरी कोआपरेटिव लैंड डिवलेपमेंट बैंक लिमिटेड, अलंद, गुलबर्गा जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(154)/81-पी०एफ० II]

S.O. 2813.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Primary Co-operative Land Development Bank Limited, Alland, Gulbarga District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|154|81-PF-II]

का०आ० 2814—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, 62-63, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(170)/81-पी०एफ० II]

S.O. 2814.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs National Thermal Power Corporation, 62-63, Nehru Place, New Delhi-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment ;

[No. S. 35019 (170)/81-PF. II]

का०आ० 2815—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजेश कम्पनी (पुराना सं० 27), नया सं० 36, पूर्वी कालमदापम रोड, रोयापुरम, मद्रास-13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019(171)/81-पी०एफ० II]

S.O. 2815.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajesh Company, (Old No. 27), New No. 36, East Kalmandapam Road, Royapuram, Madras-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment ;

[No. S. 35019 (171)/81-PF II]

का०आ० 2816—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मदुरा कोट्स लिमिटेड, "डाईस्प्रिंग्स" 16-ए पीनीया फेज-2, औद्योगिक क्षेत्र, बंगलौर-58 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019(172)/81-पी०एफ० II]
आर० के० दास, अवर सचिव

S.O. 2816.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madura Coats Limited, "Dyesprings" 46-A, Peenya Phase-II, Industrial Area, Bangalore-58, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (172)/81-PF. II]
R. K. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1981

का०आ० 2817—मैसर्स इन्दौर स्टील एंड आयरन मिल्स, पोस्ट बाक्स संख्या 6 भागीरथपुर, इन्दौर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त इन्दौर को ऐसे विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमीमिय भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्त युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/141/80-पी० एफ०-2]

New Delhi, the 25th September, 1981

S.O 2817.—Whereas Messrs Indore Steel and Iron Mills, Post box No. 6, Bhagirathpura, Indore (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme, for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishments shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Indore maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Indore and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (141)/80-PF.II]

का०आ० 2818—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एसेन फिल्म्स, 9, क्रुकड लेन, कलकत्ता-69 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० ए०-35017/22/80-पी०एफ०-2]

S.O 2818.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Essen Films, 9, Crooked Lane, Calcutta-69, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(22)/80-PF. II]

का०आ० 2819.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० आर० नाग चौधरी एण्ड कम्पनी, डाकखाना बारुईपुर, जिला 24-परगना पश्चिमी बंगाल, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/26/80-पी०एफ-2]

S.O. 2819.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. R. Nag Chowdhury and Company, Post Office Baruipur, District 24-Parganas, West Bengal, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(26)/80-PF. II]

का०आ० 2820.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्लैड मैटीरियल्स सिस्टम्स, सोनल कमला, मकवाना रोड, आफिस अन्धेरी कुर्ला रोड, मेरोल, मुम्बई-59 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35018(81)/80-पी०एफ०-II]

S.O. 2820.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Clad Materials Systems, Sonal Kamal, Makwana Road Off. Andheri Kurla Road, Moral, Bombay-59 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(81)/80-PF. II]

का० आ० 2821.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार ग्राफिक आर्टस, रिगा, लक्ष्मी मिल्स एस्टेट आफिस डा० ई० मोसेस रोड, महालक्ष्मी, मुम्बई-11 जिसके अन्तर्गत उसकी (1) 112, वासन उद्योग भवन, सेनापति बापट मार्ग, मुम्बई-13 की शाखाएं और उसका रिगा ई-9 कनाट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35018(83)/80-पी०एफ०-II]

S.O. 2821.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Research Institute for Graphic Arts, Riga, Laxmi Mills Estate, Off. Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Bombay-11 including its branches at (1) 112 Vasant Udyog Bhavan, Senapati Bapat Marg, Bombay-13 and its Registered Office at Riga, E-9, Connaught House, Connaught Place, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(83)/80-PF. II]

का० आ० 2822.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विश्व महल, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट बिल्डिंग, प्रथम मंजिल पल्टन रोड, मुम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35018(84)/80-पी०एफ० II]

S.O. 2822.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vishwa Mahal, Chhatrapathi Shivaji Maharaj Market Building, Ground Floor, Palton Road, Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(84)/80-PF. II]

का०आ० 2823.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स इन्टरप्राइसेस, यूनिट सं० 216 रीगल इन्डस्ट्रियल एस्टेट, आचार्य डोन्डे मार्ग, सेवरी, मुम्बई-15 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018(85)/80-पी०एफ० II]

S.O. 2823.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Electronic Enterprises, Unit No. 216, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg, Sewri, Bombay-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellane-

ous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act applicable to the said establishment;

[No. S. 35018(85)/80-PF. II]

का०आ० 2824.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स निर्मल इलैक्ट्रिक इन्डस्ट्रीज सी-2 सोना उद्योग एस्टेट, पारसी। चायत रोड, अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई-69, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०35018(94)/80-पी०एफ० II]

S.O. 2824.— Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nirmal Electric Industries C-2, Sona Udyog Estate, Parsi Panchayat Road, Andheri (East) Bombay-69, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(94)/80-PF. II]

का० आ० 2825.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रूप राग, 97, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-20, नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/144/79-पी० एफ-2]

S.O. 2825.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Roop Raag, 97, Maharshi Karve Road, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(144)/79-PF. II]

का०आ० 2826.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आशा हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन, 1, एमबैसी सेंटर, पहला फ्लोर, नारीमन प्वाईंट, मुम्बई-21 नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/146/79-पी० एफ-2]

S.O. 2826.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ashe Handicrafts Association, 1, Embassy Centre, 1st Floor Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

[No. S. 35018(146)/79-PF. II]

का०आ० 2827.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्रेगमोर एस्टेट डाकखाना पालिबेटा पोस्ट, साउथ कुर्ग नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/92/80-पी० एफ-2]

S.O. 2827.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs Craigmor Estate, Pollibetta Post, South Coorg, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby appplies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(92)/80-PF. II]

का० आ० 2828.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स परफैक्ट प्रिंटर्स एंड प्रोसेसर्स, 133, अध्यारू इंडस्ट्रियल एस्टेट, सन मिल कंपाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-13, नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है;

[सं० एस० 35018/93/80-पी० एफ० II]

S.O. 2828.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Perfect Printers and Processors, 133, Adhyaru Industrial Estate, Sun Mill Compound, Lower Parel, Bombay-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(93)/80-PF. II]

का० आ० 2829.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नेशनल सी फूड्स कंपनी, मथरा रोड, कोचीन-2 मटनचेरी गांव, कोचीन तालुक, जिला इर्नाकुलम, नामक स्थापन संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/99/80-पी० एफ-2]

S.O. 2829.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs National Sea Foods Company, Manthara Road, Cochin-2, Mattancherry Village, Cochin Taluka, Ernakulam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(99)/80-PF. II]

का० आ० 2830—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एल्वी कारपोरेशन, 69, स्ट्रीट सं० 11, टाटाबाद कोयम्बटूर 12 जिसके अन्तर्गत उसकी 11/34 क्रास कट रोड, कोयम्बटूर-12, स्थित शाखा भी है, नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/100/80-पी० एफ०-2]

S.O. 2830.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Elvi Corporation, 69- Street No. 11, Tatabad, Coimbatore-12 including its branch at 11/134, Cross Cut Road, Coimbatore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S., 35019(100)/80-PF.II]

का० आ० 2831.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री सत्यनारायण स्पिनिंग मिल्स इम्प्लोयीज कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, वंकटरामपुरम, तुनुकु, जिला पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश), नामक स्थान से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/101/80-पी० एफ-2]

S.O. 2831.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Satyanarayana Spinning Mills Employees' Consumers Co-operative Stores Limited, Venkarayapuram, Tanuku, West Godavari District (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

[No. S. 35019(101)/80-PF-II]

का० आ० 2832.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तमिलनाड सीमेंटस इमप्लॉईज को आपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, तमिलनाड, राजापलायम रामनाड, नामक स्थान से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/152/79-पी० एफ-2]

S.O. 2832.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tamilnad Cements Employees' Co-operative Stores Limited, Tamilnadu Rajpalayam Ramnad, District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

[No. S. 35019(152)/79-PF. II]

का० आ० 2833.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स खैतान कंसल्टैन्टस (प्राइवेट) लिमिटेड, 23, कस्तूरबा, गांधी मार्ग, हिमालय हाउस नई दिल्ली। नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 (155)/81-पी० एफ-2]

S.O. 2833.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Khaitan Consultants (Private) Limited, 23, Kasturba Gandhi Marg, Himalaya House, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

[No. S. 35019(155)/81-PF-2]

का० आ० 2834.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मार्गदर्शी फाइनेंशियर्स, आबिद सेंटर, हैदराबाद नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019 (156)/81 पी० एफ० 2]

S.O. 2834.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs Margdarsi Financiers. Abid Centre, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(156)/81-PF. II]

का० आ० 2835.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैपिटल कंसल्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड 2ई/6, झंडेवालां एक्सटेंशन, नई दिल्ली-55 नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35019 (158)/81-पी० एफ-2]

S.O. 2835.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Capital Consultants (Private) Limited 2E/6. Jhandawalan Extension, New Delhi-55, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(158)/81-PF-2]

का०आ० 2836.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बिंदु रबड़ इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 12, डी० एल० एफ०, औद्योगिक क्षेत्र, नजफगढ़, रोड, नई दिल्ली-15 नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019 (163)/81 पी० एफ० 2]

S.O. 2836.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in

relation to the establishment known as Messrs Bindu Rubber Industries (Private) Limited, 12, D.L.F., Industrial Area, Nazafgarh Road, New Delhi-15, have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(163)/81-PF. II]

का० आ० 2837.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बांद्रा सहकारी शक्कर कारखाना, नियमित, दौड्डाबेथी, दावनगेरे ताल्लुक, नामक स्थान से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019 (165)/81 पी० एफ-2]

S.O. 2837.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Badra Sahakari Sakkare Karkhane, Niyamit, Doddabathi, Davanagere Taluk, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(165)/81-PF. II]

का० आ० 2838.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुबारक अली खां एंड संस, पोस्ट बाक्स सं० 49, जिला भावोही, वाराणसी नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस० 35018 (166)/81 पी० एफ० 2]

S.O. 2838.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mobarak Ali Khan and Sons, Post Box No. 49, Bhadohi District, Varanasi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(166)/81-PF II]

का० आ० 2839.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गणपति एंड कंपनी, 175/1, माउंट रोड, मद्रास-2, नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो

गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(263)/79-पी० एफ० 2]

नवीन चावला, उप सचिव

S.O. 2839.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ganapati and Company, 175/1, Mount Road, Madras-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(263)/79-PF. II]

NAVIN CHAWLA, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 25th September, 1981

S.O. 2840.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Government of India Mint, Calcutta and their workmen, whic Government of India Mint, Calcutta and their workmen which tember, 1981.

BEFORE MR. JUSTICE R. BHATTACHARYA, M.A., B.L., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA

Reference No. 47 of 1979

PARTIES :

Employers in relation to the management of the Government of India Mint, Calcutta

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. Tapan Pal, Advocate.

On behalf of Workmen.—Mr. Shaful Alam, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Mint

AWARD

By its Order No. L-42011(19)|78-D.II(B), dated 24th July, 1979, the Government of India has sent the instant reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal for adjudication of an industrial dispute between the employers in relation o the management of the Government of India Mint, Calcutta, hereinafter described as the "Mint" and their workmen represented by three unions, namely, Calcutta Mint Workers Union, Silver Refinery Workers Union and Calcutta Mint Employees Union. The subject matter of the dispute has been mentioned in the schedule to the order of reference as follows :

> "Whether the action of the workers who are detailed in advance for essential preparatory work in the 'A' and 'B' Melting Departments of the Government of India Mint, Alipore, Calcutta, in refusing to perform staggering duties from 13-6-1977, is proper and justified ? If not, to what relief are the parties entitled?"

2. In the present reference Calcutta Mint Employees Union filed a written statement but ultimately did not contest. Silver Refinery Workers Union did not appear in this reference at all. Calcutta Mint Workers Union, hereinafter described as the "Workers Union", filed written statement and contested upto the end. The instant dispute has been raised at the instance of the Mint.

3. In the written statement Calcutta Mint Employees Union stated that previously the workmen were working 60 hours a week. Subsequently the working hours were reduced to 54 hours a week and again it was reduced to 48 hours a week. Due to this reduction the earning for overtime works has been reduced and that has caused hardship to the workmen. Lastly it was prayed that some ways and means to compensate the loss of income due to the reduction of working hours should be found so that the workers might earn more. In fact this written statement says nothing about the dispute raised in the order of reference and ultimately nobody appeared on behalf of this Employees Union at the time of hearing or at any other stage.

4 As I have already stated earlier, the present dispute was raised by the management of the Mint. In the written statement filed by the Mint it is stated that the Mint is a factory under the Factories Act, 1948 and the prescribed normal hours of work of the Mint are 37,1|2 hours per week and the Mint workers had to work beyond the prescribed hours as overtime to meet the demand of production. Due to the technical nature and operations carried on in the mint some workers are required to be detailed in advance for essential preparatory work in some of the departments of the Mint, namely A Melting, B. Melting, Hot Rolling, Annealing, etc., before the starting of the operations of the Mint for production by the general workers. The essential preparatory works to be done in advance in A & B Melting Departments and other departments are mentioned in the schedule to the written statement. Since 1961 a few workers who had been detailed for the staggering duties for essential preparatory works under due notice had been regularly attending to such staggering duties from 7 A.M. two hours before the shift work started at 9 A.M. This work was being done without any objection whatsoever for a long period. With effect from 13-6-77 the workers of A and B Melting departments stopped attending at 7 A.M. for doing staggering duties without assigning any reason. Consequently production went down considerably and it affected production of the whole Mint because the Melting department is the feeding department of the successive departments. In spite of efforts being made by the Mint management the workers did not attend to the essential preparatory work at 7 A.M. but they attended at 9 A.M. The Mint, therefore, approached the Regional Labour Commissioner, Central, Calcutta to intervene. With effect from 15-5-78 the period of work was reduced to 48 hours a week and those who were to do staggering duties were directed to attend at 7 A.M. The workers detailed for such staggering duties did not however attend to their duties at 7 A.M. but they attended at 9 A.M. the normal time when the shift starts. The Regional Labour Commissioner initiated conciliation proceedings but there was no result and ultimately the present reference has been made. It is stated by the Mint that the workers cannot refuse to attend for staggering duties from 7 A.M. The workers had been performing the staggering duties since 1961 and the performance of staggering duties as stated was essential and became an established practice in the Mint and became the terms and condition of service. Such staggering duty was a part of the duty of the workers to perform and the same is permissible under the provisions of the Factories Act. According to the Mint the refusal of the workers to perform staggering duties was illegal, improper and unjust.

5. The Workers Union has filed a written statement in this case. It is stated in the written statement that the management introduced a mini shift in the disguise of staggering duties which is illegal and against the provisions of the Factories Act, 1948. It is also stated that there is no provision of staggering duties in the Standing Orders of the Mint. It is also stated that by the introduction of the staggeing duties from 7 A.M. there has been a change in the conndition of service and therefore in the absence of a notice under Sec. 9A of the Industrial Disputes Act such change is untenable. It is further stated that according to povisions of the Factories Act the staggering duties are illegal. The grievance of Workers Union further is that in the name of preparatory work the Mint introduced a mini shift to perform regular production job which is contrary to law. In the written statement we get that the Workers Union admitted that the workmen had no object-

tion to the performance of staggering duties. The Workers Union in these circumstances wanted to say in the written statement that the workers were not bound to attend to the mini shift starting at 7 A.M. when in fact production was made.

6. In this case several documents have been exhibited on the side of the Mint. The Mint has examined one witness and on the side of the Workers Union two witnesses have been examined.

7. From the side of the Workers Union it has been first urged that in view of Section 58 of the Factories Act the Mint cannot ask any of the workers to work from 7 A.M. although the shift starts at 9 A.M. According to the Workers Union the works started at 7 A.M. constitute a distinct shift of work although for two hours and thus it may be called a mini shift. It has been further urged in this connection that when the workers who are to work from 7 A.M. belonging to 9 A.M. shift work covering both the mini shift as well as the regular shift from 9 A.M. the shifts are over-lapping and therefore it is against Sec. 58 of the Factories Act. Section 58 of the Factories Act speaks about prohibition of over-lapping the shifts. It is urged from the side of the Workers Union that the work from 7 A.M. to 9 A.M. is a mini shift and therefore nobody can be compelled to work in two shifts at a stretch. The admitted fact before me is that the shift work starts at 9 A.M. It is also admitted that a few of the workers of the 9 A.M. shift are detailed for work in A and B Melting departments for some works. There is no dispute before me also that whoever is allotted duty from 7 A.M. two hours prior to the starting of the 9 A.M. shift is allowed to go two hours earlier than the 5.30 P.M. when the shift ends. There is no dispute before me also that the workers are to work for 8 hours with a recess of half an hour. This period of work is meant for those who start their work at 7 A.M. and also those who come to their duties at 9 A.M. In these circumstances it is quite clear that the period of work from 7 A.M. to 9 A.M. is not a shift of work as alleged by the Union. Only some of the workers of the shift are to work two hours early and they are also eligible to retire two hours early. In these circumstances I must hold that there is no mini shift and Section 58 of the Factories Act is not applicable. Mr. Alam, learned Advocate appearing on behalf of the Workers Union has submitted before me and also it is clear from the written statement of the said Union that the workers have no objection to doing preparatory work for starting shift work at 9 A.M. but their grievance as I have already indicated, in the written statement, is that in fact no preparatory work was done between 7 A.M. and 9 A.M. but in fact production was being done. The works done by the workers between 7 A.M. and 9 A.M. will not create any distinct shift because infact they belong to the shift of 9 A.M., but because they come two hours early they are allowed to go two hours earlier than those who start work at 9 A.M. However, I find that there is no distinct shift for work and that there is no question of over-lapping the shift of work as mentioned in that section. There is no evidence of any change in the service condition. The question of notice under Sec. 9A of the Industrial Disputes Act does not arise.

8. It has been next urged from the side of the Workers Union that there is no provision in the Standing Orders of the Mint for doing any preparatory work before the actual start of the shift. I have gone through the Standing Orders marked Ext. M-1. There is no dispute before me that there is one shift of production in A & B Melting departments. I have already held that if a few persons of the shift are detailed for work two hours earlier than the time fixed for the shift doing his duty for the prescribed hours of the shift, namely 8 hours with half an hour recess, that will not create any separate shift and that will not go against the Standing Orders of the Mint. I over-rule the second objection raised.

9. Lastly, the main grievance from the side of the Union is that during the period from 7 A.M. to 9 A.M. actual production is made and therefore there was no preparatory work for the production to be started at 9 A.M. On this point the Works Manager himself has given evidence and I also find the evidence of two of the workmen. The Works Manager, MW-1, has stated that the work of the shift starts from 9 A.M. and it ends at 5.30 P.M. with half an hour's recess for the workers. Some of the workers of the shift, varying from 5 per cent to 10 or 12 per cent varying accordingly to the season, are allotted duties from 7 A.M. so that they may do some preparatory ground works for the production works to be done from 9 A.M. The nature of preparatory ground works is cleaning and preparing the burners, removing the slag from the furnaces and keep them operatively fit for 9 A.M. shift. For preparation also the moulds are to be cleaned for the shift work. Moulds are to be heated and furnaces are to be preheated so that the work might start at 9 A.M. by the remaining 95 per cent of workmen of the shift. Those who attend at 7 A.M. are to work till 3.30 P.M. with half an hour recess. They are not to work till 5.30 P.M. From him we also get that workers who start work from 9 A.M. are responsible for production of the Mint. The preparatory works between 7 A.M. to 9 A.M. is called staggering duty. We get that if all the workers of the shift come at 9 A.M. there will be loss of production because some time will be spent for preparatory works without doing any production. The witness has denied the suggestion that a large number of workers for regular production work are engaged from 7 A.M. to 9 A.M.

10. As against the evidence of the Works Manager, MW-1 a worker has stated that the management wanted the workers to come at 7 A.M. for starting furnace and production. The workers refused to come at 7 A.M. because the management wanted production. He has also stated that when the workers used to come at 7 A.M. ingots were prepared which means that production was made. During cross-examination the witness has stated that very rarely he used to attend to his duty at 7 A.M. and he does not remember when he attended at 7 A.M. Not for a single day he attended Melting department at 7 A.M. in 1977. He was speaking about the affairs of the Melting department on the basis of the report he got from other workers. According to him only 5 or 7 minutes will be taken to heat the furnace the other workers is WW-2. He is the worker of Melting department. He did the duty from 7 A.M. in 1976 and 1977. He says that at 7 A.M. the workers are to start the furnace and aluminium is to be put in the furnace. He wants to say that workers were doing production job between 7 A.M. and 9 A.M. He has denied the suggestion that no production was made but only preparatory works were done from 7 A.M. to 9 A.M. This is all the evidence before me. In this connection I may refer to Ext. M-13, the report of the Assistant Labour Commissioner, Central, given to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi who is the Officer conducted the conciliation proceedings and the parties appeared before him and placed their views. In this report we find that during the course of conciliation proceedings the management stated that the production continued to be affected on account of refusal by the workmen of A & B Melting Sections to do staggering duties. As against the submission of the management the Union stated that as there was the agitation started by all the unions on the issue of curtailment of overtime in the mint, it was not possible for the Union representative to say anything regarding the present dispute. here can be no doubt, therefore, that before the conciliation proceeding the allegation that production was being done between 7 A.M. and 9 A.M. was not made or hinted at. Giving my best consideration to the facts and circumstances I accept the evidence of the Works Manager as reliable and acceptable and I reject the evidence of WW-1 and WW-2 as untrustworthy the manner in which they gave evidence has not impressed me at all. I am therefore constrained to hold that for effective work in the shift from 9 A.M. and for efficient production preparation was necessary in the form of staggering duties between 7 A.M. and 9 A.M. and that there was no production made during that period. As those who started preparatory work from 7 A.M. were allowed to leave at 3.30 P.M. without causing any prejudice to them in any manner there was no distinct or any mini shift from 7 A.M. as alleged by the Workers Union. Of course, as I have already stated and as submitted by Mr. Alam, learned Advocate appearing on behalf of the Workers Union, the workers have no objection to do preparatory work for starting effective production. From 9 A.M. but their grievance is that there should be no work of production between 7 A.M. and 9 A.M. From the evidence of WW-2 we get that by putting aluminium in the furnace ingots are prepared and that is production. From the evidence I am satisfied that no production was done in between 7 A.M. and 9 A.M. The Works Manager has also stated that no production is meant to be done during that period. In this view of the matter I have

no doubt that the management of the Mint is entitled to detail necessary number of workmen for doing preparatory works or staggering duty between 7 A.M. and 9 A.M. and that no workman can have any legitimate grievance or objection to that. In this case I am satisfied that the action of the workers in refusing to perform staggering duties from 13-6-77 was improper, unjust and illegal.

11. In view of my findings and decision I must hold that the management of the Mint is entitled to engage and detail necessary number of workmen for staggering duties before the start of the actual work of the shift for production and there shall be no objection from the side of the workmen in this respect.

This is my award. R. BHATTACHARYA, Presiding Officer

Dated, Calcutta, [No. L-4211(19)/78-D.II(B)]

3rd September, 1981 S. S. BHALLA, Desk Officer

New Delhi, the 30th September, 1981

S.O. 2841.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Ltd., Bellampalli Division, Adilabad District (A.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd September, 1981.

BEFORE SRI B. PRASADA RAO, B.A., B.L., INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 10 of 1980

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division, Adilabad District (A.P.).

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division, Adilabad District (A.P.).

APPEARANCES :

Sri S. Nagaiah Reddy, President, T.C.M.L. Union, Bellampalli for Workmen.

Sarvasri S. P. Ahuja, General Manager, S.C. Co,, Ltd,, Bellampalli and P. Papa Rao, Sr. Personnel Officer for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by its Order L-21011(B)/80-D.IV.B dated 14-8-1980 has referred to this Tribunal the following issues for adjudication in the industrial dispute between the workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division, Adilabad District, A.P. :—

"Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited

(1) in not confirming casual labour and worker-trainees who are working in place of regular workers and,

(2) in not granting casual leave to casual labour and worker-trainees, is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. The reference was registered by this Tribunal as Industrial Dispute No. 10 of 1980 and notices were sent to parties concerned.

3. On 15-4-1981 a joint memo dated 13-4-1981 was filed by the President, Tandur Coal Mines Labour Union, Belampalli for Workmen and the General Manager, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli for Management praying for passing an award in terms of the settlement.

4. After having gone through the terms of the settlement it can be stated that it is just and proper and it is in the interest of both the concerned workman and also the Management. Such proper and just settlement have to be accepted in order to see that cordial relationships between the workmen and the Management are maintained. Hence, in the circumstances, it is fit case for passing the award in terms of the Settlement.

5. Award is passed accordingly in terms of the settlement between the parties. Copy of the settlement is herewith attached as part of the Award.

Given under my hand and the seal of this Tribunal the 16th day of September, 1981.

B. PRASADA RAO, Presiding Officer

[No. L-21011(8)/80.D.IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

Minutes of discussions held on 13-4-81 in the Office of the General Manager, the Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli, between the President, Tandur Coal Mines Labour Union, Belampalli, and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Belampalli.

In the matter of Casual Labour Worker Trainees Working in place of regular workers claiming Casual Leave, confirmation and such other benefits. The case was conciliated upon and the proceedings ended in failure. Subsequently, the Government of India has referred this issue for adjudication by the Hon'ble Industrial Tribunal (Central) Hyderabad and numbered as I.D. 10 of 1980. The Union and the Management have discussed this matter once again in the interest of industrial peace and harmonious relations, it has been decided to take action as per para 5 of the Memorandum of Settlement dated 29-1-1981 which was signed by all the Central Trade Unions functioning in Singareni Collieries and the Management over several demands. Basing on those lines, the following is agreed upon :—

Terms of Settlement

1. To the extent of permanent work force determined/required for mines and departments, the trainee workers will be absorbed against permanent vacancies on the basis of seniority-cumsuitability and the rest of them will be designated and continued as Badlis. Such of the Badlis who have put in 190 (underground) or 240 (surface) musters as the case may be in the preceding calendar year will be allowed the benefit of Casual Leave and House Rent Allowance from 1st January, 1981. The earlier commitments with regard to extension of sick leave etc., will continue. Permanent requirement will be reviewed at Mines and Departments every six months as on 1st January and 1st July".

In the above circumstances, to promote peace and harmonious relations in the Industry, both parties hereby agree to implement the above decision strictly, this minutes of discussions settles the dispute in full and the parties will file the compromise memo before the Industrial Tribunal (Central) Hyderabad to pass an award in accordance with the above terms in the I.D. No. 10 of 1980,

SIGNATURES

FOR MANAGEMENT :

1.

General Manager,
(S. P. AHUJA)
The S.C.Co. Ltd,
Belampalli.

FOR WORKMEN :
(S. NAGAIAH REDDY)
President,
T.C.M.L. Union, Belampalli,

2.

(P. PAPA RAO)
Sr. Personnel Officer.

New Delhi, the 1st October, 1981

S.O. 2842.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s Travancore Titanium Products Ltd., Trivandrum and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd September, 1981.

BEFORE THIRU T. SUDARSANAM DANIEL, B.A. B.L., INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Government of India)

Tuesday the 8th day of September, 1981

Industrial Dispute No. 11 of 1981

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947) between the Workmen and the Management of M/s. Tranvancore Titanium Products Ltd., Trivandum)

BETWEEN

The Workmen, represented by

The Secretary, Tranvancore Titanium Products Employees Union, Trivandrum-695021.

AND

The Managing Director, M|s. Travancore Titanium Products, Limited, Kochuveli, Trivandrum-695021.

Reference : Order No. L-29012/24/80-D.III.B, dt. 30-1-81. Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 14th day of July, 1981, upon Perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru K. Chandran for Thiruvalargal Row and Reddy and K. Chandaran, Advocates for the workmen and of Thiru K.V.R. Shenoi, for Menon and Pai, Advocates for the Management and having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

This is an industrial dispute between the employers in relation to Messrs. Travancore Titanium Products, Trivandrum and their workmen, referred by the Government of India in their order No. L-29012-24/80-D.IIIB, dated 30-1:1981, Ministry of Labour, for adjudication by this Tribunal, in respect of the following issue :

> "Whether the action of the management of Messrs, Travancore Titanium Products Ltd., Trivandrum in over-looking the services of Shri P. M. Mohamed Basheer as typist from 1971 to 1975 for computation of the required experience of five years for promotion to the post of senior clerk, and not promoting him is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

The facts leading up to the dispute are as follows :—

The management is Messrs. Travancore Titanium Products, Limited, Trivandrum. The reference made by the Government of India, Ministry of Labour, relates to the services of Thiru P.M. Mohamed Basheer employed by the management. The Travancore Titanium Products Limited is a company incorporated under the Companies Act, having its registered and administrative office at Trivandrum, Kerala State. It is a public-sector undertaking of the Kerala State Government.. Thiru P. M. Mohamed Basheer had joined the management on 11-2-1965 as a peon. Ex. M 1 is the copy of the appointment order issued and dated 5-2-1965. On 12-6-1971, the management promoted him to the post of typist, Vide Ex. M. 2 copy of this order. He was also promoted to the post of junior clerk on 24-2-1965 Vide copy of the order Ex. M. 4. While so, on 31-12-1975, the management and the five recognised trade unions, representing a total employees of 1,400 entered into a settlement. Ex. M. 6 is a copy of the memorandum of settlement entered into between the parties. The agreement took retrospective effect from 1-1-1975. By the end of 1975, the post of typists and junior time-keepers were brought on par with the posts of junior clerk, to take effect from 1-1-1975. Consequently, the posts of typist, junior time-keeper and junior clerk were to be on the same grade pay and status. This position is also specifically recognised in the settlement Ex. M. 6 vide clause (1)(d) that unified scales of pay were prescribed for all these posts. Ex. M. 3 is Subordinate Service Rules, of the Management under which the post of senior clerk was made a promotion post from the ranks of junior clerk. The rules under Ex. M. 3 prescribe that those graduates of three years or S.S.L.C. of five year's experience as junior clerk were eligible to be promoted as senior clerk. A note of explanation to the Rules is also pointed out that while computing the service of a junior clerk the service of a typist will also be taken into account. This was communicated by the Managing Director in his order dated 26-8-1978, copy of which is marked as Ex. M. 10. Copy of annexure to this order is marked as Ex. M. 10(a). Ex. M. 10(a) indicates the method of appointment and the qualifications required.

The case of Thiru P. M. Mohamed Basheer is that as per this order of the Managing Director, he became eligible to the post of Senior Clerk on and from 4-6-1976. Ex. M. 19 is the statement filed by the management showing the persons promoted as senior clerks after 4-6-1976. From Ex. M. 19, it can be noted that six were promoted as senior clerks on 21-11-1978 and four were promoted as senior clerks on 23-11-1979. The stand of the management is that as soon as the amendment under Ex. M. 10 and M. 10(a) contemplating the transfer of typists as junior clerks directly and providing for computation of service of typist as that of a junior clerk for promotion as a senior clerk was published the junior clerks and their unions represented to the management that this amendment would adversely affect the interests of junior clerks in the matter of promotion as senior clerks. Therefore, it was that the management took up the matter again with the Service Commission for their advice and directive and eventually the Service Commission by its letter dated 12-9-1980, copy of which is marked as Ex. M. 12, gave their final verdict and directive in the matter. In accordance with the same, the managing Director passed as order on 16-10-1980 copy of which is Ex. M.13 incorporating the directive of the Service Commission as to the computation of service. In paragraph 16 of the counter-statement, the management has pointedlly taken a plea that promotion is management's function and as such no industrial dispute can be raised regarding the promotion of Thiru P.M. Mohamed Basheer, the workman concerned in this dispute in the absence of mala fides or victimisation. There cannot be any dispute about this position of law. Suffice for me to point out that the averments in the claim statement filed do not go to the extent of charging the management with mala fides or victimisation. It is also well-settled that even if victimisation and mala fides are established even then the Industrial Tribunal has no jurisdiction whatsoever to consider who among the candidates including the workmen concerned in this dispute should be promoted. Therefore the position is pretty clear that it is for the management to consdier the claim of Thiru P.M. Mohamed Basheer on merits and dispose it of according to law.

According to the union the workman became eligible for promotion to the post of senior clerk even on 4-6-1976. On the other hand, in paragraph 8 of the counter-statement, it is pointed out that this claim of the Union that the workman became eligible for promotion even from 4-6-1976 is totally incorrect and untenable because the order of the Managing Director and the explanatory note regarding the computation of service as typist as that of junior clerk for promotion as senior clerk came into effect only on 26-8-1978 and not earlier. On the limited materials placed before this Tribunal I am unable to find that even from 4-6-1976 Thiru P.M. Mohamed Basheer became eligible for promotion as senior clerk. At best he can be held to have become eligible for promotion in view of the order of the Managing Director passed on 26-8-1978 under Ex. M. 10 and M. 10(a). Assuming that he became eligible for being promoted as senior clerk as and from that date, that does not necessarily follows that there were vacancies at that time for promoting him. On the other hand, as soon as the amendment under Ex. M. 10 and M. 10(a) were

ordered, the junior clerks already working began to challenge the amendment, because it would adversely affect their interest. At this juncture, it would be pertinent to point out paragraph 6 of the counter-statement. "Being a State Government Company, recruitment to certain categories of employees namely, all employees excluding "worker" as defined in the Factories Act and excluding persons employed in Supervisory or Managerial capacity whose basic salary exceeds Rs. 700/- per mensem is statutorily regulated by the Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects certain Corporation and Companies) Act, 1970 and the Rules made thereunder. As a consequence promotion from a lower post to a higher post coming within the purview of the Public Service Commission is also regulated by directives, instructions and advices is sued by the Kerala State Public Service Commission under the Act and Rules". Ever since the red-rag raised by the junior clerks, the Management were taking steps with the Service Commission for inclusion of the post of typist in the feeder category directly for promotion to the post of senior clerk. For computing the ratio of junior clerk to senior clerk fixed as 1:1 the junior time-keeper and Stores Assistant were clubbed with the junior clerks. In 1977, when the proposal of the management for inclusion of typist in the feeder category of senior clerks, along with the junior clerk, time-keeper and stores assistant, was mooted, the Public Service Commission analysed the method of recruitment to the feeder post referred to them either to delete the post of junior-time-keeper and stores-assistant from the feeder category or to reference to such post also to the Service Commission for recruitment. The management opted to follow the first alternative. In this view there is no room to suggest that the action of the management was in any intended to thwart the promotional avenues of the concerned workman in this dispute.

It may also be re-called that, with Thiru P.M. Mohamed Basheer, another Thiru Prabhakara Nair was also promoted as typist on 4-6-1971, which means that Thiru P.M. Mohamed Basheer and Thiru Prabhakara Nair were in the employment of management as typists from 4-6-1971. The services of this Prabhakara Nair were admittedly terminated in July, 1980 (said to be for misconduct). However, it follows that even by about July, 1980 Thiru Prabhakara Nair was not considered to be qualified for promotion. It should also be remembered that on 24-2-1975, when Thiru P.M. Mohamed Basheer was promoted as Junior clerk, the post of junior clerk was higher in scale of pay to that of typist..

The learned counsel for the management also point out the following circumstances to give lie direct to any plausible case of mala fides or victimisation. The agreement under Ex. M. 6 though dated 31-12-1975, has to take effect from 1-1-1975. Therefore, if the terms of Ex. M. 6, were to be enforced strictly, the promotion given to Thiru P.M. Mohamed Basheer must be held to a nullity. But as a special case, the monetary benefits arising out of the agreement were extended to him and he enjoyed the same, although strictly he would not be entitled to it. During the closing stage of the arguments the learned counsel for the management stated at the bar and this was not seriously challenged that there are some junior clerks senior to Thiru P.M. Mohamed Basheer and who yet to be promoted. It is not clear under what circumstances those efforts to Thiru P.M. Mohamed Basheer as Junior clerks still continue as junior clerks.

The gravamen of the charge of the Union is that at no stage has the management really considered the merits of Thiru P.M. Mohamed Basheer for being promoted as senior clerk. Therefore, this grievance would be elimiated by the management, when they consider afresh on the totality of the facts placed and in the light of the rules whether if and from what date Thiru P.M. Mohamed Basheer has to be promoted as senior clerk from junior clerk. That apart, this Tribunal has no jurisdiction in the matter of promotion of Thiru P.M. Mohamed Basheer.

In the result, an award is passed directing the management to consider afresh on the over-all facts placed in the light of the rules, if Thiru P.M. Mohamed Basheer, junior clerk has to be promoted as senior clerk and if so from what date and the attendant benefits. In the peculiar facts of the case, I direct the parties to bear their respective costs.

Dated at Madras this the 8th day of September, 1981.

T. SUDARSANAM DANIEL, Presiding Officer
[No. L-29012/24/80-D.III(B)]
K. K. HANDA, Under Secy.

WITNESS EXAMINED

For both sides : None

DOCUMENTS MARKED

For Workmen :

W-1/27-11-79—Letter from the Management to the Union regarding promotion to Senior Clerks.

W2/22-11-79—Managing Director's Order creating the post of Senior Time-keeper.

W-3/22-11-79—Managing Director's Order creating the post of Senior typist.

W-4/23-11-79—Management's Order promoting the Junior clerks to the post of Senior clerks.

W-5/24-11-79—Managing Director's order creating the post of Senior Stores Assistant.

W-6/23-4-80—Memo from the Management to Thiru P.M. Mohamed Basheer, in reply to his representation, dt. 1-4-80.

W-7/16-6-80—Letter from the union to the Assistant Labour Commissioner (Central) Cochin-16, raising industrial dispute. (copy).

For Management :

M-1/5-2-65—Appointment order issued to P.M. Mohamed Basheer as peon. (True copy).

M-2/12-6-71—Management's Order promoting Thiru P.M. Mohamed Basheer as Typist (True copy).

M-3/12-6-71—Subordinate Service Rules—1967 of the Management.

M-4/24-2-75—Management's Order promoting Thiru P.M. Mohamed Basheer as Junior clerk (True copy).

M-5/24-12-74—Managing Director's Order making amendment to Schedule-II with Subordinate Service Rules. (True copy).

M-6/31-12-75—Memorandum of settlement between parties. (True copy).

M-7/7-5-77—Letter from the Management to the Kerala Public Service Commission, Trivandrum, requesting the concurrence to amend the method of appointment (True copy).

M-7(a)/28-2-73—Managing Director's Order regarding method of appointment (True copy).

M-8/23-9-77—Letter from the Management to the Kerala Public Service Commission proposing to make amendments to the Subordinate Service Rules for promotion (True copy).

M-9/22-3-78—Letter from the Kerala Public Service Commission to the Management regarding method of appointment. (True copy).

M-10/26-8-78—Managing Director's Order regarding method of appointment and qualifications for recruitment (True copy).

M-10(a)/26-8-78—Annexure-I to Ex. M-10 showing the method of appointment and qualifications for the post of Senior clerk/Junior clerk/typist and Telephone Operator. (True copy).

M-11/23-10-78—Letter from the Management to the Unions giving clarification to the Managing Director's Order No. PL/PRM/3/78, dt. 19-10-78. (True copy).

M-12/12-9-80—Letter from the Kerala Public Service Commission to the Management regarding mehod of appointment and qualifications for the post of Junior/Senior clerks. (True copy).

M-12(a)/8-4-80—Letter from the Management to the Kerala Public Service Commission about the filling up of vacancies of Senior clerks. (True copy).

M-13/16-10-80—Managing Director's Order amending note under Serial Number 1 in the recruitment Rules. (True copy).

M-14/1-8-78—Letters from the Kerala Public Service Commission to the Management regarding method fixing the qualifications, age limit, method of appointment etc., for all posts except attendent and peon (True copy).

M-15/20-10-78—Letter from the Management to the Kerala Public Service Commission requesting to include the Stores Assistant in the feeder category, (True copy).

M-16/16-1-79—Reply letter to Ex M-15 agreeing to include the post of Stores Assistant in the feeder category. (True copy).

M-17/31-12-80—Managing Director's Order including the post of Stores Assistant in the feeder category. (Copy).

M-18/31-12-80—Subordinate Service Rules of the Company.

M-19/31-12-80—Statement showing the persons promoted as Senior clerks.

T. SUDARSANAM DANIEL, Presiding Officer
Industrial Tribunal.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981